लोक-सभा वाद-विवाद

शुक्रवार,
२ दिसम्बर, १९५५

(भाग १—प्रश्नोत्तर)

खण्ड ७: १९५५

(२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५)

सत्यमेव जयते

vation Unit
Fumigated
Parliament Library

1st Lok Sabha

ग्यारहवां सत्र, १९५५

(खंड ७ में अंक १ से अंक २६ तक हैं)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

[खंड ७—२१ नवम्बर से २३ दिसम्बर, १९५५]

अंक १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

सदस्यों द्वारा शपथ ग्रहण ३६९५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १ से ३, ५ से २५, २८, २९, ३१ और ३२ . ३६९५—३७३९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४, २६, २७, ३०, ३३ से ४५ . . ३७३९—५०

अतारांकित प्रश्न संख्या १ से २४ . . . . ३७५०—६४

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३७६५—७०

अंक २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४६ से ५१, ५३ से ६३, ६५ से ६९, ७१, ७२, ७४ और ७५ . . . . . . ३७७१—३८१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७३, ७६ से ८३, ८५ से ९१ और ९३ से ९७ . ३८१४—२७

अतारांकित प्रश्न संख्या २५ से ५४ . . . ३८२७—४६

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३८४७—५०

अंक ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८ से १०५, १०८, १३६, १०७, १०९ से १११, ११३, ११७ से १२२, १२४ से १२६, १२८ . . . ३८५१—८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०६, ११२, ११४ से ११६, १२७, १२९ से १३५, १३७ से १४७ . . . . . ३८८८—३९०४

अतारांकित प्रश्न संख्या ५५ से ६८ और ७० . . . ३९०४—१२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ३९१३—१६

अंक ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १४८ से १६१, १६३, १६४, १६७ से १७०, १७२, १७४, १७६ से १८३, १८५, १८७ और १८९ . . . ३९१७–६१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १६५, १७५, १८४, १९०, १९२ और १९१ . ३९६१–६४

अतारांकित प्रश्न संख्या ७१ से ८१ और ८३ से ९० . . ३९६४–७८

दैनिक संक्षेपिका ३९७९–८०

अंक ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९४ से १९६, १९८, १९९, २०१, २०४ से २०६, २०९ से २१७, २२० से २२५ . . . . ३९८१–४०२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १९७, २००, २०३, २०७, २०८, २१८, २१९, २२६ से २४० . . . . . ४०२२–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ९२ से १२६ . . . . . ४०३६–५८

दैनिक संक्षेपिका ४०५९–६४

अंक ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २४२ से २४६, २५१, २५२, २५६, २५८, २६०, २६२ से २६४, २६६, २६९, २४१, २४७, २५३, २५७, २५९, २६१, २६५, २६७, २४८, २५५ और २४९ . . . ४०६५–४१०५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या १ . . . . . ४१०५–१३

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न-संख्या २५०, २५४ और २६८ . . . ४११३–१४

अतारांकित प्रश्न संख्या १२७ से १४८ . . . . ४११४–२६

दैनिक संक्षेपिका ४१२७–३०

अंक ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७०, २७१, २७३ से २७६, २७८, २८४, २७९, २८२, २८३, २८५ से २९५, २९७ से ३०१ . . . ४१३१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या २७२, २७७, २८०, २८१, २९६, ३०३ से ३१० और ३१२ . . . . . . ४१७४–८२

अतारांकित प्रश्न संख्या १४९ से १७० . . . ४१८३–९६

दैनिक संक्षेपिका ४१९७–४२००

अंक ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१३, ३१५ से ३१७, ३१९, ३२०, ३२२ से ३२४, ३२७ से ३३०, ३३२ से ३३६, ३३८, ३३९, ३४१ से ३४३, ३४५ से ३४७ और ३४९ से ३५२ . . . . . ४२०१–४५

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३१४, ३१८, ३२१, ३२५, ३२६, ३३१, ३३७, ३४०, ३४४, ३४८ और ३५४ से ३७७ . . . ४२४५–६५

अतारांकित प्रश्न संख्या १७१ से १७३ और १७५ से २१६ . ४२६६–९८

दैनिक संक्षेपिका ४२९९–४३०६

अंक ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३७८ से ३८१, ३८३, ३८५, ३८७ से ३८९, ३९१, ३९२, ३९४ से ३९९, ४०१, ४०३, ४०४, ४०६, ४०७, ४०९ से ४१५ ४३०७–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ३८२, ३८४, ३८६, ३९०, ३९३, ४००, ४०२, ४०५, ४०८, ४१६ से ४२६ और १२३ . . . ४३५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या २१७ से २३७ . ४३६१–७४

दैनिक संक्षेपिका ४३७५–८०

अंक १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४२७ से ४२९, ४३१, ४३३ से ४३६, ४३९, ४४३, ४४४, ४४६ से ४५१, ४५४, ४५५ और ४७६ . . . ४३८१—४४२२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४३०, ४३२, ४३७, ४३८, ४४० से ४४२, ४४५, ४५२, ४५३, ४५६ से ४७५, ४७७ से ४८४, १७१, १८८ और १९१ ४४२३—४६

अतारांकित प्रश्न संख्या २३८ से २६३ . . . ४४४६—६०

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४४६१—६६

अंक ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८५, ४८८, ४९० से ४९२, ४९४, ४९५, ४९७ से ५०१, ५०४ से ५०६, ५१२, ५१४ से ५१६, ५१८, ५२१, ५२२, ५२५, ५३० और ५२६ . . . . . ४४६७—४५०८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ४८७, ४८९, ४९३, ४९६, ५०२, ५०३, ५०७ से ५११, ५१३, ५१९, ५२०, ५२४, ५२७, ५२८, ५२९, ५३१ से ५३७ ४५०८—२३

अतारांकित प्रश्न संख्या २६४ से ३०७ . . . ४५२३—५२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ४५५३—५८

अंक १२—गुरुवार, ६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५३८ से ५४०, ५४४ से ५४६, ५४८, ५४९, ५५१, ५५३, ५५९ से ५६३, ५६५ से ५६८, ५७० से ५७४, ५७७ से ५८३ और ५४७ ४५५९—४६०४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५४१, ५४२, ५४३, ५५०, ५५२, ५५५, ५५६ से ५५८, ५६४, ५६९, ५७५, ५७६ ४६०५—१२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३०८ से ३३२ ४६१२—२८

दैनिक संक्षेपिका ४६२९—३४

अंक १३—बुधवार, ७ दिसम्बर १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८४ से ५८७, ५८९ से ५९८, ६०० से ६०४ और ६०६ . . . . ४६३५–७४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या २ ४६७४–७६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ५८८, ५९९, ६०५, ६०७ से ६३० और ३०२

अतारांकित प्रश्न संख्या ३३३ से ३६२ . . . . . ४६९३–४७१२

दैनिक संक्षेपिका ४७१३–१८

अंक १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३१, ६३२, ६३४, ६३५, ६३७, ६३९ से ६४१, ६४३ से ६४५, ६४७ से ६४९, ६५१, ६५३ से ६५९, ६६१, ६६३, ६६४, ६८१, ६६६, ६६८ और ६६९ ४७१९–६४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६३३, ६३६, ६३८, ६४२, ६४६, ६५०, ६५२, ६६० ६६२, ६६५, ६६७, ६७० से ६८०, ६८२ से ६८७ . . ४७६४–८०

अतारांकित प्रश्न संख्या ३६३ से ३९७ . . . . . ४७८०–४८०४

दैनिक संक्षेपिका ४८०५–१०

अंक १५—शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६८८ से ६९०, ६९२, ६९४ से ६९७, ६९९, ७०१, ७०३, ७०५ से ७०८, ७११ से ७१३, ७१५ से ७१९, ६९८ और ७०२ ४८११–५२

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ६९१, ६९३, ७००, ७०४, ७०९, ७१० और ७१४ ४८५२–५६

अतारांकित प्रश्न संख्या ३९८ से ४२० ४८५६–७०

दैनिक संक्षेपिका ४८७१–७४

अंक १६—सोमवार, १२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७२१, ७२२, ७२५ से ७३२, ७३४, ७३८ से ७४०, ७४३ से ७४६, ७४८ से ७५०, ७२४, ७३५ और ७२३ . . . ४८७५–४९१६

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ७२०, ७३३, ७३६, ७३७, ७४१, ७४२ और ७४७ . . . ४९१६–२१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४२१ से ४४० . . . . . ४९२१–३६

दैनिक संक्षेपिका ४९३६–४०

अंक १७—मंगलवार, १३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५२ से ७६१, ७६३ से ७७३, ७७५, ७७९, ७८०, ७८४ से ७८६, ७८८ और ७८९ . . . ४९४१–८५

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ३ . . . . ४९८५–८८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ७५१, ७६२, ७७०क, ७७४, ७७६ से ७७८, ७८१ से ७८३, ७९० से ८०५ और ८०७ . . . . . ४९८८–५००४

अतारांकित प्रश्न संख्या ४४१ से ४८९ . . . . ५००४–३२

दैनिक संक्षेपिका ५०३३–४०

अंक १८—बुधवार, १४ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८०८, ८०९, ८१५ से ८१७, ८२०, ८२४, ८२५, ८२८ से ८३२, ८३४ से ८३६, ८३८, ८१४, ८१२, ८२३ और ८२७. . . ५०४१–७४

प्रश्नों के लिखित उत्तर— . . . . .

तारांकित प्रश्न संख्या ८१०, ८११, ८१३, ८१८, ८१९, ८२१, ८२२, ८२६, ८३३ और ८३७ . . . . . ५०७५–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ४९० से ५२२ . . . . ५०८१–५१०६

दैनिक संक्षेपिका ५१०७–१०

अंक १९—गुरुवार, १५ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८४०, ८४४ से ८४८, ८५०, ८५३ से ८५६, ८५८, ८५९, ८६१, ८६२, ८६४, ८६५, ८६७, ८७१, ८७३, ८७४, ८७६, ८७८ से ८८०क ५१११–५४

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८३६, ८४१ से ८४३, ८४६, ८५१, ८५२, ८५७, ८६०, ८६३, ८६६, ८६८ से ८७०, ८७२, ८७५, ८७७, ८८१ से ८८८ और १७३ . . . ५१५४–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ५२३ से ५६१ . . . . . ५१७०–९६

दैनिक संक्षेपिका ५१९७–५२०२

अंक २०—शुक्रवार, १६ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९१, ८९३, ८९४, ८९६, ८९७, ८९९ से ९०५, ९११ से ९१३, ९१५, ९१७, ९१९, ९२१ से ९२५, ९२७ से ९३१, ९३३ और ९३५ से ९४० . ५२०३–४८

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ४ . . . . . . ५२४८–५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ८९०, ८९२, ८९५, ८९८, ९०६ से ९१०, ९१४, ९१६, ९१८, ९२०, ९२६, ९३२ और ९३४ . . ५२५१–६१

अतारांकित प्रश्न संख्या ५६२ से ६२७ . . . . ५२६१–५३१२

दैनिक संक्षेपिका ५३१३–२०

अंक २१—शनिवार, १७ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ५ . . . . ५३२१–२४

दैनिक संक्षेपिका ५३२५-२६

अंक २२—सोमवार, १९ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४४, ९४३, ९४५ से ९४८, ९५०, ९५१, ९५३ से ९५५, ९५७ से ९५९, ९६१, ९६२, ९६४, ९६७, ९६९ से ९७१, ९७३ और ९७५ . . . . ५३२७–६७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९४१, ९४२, ९४९, ९५२, ९५६, ९६०, ९६३, ९६५, ९६६, ९६८, ९७२, ९७४, ९७६, ९७७, ९७८ और ९७९ ५३६८–७६

अतारांकित प्रश्न संख्या ६२८ से ६५५ और ६५७ से ६६६] . . ५३७६–९८

दैनिक संक्षेपिका ५३९९–५४०२

अंक २३—मंगलवार, २० दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८० से ९८४, ९८६ से ९८८, ९९० से ९९८, १०००, १००२ से १०११ . ५४०३–४६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ९८५, ९८९, ९९९, १००१, १०१२ से १०४४ ५४४६–७०

अतारांकित प्रश्न संख्या ६६७ से ७१४ और ७१६ से ७२३ ५४७०–५५०२

दैनिक संक्षेपिका ५५०३–१०

अंक २४—बुधवार, २१ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०४५ से १०५२, १०५५, १०५७, १०५९, १०६१ से १०६७, १०७० से १०७२, ३५३, १०७४, १०७५, १०७७, १०७८, ११०६, १०७९ से १०८५. ५५११–५६

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या १०५३, १०५४, १०५६, १०५७, १०६०, १०६८, १०६९, १०७३, १०७६, १०८६ से ११०५, ११०७ से १११९, ५१७ ५५५७–८१

अतारांकित प्रश्न संख्या ७२४ से ८२५, ८२५-क, ८२६ से ८४५, ८४५क, ८४६ से ८६३ ५५८१–५६७०

दैनिक संक्षेपिका ५६७१–८२

अंक २५—शुक्रवार, २२ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२० से ११२५, ११२७ से ११३६, ११३९ से ११५१ ५६८३–५७२९

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११२६, ११३७, ११३८, ११५२ से ११६२ ५७२९–३६

अतारांकित प्रश्न संख्या ८६४ से ९१४, ९१६ से ९३४ और ९३४-क ५७३६–८०

दैनिक संक्षेपिका ५७८१–८२

अंक २६—शुक्रवार, २३ दिसम्बर, १९५५

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६३, ११६४, ११६८, ११७०, ११७२ से ११८३, ११८५ से ११९०, ११९३ से ११९५ . . . ५७८९—५८३४

अल्प सूचना प्रश्न संख्या ६ और ७ . . . ५८३४—३८

प्रश्नों के लिखित उत्तर—

तारांकित प्रश्न संख्या ११६५ से ११६७, ११६९, ११७१, ११८४, ११९१, ११९२, ११९६ से १२०७ . . . ५८३८—५२

अतारांकित प्रश्न संख्या ९३५ से ९९५, ९९५-क, ९९६ से १०१२ और १०१४ . . . . ५८५२—५९०२

दैनिक संक्षेपिका . . . . . . ५९०३—१०

GIPND—NSH—477 LSD—1-3-58—175

लोक-सभा

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई ।

[अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

चीन के साथ विद्यार्थियों का आदान प्रदान

***३७८. श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारत और चीन के बीच विद्यार्थियों के आदान प्रदान की योजना का विस्तार करने के सम्बन्ध में विचार किया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उसकी रूपरेखा क्या है ; और

(ग) अभी एक दूसरे के देश में कितने विद्यार्थी अध्ययन कर रहे हैं और वे कौन से विषयों का अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) नहीं जी ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

(ग) प्रत्येक देश से दस छात्र, चीन के छात्र अंग्रेजी, परशियन, उर्दू और हिन्दी पढ़ रहे हैं और भारतीय छात्र, चीनी भाषा, चीनी इतिहास, इस्पात के कारखाने की ट्रेनिंग, चीनी अर्थशास्त्र, सिंचाई, जलगति शास्त्र (हाईड्रोलिक्स), चित्रकारी; और पीतल पर सुनहरी पालिश का कार्य सीखेंगे ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि ये विद्यार्थी जो यहां से भेजे गये हैं या वहां से लिये गये हैं वे किस योजना के अन्तर्गत भेजे या लिये गये हैं ?

डा० एम० एम० दास : दो योजनायें हैं। एक तो है १९५५–५६ की विदेशी भाषा छात्रवृत्ति योजना और दूसरी योजना है चीन के साथ विद्यार्थियों की विनिमय के सम्बन्ध में ।

श्री श्रीनारायण दास : क्या मैं जान सकता हूं कि हिन्दुस्तान से और विद्यार्थी भेजे जाने वाले हैं, यदि हां, तो वे कब भेजे जाने वाले हैं ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक भारतीय विद्यार्थियों का सम्बन्ध है, उनका चुनाव अभी उस दिन किया गया है । भारतीय विद्यार्थी अभी चीन के लिये रवाना नहीं हुये हैं। चीनी विद्यार्थी भारत आ गये हैं।

श्री श्रीनारायण दास : इस तरह के विद्यार्थियों का चुनाव किस तरह होता है ?

डा० एम० एम० दास : यथाविधि गठित एक चुनाव समिति द्वारा ।

श्री बी० एस० मूर्त्ति : क्या मैं जान सकता हूं कि चीनी भाषा और साहित्य का अध्ययन करने के लिये चुने गये विद्यार्थियों की संख्या कितनी है ?

डा० एम० एम० दास : पृथक् पृथक् आंकड़े मेरे पास नहीं हैं । विदेशी भाषा छात्रवृत्ति के अन्तर्गत दस विद्यार्थी हैं चीनी

भाषा के लिये तीन विद्यार्थी हैं और अन्य सात विद्यार्थी अन्य विषयों के लिये, जैसा कि मैं पहले ही बता चुका हूं ।

गांधी विचारधारा सम्बन्धी गवेषणा

***३७९. श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या विश्वविद्यालयों में गांधी विचारधारा सम्बन्धी गवेषणा आदि को प्रोत्साहन देने के प्रश्न पर विचार किया जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास : हां, जी ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि यूनिवर्सिटीज़ में जो गांधियन विचारधारा का अनुसंधान किया जा रहा है उसकी रूपरेखा क्या है ?

डा० एम० एम० दास : उसकी रूप-रेखा अभी निर्धारित की जानी है। **अभी तो** केवल प्रस्ताव ही हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार यूनिवर्सिटीज़ को इस काम के लिये कुछ विशेष अनुदान देने की बात सोच रही है ? यदि हां, तो क्या इस पर विचार किया गया है और किया गया है तो क्या ?

डा० एम० एम० दास: हमारे कुछ विश्वविद्यालयों में गांधी विचारधारा के अध्यापक पीठ स्थापित किये जाने सम्बन्धी सिफ़ारिशें सरकार के विचाराधीन हैं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार: क्या मैं जान सकता हूं कि इस मामले की जांच के लिये जो उपसमिति नियुक्त की गई थी क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत कर दिया है ?

डा० एम० एम० दास : गांधी विचार-धारा सम्बन्धी उपसमिति की पहली बैठक १२ सितम्बर, १९५५ को प्रातः हुई थी ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : क्या उसने अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं किया ?

डा० सुरेश चन्द्र : जी, नहीं ।

डा० एम० एम० दास : जी, नहीं

डा० सुरेश चंद्र : क्या यह सच नहीं है कि गांधी जी इस तरह की फिलासफ़ी बनाने के खिलाफ़ थे, और अगर यह सच है तो उसको क्यों फ़िलासफ़ी के रूप में लाया जा रहा है ?

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि जो सब-कमेटी है उसमें कौन कौन लोग काम कर रहे हैं और कब तक उसके काम पूरे हो जाने की आशा है ?

डा० एम० एम० दास : उपसमिति के सदस्य यह हैं :—

श्री काका साहेब कालेलकर,
श्री प्यारेलाल,
श्री आबिद हुसैन,
डा० कारतरन कुमारप्पा और
श्री रामचन्द्रन

सशस्त्र बलों में आत्महत्यायें

***३८०. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या विगत तीन वर्षों में सशस्त्र बलों में आत्महत्या के कोई मामले हुये हैं ; और

(ख) यदि हां, तो आत्महत्या के मामलों की यह संख्या उससे पूर्व के तीन वर्षों में हुये ऐसे मामलों की संख्या की तुलना में कसी है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). इस तरह की जानकारी देना लोक हित में नहीं है । किन्तु यह कहा जा सकता है कि समस्या ऐसी नहीं है जिससे कि किसी प्रकार की चिन्ता हो सके ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या इन आत्महत्याओं के कारणों की कोई जांच की गई थी ?

सरदार मजीठिया : जी हां । आत्महत्या के प्रत्येक मामले की उचित जांच एक जांच न्यायालय द्वारा की जाती है ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या आत्महत्या के कारणों की जानकारी देना भी लोक हित के विरुद्ध होगा ।

सरदार मजीठिया : नहीं । वह मैं बता सकता हूं। आत्महत्या के कारण अधिकांशतः घरेलू और आर्थिक चिन्तायें, मानसिक और शारीरिक रोग, प्रेम में निराशा और दंड का भय आदि हैं।

श्री एन० आर० मुनिस्वामी : क्या मैं जान सकता हूं कि क्या कोई ऐसे भी मामले थे जिनमें आत्महत्या का प्रयत्न किया गया था, और यदि हां, तो कितने ?

सरदार मजीठिया : इसके लिये मैं पूर्व-सूचना चाहता हूं ।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : जब कि पिछली बार रक्षा कर्मचारियों में हुई आत्महत्याओं के आंकड़े दिये गये थे तब उससे जनता में काफी दिलचस्पी उत्पन्न हुई थी और यहां तक कि कतिपय दैनिकों ने अपने सम्पादकीय लेखों में उसकी निन्दा करते हुये आत्महत्या के कारणों की पूर्णरूपेण जांच करने के लिये सरकार से कहा था । सरकार की इस सम्बन्ध में क्या प्रतिक्रिया हुई है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैं पहले ही कह चुका हूं कि प्रत्येक मामले की जांच एक जांच न्यायालय द्वारा की जाती है, सभी कारणों पर जांच की जाती है, सभी साक्ष्यों पर विचार किया जाता है और तथ्य क्या हैं यह हम अवश्य जान जाते हैं ।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : जनता को किसी प्रकार की गलतफ़हमी न हो इसलिये मैं सदन को यह बता दूं कि प्रतिशतता तेज़ी से कम हो रही है । जो प्रतिशतता तीन वर्ष पूर्व थी उसकी अब ६० प्रतिशत रह गई है ।

खेल कूद

***३८१. श्री बी० पी० नायर** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि शिक्षा मंत्रालय ने १९५४ और १९५५ (१-१०-१९५५ तक) में इन बातों पर कितनी धनराशि व्यय की है :—

(क) मंत्रालय के कर्मचारियों के खेलने के लिये कोर्टों इत्यादि के निर्माण पर; और

(ख) खेल-कूद और शारीरिक व्यायाम के साधनों के अर्जन पर ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). शिक्षा मंत्रालय ने अपने आयव्ययक में इस कार्य के लिये कोई धनराशि व्यय नहीं की है। मैं यहां यह बता दूं कि केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को खेलकूद की सुविधायें देने के लिये गृह-कार्य मंत्रालय उत्तरदायी है और इसके लिये उसके पास निधियां हैं ।

श्री बी० पी० नायर : माननीय सभा सचिव ने बताया कि इस विशिष्ट उद्देश्य के लिये मंत्रालय ने कोई धनराशि व्यय नहीं की है। क्या मैं जान सकता हूं कि शिक्षा मंत्रालय के कितने प्रतिशत कर्मचारी नियमित रूप से शारीरिक व्यायाम में भाग ले रहे हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे इस सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री बी० पी० नायर : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि जहां तक खेलकूद की योजनाओं का सम्बन्ध है आयोजन शिक्षा मंत्रालय के सर्वछादी नियंत्रण में है, क्या मैं जान सकता हूं कि क्या मंत्रालय द्वारा अपने कर्मचारियों को शारीरिक व्यायाम करने के

लिये प्रोत्साहित करने के लिये कोई कार्य-वाही की गई है, और क्या कोई ऐसी योजना विचाराधीन है जिसके अन्तर्गत कम से कम कर्मचारियों को अपने कार्यालय के निकट ही दैनिक खेलों में भाग ले सकने योग्य बनाया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : जहां तक शिक्षा मंत्रालय के कर्मचारियों का प्रश्न है, केन्द्रीय सरकार उन्हें अन्य मंत्रालयों के अन्तर्गत कार्य करने वाले कर्मचारियों से अलग करके एक विशेष श्रेणी के रूप में रखना उचित नहीं समझती है ।

प्राकृतिक गैस

*३८३. **श्री एस० सी० सामन्त :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५२ के बाद भारत सरकार के भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग के क्षेत्रकर्मियों द्वारा भारत के किसी भी भाग में प्राकृतिक गैस का खोज लगाया गया है ;

(ख) यदि हां, तो उन स्थानों के नाम क्या हैं और संभवतः उपलब्ध होने वाली गैस की मात्रा और गुण क्या हैं ;

(ग) क्या इस सम्बन्ध में सावधानी से प्रयोगशाला सम्बन्धी परीक्षण किये गये हैं ; और

(घ) यदि हां, तो उसका उचित उपयोग करने के लिये राज्य सरकारों को परामर्श दिया गया है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) जी नहीं ; १९५२ के बाद से नहीं ।

(ख) से (घ). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या यह सच नहीं कि १९५२ के उपरान्त दो स्थानों में एक तो आन्ध्र में तालिकापन और दूसरे मद्रास में नेयापाथुर में, प्राकृतिक गैस को खोज निकाला गया था ?

श्री के० डी० मालवीय : हमारे देश में कई ऐसे क्षेत्र हैं जहां प्राकृतिक गैस पाई गई है, किन्तु उन सभी स्थानों का पता १९५२ से पहले लगा था । माननीय सदस्य द्वारा निर्दे-शित उक्त दो स्थान, जिनमें नेयापाथुर भी शामिल है, १९५२ से पहले खोज निकाले गये थे ।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या मैं उक्त स्थानों में किये गये छेदों की लम्बाई जान सकता हूं ?

श्री के० डी० मालवीय : माननीय सदस्य का आशय संभवतः गहराई से है । मुझे किये गये छिद्रों की गहराई के सम्बन्ध में आंकड़ों की जानकारी नहीं है किन्तु मैं यह बता दूं कि इन में से अधिकांश का राष्ट्र के लिये किसी प्रकार का आर्थिक महत्व नहीं है ।

श्री सी० आर० नरसिंहन : प्राकृतिक गैस की प्राप्ति के मौजूदा और ज्ञात स्रोत कौन से हैं ? उनका निर्देश केवल १९५२ के उपरान्त की गई खोजों से है । मैं जानना चाहता हूं प्राकृतिक गैस की प्राप्ति के मौजूदा और ज्ञात स्रोत कौन से हैं और इस गैस के उपयोग किये जाने की संभावनाओं के बारे में सरकार का अपना अनुमान क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : भारत का भूतत्वीय सर्वेक्षण विभाग उक्त तेल निकासी केन्द्रों की खोज करता रहा है और अब तक ऐसे ग्यारह स्थानों के सम्बन्ध में सूचना मिली है यह खोज पिछले बीस वर्षों में की गई थी । इन में से कुछ महत्वपूर्ण केन्द्र सौराष्ट्र में बोगा दक्षिण में एक या दो और ज्वालामुखी में भी हैं । जैसा कि मैंने पहले भी निवेदन किया है उनके आर्थिक महत्व का हमने जो मुल्यांकन किया है वह कुछ अधिक नहीं है, केवल एक या दो स्थानों

के अतिरिक्त जहां कि स्थानीय कार्यों के लिये इस गैस का उपयोग किया जा सकता है।

श्री एस० सी० सामन्त : माननीय मंत्री ने कहा कि ये स्रोत १९५२ से बहुत पहले खोज निकाले गये थे। क्या मैं जान सकता हूं कि क्या अनुसंधानशाला परीक्षणों से यह ज्ञात हुआ है कि गैस में पेट्रोलियम के कोई अंश हैं और क्या इन गैसों को गर्मी उत्पन्न करने के कार्यों के लिये काम में लाया जा सकता है ?

श्री के० डी० मालवीय : हां सिद्धान्ततः अधिकांश गैसों को गर्मी उत्पन्न करने अथवा जलाने के कार्यों के लिये काम में लाया जा सकता है। उन में से कुछ का सम्बन्ध पेट्रोलियम गैस से भी है। किन्तु पेट्रोलियम से इसका निश्चित सम्बन्ध स्थापित करने से पूर्व पर्याप्त कार्य और अनुसंधान किया जाना है।

सरकार ने अभी हाल में ही तैल की खोज का कार्य प्रारम्भ किया है, और हमें आशा है कि हम कुछ तेल केन्द्रों का परस्पर सम्बन्ध अपनी पेट्रोलियम की खोज से स्थापित कर सकेंगे।

दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें

***३८५. श्री डाभी** : क्या गृह-कार्य मंत्री १३ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ७०५ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) दिल्ली में सड़क दुर्घटनाओं को कम करने के लिये सरकार ने वास्तव में क्या कार्यवाही की है ; और

(ख) उनके क्या परिणाम निकले हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) तथा (ख). आवश्यक जानकारी देने वाला एक विवरण सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १६]**

श्री डाभी : विवरण में कहा गया है कि साइकिल चलाने वालों को इश्तिहारों और प्रेस टिप्पणों के द्वारा अपनी साइकिलों में लैम्प, अच्छे ब्रेक, घंटियां और रिफ्लैक्टर लगाने और एक साइकिल पर दो व्यक्तियों के न बैठने का परामर्श दिया गया है। क्या इस परामर्श के परिणामस्वरूप, साइकिल चलाने वालों ने एक साइकिल पर दो या तीन को बैठाना बन्द कर दिया है ?

श्री दातार: दुःख की बात है कि उन्होंने उस सीमा तक उसे बन्द नहीं किया है जितना कि उन्हें चाहिये था, और सरकार उनके विरुद्ध कार्यवाही करेगी।

श्री डाभी : यातायात विनियमों का उल्लंघन करने के लिये चालू वर्ष में कितने साइकिल वालों का चालान किया गया है ?

श्री दातार : मेरे पास ये आंकड़े नहीं हैं।

श्री डाभी : भाग (ख) के उत्तर के विवरण में कहा गया है कि १-१-५५ से ३१-१०-५५ के बीच हुई दुर्घटनाओं की संख्या १९५४ में इसी अवधि में हुई दुर्घटनाओं की संख्या से कुछ कम है। क्या मैं तुलनात्मक आंकड़े जान सकता हूं ?

श्री दातार : मैंने पिछले अवसर पर माननीय सदस्य को आंकड़े बता दिये थे। १ जनवरी, और ३१ अक्तूबर, १९५४ के बीच, ९२५ दुर्घटनायें हुई थीं और १ जनवरी से ३१ अक्तूबर, १९५५ के बीच ९२१ दुर्घटनायें हुई हैं। घायल व्यक्तियों की संख्या भी कम है।

श्री कामत : सभा पटल पर रखे गये विवरण में कहा गया है कि बम्बई यातायात पुलिस के दो अधिकारी दिल्ली यातायात कर्मचारियों को प्रशिक्षण देने के लिये दिल्ली लाये गये थे। क्या राष्ट्रीय स्तर पर या प्रादेशिक स्तर पर इस काम के लिये एक स्थायी यातायात प्रशिक्षण स्कूल खोलने का प्रस्ताव सरकार के सामने है ?

श्री दातार : यदि यह प्रश्न उत्पन्न होगा तो सरकार इस पर विचार करेगी। अभी सरकार यह, अनुभव करती है कि कलकत्ता और बम्बई दोनों जगह प्रशिक्षण प्राप्त करने के पश्चात् स्थिति में सुधार हो जायेगा।

श्री कासलीवाल : दिल्ली के कितने मुख्य राजपथों पर साइकिलों के लिये पृथक् रास्ते बनाये गये हैं ?

श्री दातार : इसकी पूर्व सूचना की आवश्यकता है।

हिन्दी अध्यापक

*३८७. **श्री कृष्णाचार्य जोशी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हिन्दी अध्यापकों के लिये प्रशिक्षण संस्थायें खोलने में राज्य सरकारों को सहायता देने का निर्णय किया है ; और

(ख) यदि हां, तो किस प्रकार की सुविधायें दी जायेंगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्, सरकार ने अहिन्दी भाषी राज्यों के मामले में ऐसा करने का निश्चय किया है।

(ख) वित्तीय सहायता प्रतिशतता के आधार पर दी जाती है।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मैं जान सकता हूं कि यह केन्द्रीय सरकारी सहायता किन किन राज्यों को दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास एक सूची है। इन राज्यों ने केन्द्रीय सरकार से सहायता प्राप्त की है :—त्रावनकोर-कोचीन, कुर्ग, पश्चिम बंगाल, बम्बई, पंजाब, त्रिपुरा, कच्छ, हैदराबाद, सौराष्ट्र और बम्बई।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : इस स्कीम के अन्तर्गत कितने शिक्षकों को ट्रेनिंग दी गई है ?

डा० एम० एम० दास : अभी हमें राज्य सरकारों से इस आशय के कोई प्रतिवेदन प्राप्त नहीं हुये हैं।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : क्या मद्रास राज्य से रकम की मांग की गई थी ?

डा० एम० एम० दास : इसमें मद्रास का नाम नहीं है। इस योजना के अन्तर्गत, केन्द्रीय सरकार की ओर से मद्रास राज्य सरकार को कोई वित्तीय सहायता नहीं दी गई है।

श्री० एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता हूं कि जो यह सहायता हिन्दी शिक्षार्थियों को दी जाती है वह सरकारों के द्वारा दी जाती है या प्राइवेट इंस्टीट्यूशन्स के द्वारा भी दी जाती है जो कि इस काम को करते हैं ?

डा० एम० एम० दास : कुछ भ्रान्ति है। मैंने जो उत्तर दिया है वह राज्य सरकारों को हिन्दी अध्यापकों के प्रशिक्षण देने के लिये दी गई वित्तीय सहायता से सम्बन्ध रखता है, अन्य कामों के लिये नहीं। यदि माननीय सदस्य यह जानना चाहते हैं कि हिन्दी की उन्नति के लिये कितनी धन राशि दी गई है, तो उसकी एक पृथक् सूची है, जिसमें प्रायः सभी राज्य आ गये हैं।

श्री टी० एस० ए० चेट्टियार : इस बात को ध्यान में रखते हुये कि अहिन्दी प्रदेशों में हिन्दी की उन्नति के लिये अधिक प्रोत्साहन दिये जाने की आवश्यकता है, क्या ऐसा कोई सुझाव है कि दूसरी पंचवर्षीय योजना में वृत्तियों आदि के लिये दिया जाने वाला आवर्त्तक व्यय का केन्द्रीय सरकार का भाग बढ़ा दिया जाये ?

डा० एम० एम० दास : इस समय यद्यपि यह हो सकता है कि मैं गलती पर हूं

किन्तु मैं समझता हूं कि केन्द्रीय सरकार आवर्ती तथा अनावर्ती व्यय का ६६ प्रतिशत दे रही है। दूसरी पंचवर्षीय योजना में इस राशि के बढ़ाये जाने के किसी प्रस्ताव का मुझे पता नहीं है।

भारतीय नौसेना

*३८८. **श्री रघुनाथ सिंह** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जहाजों को रेडियो सक्रियता से बचाने के लिये दूसरी नौसेनाओं के जहाजों में पानी की बौछारें लगाई जा रही हैं, और

(ख) यदि हां, तो भारतीय नौसेना के जहाजों में भी इसी प्रकार की पानी की बौछारें लगाये जाने के लिये भारत सरकार द्वारा क्या कार्यवाही की जा रही है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया : (क) जी, हां।

(ख) हमारे नये जहाजों में बौछार करने वाले उपकरण लगाये जायेंगे।

श्री रघुनाथ सिंह : पुराने जहाजों का क्या होगा ?

सरदार मजीठिया: पुराने जहाजों में यह उपकरण नहीं लगाया गया है। हमें विश्वास है कि हम किसी भी युद्ध में भाग नहीं ले रहे हैं।

श्री रघुनाथ सिंह : युद्ध में भाग लेने का प्रश्न नहीं है। यह तो रेडियो सक्रियता के प्रभाव का प्रश्न है। क्या रेडियो सक्रियता ने कभी किसी भी समय हमारे जहाजों पर प्रभाव डाला है ?

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : और मनुष्यों पर भी ?

सरदार मजीठिया : इसने किसी भी समय हमारे जहाजों पर प्रभाव नहीं डाला है और न ही समझता हूं कि यह प्रभाव डालेगी।

श्री एम० एल० द्विवेदी क्या मंत्री को यह ज्ञात हुआ है कि आधुनिक जहाजों में एक विशेष प्रकार का रोज़िन फाइबर ग्लास का उपयोग किया जा रहा है ? क्या उस प्रकार की किसी वस्तु के रक्षा मंत्रालय द्वारा नौसेना सम्बन्धी कामों में प्रयोग किये जाने की संभावना है ?

सरदार मजीठिया : जब यह प्रश्न उपस्थित होगा उस समय हम इस पर विचार करेंगे।

नासिक में हवाई अड्डा

*३८९. **श्री गिडवानी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि नासिक में एक हवाई अड्डा बनाया जा रहा है ;

(ख) यदि हां, तो इसके निर्माण पर क्या लागत आयेगी ; और

(ग) यह कब पूरा हो जायेगा ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) तथा (ग). प्रश्न उत्पन्न नहीं होते।

श्री भट्ट : यदि यह कोई हवाई अड्डा नहीं तो क्या यह जहाजों के उतरने का मैदान है ?

सरदार मजीठिया : यह न हवाई अड्डा है, न ही जहाजों के उतरने का मैदान है।

बुद्ध जयन्ती

*३९१. **श्री भक्त दर्शन**: क्या शिक्षा मंत्री ८ सितम्बर, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या १५७९ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) बुद्ध भगवान के निर्वाण की २५००वीं जयन्ती मनाने के सम्बन्ध में बौद्ध धर्म से सम्बन्धित या दिलचस्पी रखने

वाले प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण देने का जो प्रश्न विचाराधीन था उसके बारे में तब से क्या कोई अन्तिम निश्चय किया गया है ; और

(ख) यदि हां, तो उन व्यक्तियों के नाम क्या हैं वे किन किन देशों से आमंत्रित किये जा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५६ में २५००वीं बुद्ध जयन्ती में शामिल होने के लिये बौद्ध देशों से लगभग १०० प्रमुख व्यक्तियों को निमंत्रण देने का निर्णय किया गया है ।

(ख) जिन व्यक्तियों को निमंत्रण दिया जायेगा उनकी अन्तिम सूची अभी तैयार नहीं हुई है ।

श्री भक्त दर्शन : क्या यह बताने की कृपा की जायेगी कि यह जो निमंत्रण दिये जा रहे हैं अथवा जो बहुत ही अन्तर्राष्ट्रीय महत्व का यह समारोह होने वाला है, उसके सम्बन्ध में क्या कोई विशेष समिति बनाई गई है और यदि बनाई गई है तो उसके सदस्य कौन कौन सज्जन हैं ?

डा० एम० एम० दास : इस काम के लिये एक उच्च-शक्ति सम्पन्न समिति नियुक्त की गई है जिसके सभापति भारत संघ के उपराष्ट्रपति हैं, और उत्तर प्रदेश, बिहार तथा भोपाल के मुख्य मंत्री सदस्य हैं ।

श्री भक्त दर्शन : यद्यपि अभी उन व्यक्तियों के बारे में निर्णय नहीं हो पाया जिनको कि निमंत्रण दिया जायेगा, क्या मैं इतना जान सकता हूं कि किन किन देशों व संस्थाओं के प्रतिनिधियों को निमंत्रण देने का विचार किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : आशा की जाती है कि कनाडा, संयुक्त राज्य अमरीका, श्रीलंका, ब्रह्मा, चीन, इण्डोनेशिया, यूगोस्लाविया, तिब्बत, सोवियत रूस, इटली, थाईलैंड, नेपाल, फ्रांस, इंगलिस्तान, जर्मनी, जापान, और चेकोस्लोवाकिया से प्रतिनिधि निमंत्रित किये जायेंगे ।

डा० एस० एन० सिंह : क्या तिब्बत से दलाई लामा को भी आमंत्रित करने का विचार किया जा रहा है ?

डा० एम० एम० दास : मैंने कहा है कि अभी सूची को अन्तिम रूप नहीं दिया गया है ।

श्री बी० डी० पांडे : इन निमंत्रणों का आधार क्या होगा , धार्मिक, नैतिक, आध्यात्मिक, सांस्कृतिक ?

श्री कामत : कूटनीतिक ।

डा० एम० एम० दास : सांस्कृतिक ।

अध्यक्ष महोदय : जिन माननीय सदस्य ने अभी प्रश्न पूछा है, क्या मैं उनका ध्यान इस बात की ओर आकर्षित कर सकता हूं कि उन्होंने अपना स्थान बदल लिया है ।

श्री बी० डी० पांडे : श्रीमान्, वह मेरे पूर्वाधिकारी का स्थान था ।

अध्यक्ष महोदय : किन्तु वह वहां बैठा करते थे ।

श्री बी० डी० पांडे : मुझे कुछ मित्रों ने मुझसे यहां आने के लिये कहा था इसलिये मैं यहां आ गया ।

अध्यक्ष महोदय: उन्हें अब अपना स्थान नहीं बदलना चाहिये , वह इसी स्थान पर बैठ सकते हैं ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं यह जानना चाहता था कि...

अध्यक्ष महोदय : उन्हें पहले अपने प्रश्न का स्मरण करके प्रश्न पूछना चाहिये ।

मेरी सेटन को निमंत्रण

***३९२. श्री हेडा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि ब्रिटिश चल-चित्र संस्था, लन्दन की कुमारी मेरी सेटन को भारत आने का निमंत्रण दिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो निमंत्रण का क्या उद्देश्य है?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) श्रव्य-दृश्य शिक्षा और सिनेमा में दिलचस्पी रखने वाले वर्गों के लिये भाषण देने के हेतु ।

श्री हेडा : क्या अन्य देशों के शिक्षा-विदों पर अन्य व्यक्तियों को ऐसे निमंत्रण दिये गये, हैं, और यदि हां, तो उनके क्या नाम हैं ?

डा० एम० एम० दास : मुझे कोई जानकारी नहीं है कि क्या अन्य देशों के शिक्षाविद निमंत्रित किये गये हैं।

श्री एम० एल० द्विवेदी : अब मुझे अपना प्रश्न याद आ गया है ।

अध्यक्ष महोदय : अब नहीं :

श्री हेडा : इस पर कुल कितना व्यय होगा?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार ने कुमारी मेरी सेटन को भारत में अपने यात्रा व्ययों की पूर्ति के लिये केवल ३,००० रुपये दिये थे ।

श्री हेडा : क्योंकि मंजूर की गई रकम बहुत थोड़ी है, इसलिये क्या यह प्रस्ताव इंगलिस्तान द्वारा किया गया था ?

डा० एम० एम० दास : श्रीमान्, हमने निमंत्रण भेजा था; हमने निमंत्रित किया है।

संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद्वृत्तियें

***३९४. श्री विभूति मिश्र** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या संयुक्त राष्ट्र संघ ने अपने समाज कल्याण परिषद्वृता और छात्रवृत्ति कार्यक्रम के अन्तर्गत भारत सरकार को १९५६ के लिये चार परिषद्वृतायें देने के प्रस्ताव किय है;

(ख) यदि हां, तो चुने गये अभ्यर्थियों के क्या नाम हैं, और

(ग) उनके चुनाव का क्या आधार था ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास :) : (क) हां, श्रीमान ।

(ख) अभी ज्ञात नहीं हुए हैं। अन्तिम चुनाव संयुक्त राष्ट्र संघ द्वारा किया जायेगा, जिसके निर्णय की अभी प्रतीक्षा है ।

(ग) योग्यता ।

श्री विभूति मिश्र : मैं जानना चाहता हूं कि स्कालरशिप्स दे कर जो विद्यार्थी शिक्षा पाने के लिये भेजे जायेंगे उनको किस तरह की शिक्षा दी जायेगी ?

डा० एम० एम० दास : ये परिषद्वृतायें इन विद्यार्थियों को इन विषयों का अध्ययन करने का अवसर देंगी :

सामाजिक विकास, सामान्य, समाज कल्याण प्रशासन, समाज, परिवार और बाल कल्याण, सामान्य प्रकार के सामाजिककार्य, बच्चों के लिये सामाजिक कार्य, प्रव्रजन, सामाजिक रक्षा, अपाहिजों का पुनर्संस्थापन, आवास, नगरीय और ग्रामीण आयोजन, जनसंख्या के आंकड़े और गवेषणा, मानवीय अधिकार और मूल स्वतन्त्रतायें ।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : सभा सचिव ने अभी कहा कि चुनाव योग्यता के आधार पर किया जायेगा। जिन छात्रों की सिफारिश की गई है, उनका चुनाव किस योग्यता के आधार पर किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : केवल उन विद्यार्थियों के मामलों पर, जो पर्याप्त शिक्षा संबंधी योग्यता रखते हैं और जिनकी सिफारिश राज्य सरकारों, केन्द्रीय मंत्रालयों, विश्वविद्यालयों और केन्द्रीय समाज कल्याण बोर्ड द्वारा इस गारंटी पर की गई थी कि उन्हें विदेश से प्रशिक्षण प्राप्त करके लौट आने पर सेवायुक्त कर लिया जायेगा, उपर्युक्त छात्रवत्तियां दिये जाने के लिये विचार किया गया था।

डा० सुरेश चन्द्र : भारत सरकार के किस अभिकरण के द्वारा इन विद्यार्थियों का चुनाव किया जायेगा ?

डा० एम० एम० दास : एक यथाविधि संगठित चुनाव समिति पहले से ही थी यदि माननीय सदस्य चाहें तो मैं उनके नाम पढ़ कर सुना सकता हूं।

डा० सुरेश चन्द्र : हां मैं नाम जानना चाहता हूं।

डा० एम० एम० दास : नाम इस प्रकार हैः

श्री के० जी० सैय्यदैन, शिक्षा मंत्रालय के अतिरिक्त सचिव, श्री ई० बी० जोशी, शिक्षा मंत्रालय के उपसचिव, श्री जे० एन० कोरी, यूनाइटेड नेशन्स टेक्निकल असिस्टैंटस बोर्ड के सम्पर्क पदाधिकारी, डा० टी० एस० मरानी, श्रम मंत्रालय के उपसचिव, श्री एम० एस० गोरे, दिल्ली स्कूल आफ सोशल वर्क के प्रिंसिपल श्री सी० बी० पटेल, निर्माण, आवास और संभरण मंत्रालय के आवास परामर्शदाता और श्री एस० नारायणस्वामी, गृह कार्य मंत्रालय के उप सचिव :

अमरीका की मध्य पूर्वी स्थित सेनाओं के सेनापति की भारत यात्रा

*३६५. **श्री गोपाल राव** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या अक्टूबर १६५५ में अमरीका की मध्यपूर्व में सेनाओं के सेनापति भारत आये थे;

(ख) यदि हां, तो उनके आने का उद्देश्य क्या था;

(ग) क्या उन्होंने सरकार से विचार विमर्श किया था; और

(घ) यदि हां, तो यह विचार विमर्श किस सम्बन्ध में किया गया था?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) जी हां।

(ख) अनौपचारिक सौजन्य यात्रा।

(ग) नहीं।

(घ) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री गोपाल राव : क्या अब हमारे से सेनापतियों को भी वहां जाने का कोई प्रस्ताव है और गोआ व काश्मीर के प्रश्न तथा एशिया के दशों की स्वतन्त्रता के प्रश्न के संबंध में इस सरकार की नीतियों की दृष्टि से क्या यह उचित है कि जनता की इच्छाओं के विरुद्ध एसे संबंध या विचार विमर्श किये जायें ?

डा० काटजू : यह यात्रा लगभग ३ या ४ दिन की या अधिक से अधिक एक सप्ताह की थी। एक स्थान पर वह कुछ घंटों से अधिक नहीं ठहर थे और मैं समझता हूं कि ऐसी भेंटों में कोई भी हानि नहीं है। गोआ से इसका कोई संबंध नहीं है।

श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी : क्या यह सच नहीं है कि मध्य पूर्व रक्षा संगठन से अमरीका का घनिष्ट संबंध है और मैं जानना चाहता हूँ कि क्या इस सेनापति की भारत यात्रा का मध्यपूर्व रक्षा संगठन से कोई संबंध नहीं है।

डा० काटजू : इन सज्जन के कहीं और जाने का तो कोई प्रश्न ही नहीं है। वह दिल्ली आये और कहीं गये तथा कुछ सौजन्य यात्रायें कीं और कुछ नहीं किया।

सुगंधित तेल

***३९६. श्री इब्राहीम** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगें कि :

(क) सुगंधित तेलों संबंधी उद्योग के विकास में अब तक कितनी प्रगति हुई है :

(ख) क्या कुछ गवेषणा केन्द्र खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो उनका मुख्य काम क्या होगा; और

(घ) इस काम के लिए कितना अनुमानित धन स्वीकृत हुआ है ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) :

(क) से (घ). एक विवरण, जिसमें अपेक्षित सूचना दी है, सभा पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १७]**

श्री इब्राहीम : कौन कौन देश भारत से सुगंधित तेलों का आयात करते हैं और इन देशों को प्रतिवर्ष कितनी मात्रा में निर्यात होता है ?

श्री के० डी० मालवीय : मेरे पास निर्यात आदि के आंकड़ नहीं हैं। इस प्रश्न का संबंध केवल तेल संबंधी गवेषणा कार्य से है।

श्री इब्राहीम : देश में सुगंधित तलों क उद्योग का विकास करने के लिए द्वितीय पंचवर्षीय योजना में कितने धन की व्यवस्था की गई है ?

श्री के० डी० मालवीय : सरकार के प्राकृतिक गवेषणा मंत्रालय के प्रस्ताव योजना आयोग के विचाराधीन हैं। अतः मैं निश्चित रूप से नहीं कह सकता कि द्वितीय पंचवर्षीय योजना के लिए कितना धन स्वीकार किया जायगा।

श्री ए० एम० थामस : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्रालय ने अगिया घास से तेल निकालने की संभावनाओं संबंधी गवेषणा कार्य की ओर ध्यान दिया है और उसका क्या परिणाम रहा है ?

श्री के० डी० मालवीय : अगिया घास से तेल निकालने के संबंध में गवषणायें हो रही हैं और यह कार्य कदाचित राष्ट्रीय रासायनिक गवेषणा संस्था और वन गवेषणा, संस्था, देहरादून में हो रहा है। जहां तक इस बारे में विशिष्ट प्रगति करने का प्रश्न है, मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ।

श्री वी० पी० नायर : क्या घरेलू भभकों में अगिया घास और विभिन्न प्रकार की 'सिम्बोपोगोन' घास से निकाले गये तेल में 'सिट्रोल' अंश के प्रमाणीकरण के संबंध में कोई गवषणा की गई है और यदि उसके कोई परिणाम निकले हैं तो क्या ?

श्री के० डी० मालवीय : मैं पूर्व सूचना चाहता हूं।

बहु-उद्देशीय स्कूल

***३९७. श्री के० सी० सोधिया** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) एक माध्यमिक स्कूल को बहु-उद्देशीय स्कूल में परिवर्तित करने के लिये कितनी आवर्त्तक और अनावर्त्तक धनराशि की आवश्यकता पड़ती है;

(ख) इन बहु-उद्देशीय स्कूलों में कौन कान से अतिरिक्त विषय पढ़ाये जायेंगे ;

(ग) क्या इन अतिरिक्त विषयों के लिय पाठ्यक्रम तैयार कर लिये गये हैं; और

(घ) इन विषयों को पढ़ाने के लिये शिक्षकों को प्रशिक्षित करने के लिये क्या व्यवस्था की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास): (क) से (घ). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १८]**

श्री के० सी सोधिया : इस विवरण के भाग (घ) में ६०,००० रु० अनावर्त्तक और २०,००० रु० आवर्त्तक प्रति केन्द्र की लागत का जिक्र है। मैं जानना चाहता हूं कि इसमें से कुछ रुपया स्टेट्स को भी दिया गया है, और अगर दिया गया है तो कितना ?

डा० एम० एम० दास : पूर्ण योजना के अधीन वित्तीय सहायता लगभग समस्त राज्य सरकारों को दी गई है और कुल धन चार करोड़ रुपये से अधिक है।

श्री के० सी० सोधिया : भाग (क) के जबाब में कहा गया है कि "ऐसे स्कूलों में आरम्भ किये जाने वाले विभिन्न विषयों के पाठ्य-क्रम अब भी विचाराधीन हैं।" मैं जानना चाहता हूँ कि ये स्कूल खुल चुके हैं या नहीं ?

डा० एम० एम० दास : जी हां। कुछ राज्य सरकारों ने अपने स्कुल खोल दिये हैं।

श्री के० सी० सोधिया : सिलेबस तैयार नहीं है तो काम कैसे चलता है ?

डा० एम० एम० दास : अभी तो उनके अपने पाठ्य-क्रम है।

श्री एल० एन० मिश्र : इन संस्थाओं के पृथक पृथक मामलों का निश्चय कैसे होता है। क्या यह सच है कि मामलों का निश्चय कर में अनुचित विलम्ब होता है और विशेषकर जबकि उनके बारे में जिला प्राधिकारियों की सिफारिश न हो ?

डा० एम० एम० दास : जिला प्राधिकारियों के बारे में मैं नहीं जानता परन्तु हम राज्य प्राधिकारियों के साथ व्यवहार कर रहे हैं। केन्द्रीय सरकार राज्य सरकारों की सिफारिश पर निश्चय करती है।

श्री डाभी : किस राज्य ने अपने माध्यमिक स्कूलों को बहु-उद्देशीय स्कूलों में परिवर्तित कर दिया है ?

डा० एम० एम० दास : मेरे पास विस्तृत जानकारी नहीं है, परन्तु हमने १९५४-५५ के वर्ष में २ करोड़ से अधिक रुपये दिये हैं और इस वर्ष भी हमने १,६५,३२,००० रुपये स्वीकार किये हैं। मेरा ख्याल है कि राज्य सरकार इस धन से अपना कार्य कर रही है।

भारतीय शिक्षा सेवा

*३९८. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) हाल में ही मैसूर में मुख्याध्यापकों तथा निरीक्षण अधिकारियों की जो गोष्ठी हुई थी उसकी मुख्य सिफारिशे क्या हैं; और

(ख) क्या सरकार ने उनकी एक भारतीय शिक्षा सेवा की पदाली बनाने की सिफारिश के बारे में कोई निश्चय कर लिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) मैसूर गोष्ठी की सिफारिशें अभी इस मंत्रालय में नहीं आई हैं।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता।

श्री एम० एस० गुरु पादस्वामी : गोष्ठी के अतिरिक्त, क्या सरकार ने प्रशासकीय सेवा की भांति एक शिक्षा सेवा बनाने की सम्भावना, उपयुक्तता तथा आवश्यकता के प्रश्न की जांच की है ?

डा० एम० एम० दास: मैं नहीं समझता कि गोष्ठी इन प्रश्नों पर विचार कर रही है ।

अध्यक्ष महोदय : गोष्ठी के अतिरिक्त, क्या सरकार ने इस मामले में कोई कार्यवाही की है ?

डा० एम० एम० दास : मैं पूर्व सूचना चाहता हूँ ।

रूसी खनन विशेषज्ञ

***३९९. श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा :** क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या वे नौ रूसी विशेषज्ञ आ गये हैं जिन्हें खनिज तेल के उद्योग, अलौह धातुओं के प्रयोग तथा देश में हीरे की खानों की खुदाई की समस्या की जांच करने के लिए आमन्त्रित किया गया था; और

(ख) यदि हां, तो उन्होंने किन किन शर्तों पर यह जांच करना स्वीकार किया है?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय): (क) अबतक पांच रूसी विशेषज्ञ आ गये हैं और बाकी विशेषज्ञों के शीघ्र आने की आशा है ।

आपकी अनुमति से मैं यह और बता दूं कि उसके बाद दो विशेषज्ञ और आ गये हैं ।

(ख) विशेषज्ञों को मुफ्त खाने, रहने और यात्रा संबंधी सुविधाओं के अतिरिक्त दैनिक पारिश्रमिक दिया जायेगा ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या ये विशेषज्ञ अपने विशेष ज्ञान का प्रयोग केवल उन क्षेत्रों में करेंगे जहां ये खनिज पदार्थ, विशेषकर तेल, पाया गया है या वे नया सर्वेक्षण करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : तेल क्षेत्रों तथा ऐसे तेल क्षेत्रों का जहां तेल पाये जाने का अनुमान है, वास्तविक सर्वेक्षण में उनकी सहायता लेने का अबतक हमारा कोई विचार नहीं है । ये सज्जन हमारी विद्यमान व्यवस्था का अध्ययन करने और हमें यह सलाह देने के लिए यहां आये हैं कि हम तेल की खोज और दूसरी अलौह धातु की खोजों के संबंध में अपना कार्य किस प्रकार सर्वश्रेष्ठ ढंग से कर सकते हैं ।

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा : क्या सरकार की इच्छा यह है कि इस टीम के साथ भारतीय विशेषज्ञों को रखा जाये ताकि यदि टीम वापस जाये तो हमारे आदमी काम अपने हाथ में ले सकें ?

श्री के० डी० मालवीय: ये विशेषज्ञ यहां जो भी काम करेंगे उसमें हमारे विशेषज्ञ उनके साथ रहेंगे ।

श्री बंसल : क्या ये विशेषज्ञ उन प्रयत्नों की अनुपूर्ति करेंगे जो बंगाल बेसिन में स्टेन्डर्ड वैक्युअम आयल कम्पनी और देश के अन्य भागों में अन्य समवायों द्वारा किये जा रहे हैं या वे स्वतन्त्र रूप से अपना काम करेंगे ।

श्री के० डी० मालवीय : मैं बता चुका हूँ कि इन विशेषज्ञों का काम तेल की खोज और अलौह धातुओं की खोज संबंधी काम की व्यवस्था के बारे में भारत सरकार को मन्त्रणा ना है ।

श्री विमला प्रसाद चालिहा : उन्हें जो काम दिया गया है उसकी पूर्ति के लिए ये कब तक भारत में रहेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय : यह समय ३ या ४ मास से अधिक न होगा ।

श्री बंसल : मैं यह जानना चाहता हूँ। उन क्षेत्रों में तेल की खोज का काम हो रहा है जिनके बारे में हमें यह संदेह है कि वहां तेल मिल सकता है। क्या ये विशेषज्ञ विद्यमान टीम के साथ मिलकर काम करेंगे या कुछ अन्य क्षेत्रों में स्वतन्त्रतापूर्ण कार्य करेंगे ?

श्री के० डी० मालवीय: मैंने यह बात स्पष्ट कर दी थी कि वे किसी ऐसे विशेष क्षेत्र में काम नहीं करेंगे जहां तेल के पाये जाने का संदेह है। वे उन परिस्थितियों की जांच करेंगे जो हमारी कार्य व्यवस्था, और भौमिकी के संबंध में विद्यमान हैं और वे हमारे विशेषज्ञों को यह मन्त्रणा देंगे कि हम अपने काम की सर्वोत्तम व्यवस्था कैसे कर सकते हैं। स्टेन्डर्ड वैकुअम आयल कम्पनी या आसाम आयल कम्पनी जो काम कर रही है वह स्वतंत्र कार्य है। तथा वे अपना कार्य पहिले से ही कर रही है।

बहरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण

***४०१. डा० राम० सुभग सिंह : क्या शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार देश में बहरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नमूना परिमाप करेगी ;

(ख) यदि हां, तो यह परिमाप कब होगा;

(ग) इस परिमाप का क्या उद्देश्य है; और

(घ) इस परिमाप की लागत क्या होगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) द्वितीय पंचवर्षीय योजना की कालावधि में।

(ग) बहरापन का आयात और उसके कारणों का पता लगाने के लिए तथा वर्तमान बहरे व्यक्तियों की आवश्यकताओं का पता लगाने के लिए यह परिमाप होगा।

(घ) अभी इसकी लागत के बारे में बताना सम्भव नहीं है।

डा० राम सुभग सिंह : क्या सरकार ने देश की बहरी जनता को प्रशिक्षण तथा शिक्षा देने के लिए कोई योजना बनाई है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां। बहरी जनता की शिक्षा तथा कल्याण के लिए राज्य सरकारों तथा केन्द्रीय सरकार की अलग अलग योजनायें हैं।

श्री कामत : क्या यह अनुमान लगाने के लिए कोई प्रयत्न किया गया है या किया जायेगा कि मंत्रि-वर्ग पूर्णतया या आंशिक रूप में कितना बहरा है, ...

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति। वह प्रश्न और आगे न पूछें।

श्री एस० सी० सामन्त : क्या सरकार का विचार एक अखिल भारतीय कर्णनासा कोणित्र विद्या संबंधी संस्था (आल इंडिया ओटो रीनो लैरिन गोलोजी) स्थापित करने का है ?

डा० एम० एम० दास : यह बात इस प्रश्न से उत्पन्न नहीं होती। वर्तमान प्रश्न का संबंध नमूना परिमाप से है।

तेल के कुंए

***४०३. श्री विश्व नाथ राय : क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि ब्रह्मपुत्र घाटी का गहन भू-भौतिकीय सर्वेक्षण करने के उपरान्त क्या वहां पर चालू वित्तीय वर्ष में ही नये तेल-कूप खोदने का कार्य प्रारम्भ कर दिया जायेगा ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : हाँ, श्रीमान्। आसाम तेल समवाय (आसाम आयल कम्पनी) ने कई तेल-कूप खोद लिये हैं और पांच नये तेल-कूप खोदने का कार्य प्रारम्भ कर दिया है।

श्री विश्व नाथ राय : इन कूओं से कितने वार्षिक उत्पादन होने की आशा है ?

श्री के० डी० मालवीय : उनमें से अधिकांश तो परीक्षात्मक कुएं हैं। नहर-कटिया कुएं से वर्तमान उत्पादन १६०० बैरल प्रतिदिन है। हुबरीजन क्षेत्र के कुओं के आंकड़े अभी तक प्राप्त नहीं हुए हैं ।

श्री विश्व नाथ राय : क्या इस क्षेत्र में होने वाला कार्य, जैसा कि अभी कहा गया है, सीधा ही समवाय के नियन्त्रण में हो रहा है, अथवा इसके प्रबन्ध में सरकार का भी कोई हाथ है ?

श्री के० डी० मालवीय : इस समय ब्रह्मपुत्र घाटी में सरकार की ओर से तेल की खोज अथवा तेल कूप खोदने का कार्य नहीं किया जा रहा है ।

श्री बंसल : क्या भारत सरकार ब्रह्मपुत्र घाटी में आसाम तेल समवाय द्वारा किये जा रहे कार्य के प्रयत्नों तथा गति से संतुष्ट है, और यदि नहीं, तो वह इस घाटी में तेल वाले क्षेत्रों की यथासंभव शीघ्र खोज करने के उद्देश्य से क्या कार्यवाही करने की प्रस्थापना करती है ?

श्री के० डी० मालवीय : हमने आसाम तेल समवाय द्वारा किये जा रहे कार्य को देखा है और हमें इस बात का संतोष है कि वे अपनी ओर से पूरा प्रयत्न कर रहे हैं।

श्री सारंगधर दास : क्या नहरकटिया तथा अन्य नये कूपों से प्राप्त होने वाले तेल का दिगबोई की शोधन-शाला में शोधन किया जा रहा है ? यदि नहीं, तो यह कहां जाता है ?

श्री के० डी० मालवीय : स्थिति वास्तव में यह है कि नहरकटिया क्षेत्र में अभी तक जो कुएँ पूर्ण हो चुके हैं, उनमें से अधिकतर परीक्षात्मक कुएं हैं और वे अभी तक उत्पादन करने की स्थिति तक नहीं पहुँचे हैं। जो थोड़ा सा तेल उत्पादित हुआ है, वह संयोगवश दिगबोई शोधन-शाला में पहुंचा दिया गया है जहां पर आसाम तेल समवाय ने शोधन के लिये अपना प्रबन्ध कर रखा है।

जर्मन गवेषणा दल

***४०४. श्री एन० बी० चौधरी :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जर्मन विशेषज्ञों के दल के उन सदस्यों के क्या नाम हैं जो भारतीय वनस्पतियों तथा पशुओं के सम्बन्ध में गवेषणा कर रहे हैं;

(ख) उनके कार्य का क्षेत्र कौन सा है; और

(ग) क्या उनसे यह आशा की जाती है कि वे इस गवेषणा के संबन्ध में भारत सरकार को कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत करेंगे ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) दल के सदस्य ये हैं।

(१) श्री गॉस्तव–एडोल्फ एलैगजैण्डर फ्रेहर वॉन मेंडल ।

(२) श्री बोथी-एबर्हर्ड. . . .

एक माननीय सदस्य : उसका पूरा नाम क्या है ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक लम्बा नाम है, मैं इसका उच्चारण करने में असमर्थ हूँ ।

एक माननीय सदस्य: संभवत: प्रधानमंत्री इसे पढ़ सकें ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक-कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : श्री बोथो–इबर्हर्ड प्रिंज़ जू सेनविटगैन्सटाईन होहैन्सटाईन।

श्री के० डी० मालवीय : फिर (३) श्री जोकिम मार्टिन टीउट स्मिट; तथा

(४) डा० हेलमुट पिरसन ।

(ख) उनके कार्य निम्नलिखित है:—

(१) इकट्ठे रहनेवाले कई छोटे पशुओं और वनस्पतियों को एकत्रित करना

और उनके पारस्परिक सम्बन्धों और वातावरण का अध्ययन करना।

(२) सामाजिक—जीव-वातवरण—सम्बन्धी कार्य के बारे में वानस्पतिक सामग्री एकत्रित करना और वनस्पतियों का एक संग्रहालय स्थापित करने के लिये एकत्रित पौधों को सुखाना।

(ग) नहीं, श्रीमान्। तो भी, उनसे यह कहा यां है कि वे एकत्रित की गयी वस्तुओं का कुछ भाग तथा अपनी खोजों और ऋतु विज्ञान सम्बन्धी माप आदि के लेखों की प्रतियां भारत सरकार के पास जमा करायें।

श्री एम० बी० चौधरी : क्या कोई भारतीय वनस्पति ज्ञाता अथवा प्राणिकीय विज्ञान वेत्ता इस दल के साथ हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जी, हाँ; प्राणकीय परिमाप का एक पदाधिकारी दल के साथ रखा गया है और वह उनकी इस सम्बन्ध में हर प्रकार की सहायता करने के लिये है।

श्री वी० पी० नायर : क्या यह दल अपने को केवल वर्त्तमान वनस्पतियों के अध्ययन तक ही सीमित रखेगा, अथवा इस बात को ध्यान में रखते हुए कि इस विषय पर हमारे पास बहुत कम जानकारी है, भूमि में गड़ी हुई वनस्पति और जीवों के सम्बन्ध में भी विस्तार पूर्वक अध्ययन करने का कोई प्रयत्न किया जायेगा ?

श्री के० डी० मालवीय : यह एक विदेशी दल है और उनका खोज के सम्बन्ध में अपना ही कार्यक्रम है।

श्री भक्त दर्शन : क्या में जान सकता हूं कि इन जर्मन विशेषज्ञों ने हमारे देश के किन-किन भागों का दौरा कर लिया है, तथा और किन किन इलाकों में वे जाने वाले हैं ?

श्री के० डी० मालवीय : जो कार्य-क्रम उन्होंने बनाया है और जिसको गवर्नमेंट आफ इंडिया ने देख कर मंजूर कर लिया है, वह इस प्रकार है : वे पहले बम्बई और राजस्थान जायेंगे, वहां से हमारे रेगिस्तान में भी जायेंगे उसके बाद तराई जोन में देहरादून को जायेंगे, वहां से शिवालिक रेंज को जायेंगे और हिमालय के नीचे घूमेंगे, और फिर गंगा के मैदान में भी कलकत्ते तक दौरा करेंगे। वहां से फिर आसाम जायेंगे और वहां से फिर वापस कलकत्ता आवेंगे। फिर जबलपुर जाकर, भोपाल, नागपुर, हैदराबाद, ट्रावनकोर कोचीन और वैस्टर्न घाट्स को जायेंगे, और उसके बाद नीलगिरी वगैरह खत्म करके मंडपम कैम्प में अपना दौरा खत्म कर देंगे।

कलाकृति-क्रय समिति

*४०६. **श्री एच० एन० मुकर्जी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सत्य है कि जयपुर हाउस के तथा अन्य राष्ट्रीय संग्रहालयों के लिये चित्र तथा कला कृतियां आदि एक कलाकृति-क्रम समिति की सिफ़ारिशों पर खरीदी जाती हैं ;

(ख) यदि हां, तो उस समिति में कौन कौन व्यक्ति ; और

(ग) इस सम्बन्ध में ललित कला-अकादमी की सेवाओं का कहां तक उपयोग किया जाता है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या १९]**

(ग) ललित कला अकादमी से कोई परामर्श नहीं लिया जाता है। इसके सम्बन्ध में यह बता देना चाहता हूं कि ललित कला अकादमी तो १९५४ में स्थापित हुई थी, जब कि कलाकृति-क्रय समिति उससे दो वर्ष पूर्व, १९५२ में स्थापित की गई थी। और फिर कलाकृति-क्रय समिति के तीन

सदस्य, जिसमें प्रधान तथा उप प्रधान भी सम्मिलित हैं, ललित कला अकादमी के सदस्य हैं।

श्री एच० एन० मुकर्जी : विवरण से ज्ञात होता है कि कलाकृति-क्रय समिति के सदस्यों में से केवल एक ही सदस्य कलाकार है और शेष पांचों कला-आलोचक समझे जाते हैं। क्या सरकार ऐसी स्थिति में यह उचित नहीं समझती कि इस काम के लिये कला से अधिक घनिष्ट सम्बन्ध रखने वाले कलाकारों को नियुक्त किया जाये ; जब कि 'जयपुर हाउस' के संग्रहालय के अध्यक्ष तथा ललित कला अकादमी के मंत्री को भी इस से बाहिर रखा गया है, और इसी लिये कलाकार यह अनुभव करते हैं कि इस समिति पर नौकरशाही का प्रभाव पड़ा हुआ है ।

डा० एम० एम० दास : सरकार को नौकरशाही के प्रभाव आदि के सम्बन्ध में कोई जानकारी नहीं है ।

श्री एच० एन० मुकर्जी : इस बात को ध्यान में रखते हुए कि जयपुर हाउस की वस्तुएं बेमेल हैं और वे कला का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं, क्या सरकार विशेष रूप में ऐसी प्रादेशिक समितियों की स्थापना करके इस संग्रहालय को सुधारने के सम्बन्ध में कोई कार्यवाही करने की प्रस्थापना रहती है, जो कि उन विशेष प्रदेशों से विभिन्न कालों की सुन्दरतम कृतियां खरीदे और केन्द्र को भेजेगी ?

डा० एम० एम० दास : सरकार यह नहीं समझती कि ये वस्तुएँ बेमेल हैं तथा कला का प्रतिनिधित्व नहीं करती हैं ।

श्री एन० बी० चौधरी : चित्र खरीदने के लिये चालू आय व्यक में कितनी राशि निर्धारित की गई है ?

डा० एम० एम० दास : इसके सम्बन्ध में मेरे पास इस समय कोई जानकारी नहीं है।

श्री बी० एस० मूर्ति : क्या इस समिति में और अधिक प्रसिद्ध कलाकारों को परामर्श-दाताओं के रूप में नियुक्त करने के सम्बन्ध में सरकार का कोई विचार है ?

डा० एम० एम० दास : इसमें ऐसे कई व्यक्ति हैं जो कि इस सम्बन्ध में प्रख्यात हैं। श्री डी० पी० राय चौधरी मद्रास कला स्कूल के प्रिंसिपल हैं और मैं समझता हूं कि इसमें अन्य भी प्रसिद्ध कलाकार होंगे।

कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों का सेवा से मुक्त किया जाना

***४०७. श्री कामत** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार ने अल्प कालीन नियमित आयुक्त पदाधिकारियों, अस्थायी कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा आपात कालीन कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों को निकट भविष्य में, सेना से अलग कर देने का निर्णय किया है ;

(ख) यदि हां, तो कब तक ; और

(ग) इस के द्वारा कितने पदाधिकारी सेवा से अलग कर दिये जायेंगे ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) अभी तक अल्प कालीन नियमित कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों, अस्थायी कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों तथा आपात कालीन आयुक्त पदाधिकारियों को सेवा से मुक्त करने के सम्बन्ध में कोई फैसला नहीं किया गया है। नियमित तथा अनियमित दोनों प्रकार के पदाधिकारियों के सम्बन्ध में अनिवार्य निवृत्ति के लिये उच्चतम आयु सीमा निर्धारित करने वाले नियम १९५० में बनाये गये थे। उन नियमों पर अब पुनर्विचार किया जा रहा है।

(ख) और (ग). यदि वर्तमान आदेशों को संशोधित न किया गया तो लगभग ४६० अनियमित पदाधिकारी १ जनवरी, १९५६

से निवृत कर दिये जायेंगे। परन्तु, जैसे मैंने ऊपर कहा है, मामले पर पुर्नविचार किया जा रहा है।

श्री कामत : क्या यह सच है कि उन पदाधिकारियों में, जिन पर इस निर्णय का प्रभाव पड़ेगा, कई ऐसे पदाधिकारी हैं जो कि १० वर्ष से भी अधिक समय तक सेवा कर चुके हैं और फिर एक स्थायी नियमित कमीशन प्राप्त करने के योग्य भी हैं ; यदि हां, तो ऐसे अधिकारियों को सवा में क्यों नहीं रहने दिया जाता, और उन्हें सेवा से अलग क्यों किया जा रहा है ?

डा० काटजू : यह एक बिल्कुल पृथक मामला है, अर्थात् क्या अनियमित, गैर-आयुक्त अस्थायी पदाधिकारियों को स्थायी कमीशन प्रदान किया जाये। यह एक ऐसा मामला है जिसका निर्णय सेना मुख्यालय द्वारा व्यक्ति विशेष की योग्यता तथा अन्य बातों के आधार पर किया जायेगा। और फिर नीचे से नये लोगों की भर्ती भी तो होनी चाहिये।

श्री कामत : क्या यह सत्य है कि इन प्रस्थापनाओं के कारण, जिन पर कि इस समय विचार हो रहा है, सेना के इन सम्बन्धित अधिकारियों में अत्यधिक असन्तोष है ?

डा० काटजू : मुझे विश्वास है कि आदेशों में परिवर्तन न किये जाने पर सेवा से अलग कर दिये जाने वाले ४६० व्यक्तियों में अवश्य ही एक भारी चिन्ता की लहर दौड़ रही होगी ; परन्तु सारी सेवा ही असन्तुष्ट है, इस सम्बन्ध में तो मुझे कोई ज्ञान नहीं।

श्री कामत : क्या इस बात को दृष्टि में रखते हुए कि पाकिस्तान अमरिका की सहायता से अपनी सना तथा युद्ध का सामान बढ़ा रहा है, क्या सरकार इतने अधिक पदाधिकारियों को निकालना और इस स्थिति में, जब कि काश्मीर समस्या भी हल नहीं हुई है, सेना में असंतोष उत्पन्न करना वांछनीय समझती है ?

डा० काटजू : जब सम्बन्धित तत्वों पर विचार किया जायेगा, उस समय इन सभी बातों पर पुर्नविचार किया जायेगा। मैं नहीं जानता कि इस प्रश्न को पाकिस्तान की बात कहां से आ गयी है।

श्री कामत : काश्मीर समस्या अभी तक हल नहीं हुई है।

अध्यक्ष महोदय : शान्ति, शान्ति।

सरदार इकबाल सिंह : वे कौन से कारण हैं जिन्होंने भारत सरकार को दो वर्ष उपरान्त ही नियमों को बदल देने के लिये बाध्य किया है ?

डा० काटजू : मैं प्रश्न नहीं समझा।

अध्यक्ष महोदय : जैसा मैंने सुना है, नियम पहले १९५१ अथवा १९५२ में बनाये गये थे।

डा० काटजू : नियम बदले नहीं गये थे, परन्तु १९५४ में बढ़ाई गयी अवधि की तिथि बदली गयी थी। और वही प्रश्न अब तक फिर से उत्पन्न हुआ है।

अध्यक्ष महोदय : वह यह पूछना चाहते हैं कि क्या कारण हैं कि इस मामले पर इतनी शीघ्र फिर से विचार किया जा रहा है ?

डा० काटजू : यह मामला सेना मुख्यालय द्वारा हमें कुछ समय पूर्व ही निर्देशित किया गया था, दो वर्ष पूर्व नहीं।

सरदार इकबाल सिंह : क्या यह सच है कि वे नियम इस उद्देश्य से बदले जा रहे हैं कि उन ४६० पदाधिकारियों को सेना से निकाला जा सके ?

डा० काटजू : नहीं, कदापि नहीं। मामले पर गुणों के आधार पर विचार किया जायेगा।

कोलम्बो योजना के अधीन छात्रवृत्तियां

***४०९. श्री श्रीनारायण दास :** क्या **वित्त** मंत्री सभा के टेबल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें निम्नलिखित बातें दिखाई गई हों :

(क) कोलम्बो योजना के अधीन विदेशों में अध्ययन के लिये भारतीयों को छात्रवृत्तियां देने के सम्बन्ध में उम्मीदवारों का चुनाव करने के लिये कौन से नियम, विनियम अथवा स्थायी आदेश हैं ; और

(ख) संघ के मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों से प्रस्थापनायें प्राप्त कर लेने के बाद उम्मीदवारों के चुनाव के बारे में अन्तिम निर्णय किस स्तर पर किया जाता है ?

वित्त मंत्री के सभा सचिव (श्री बी० आर० भगत) : (क) और (ख). सदन की मेज़ पर विवरण रखा गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २०]**

श्री श्रीनारायण दास : विवरण से पता चलता है कि कोलम्बो योजना के अन्तर्गत छात्रवृत्तियां देने के प्रस्तावों पर विचार करते समय उनको नौ स्थूल कसोटियों पर कसा जाता है। क्या मैं जान सकता हूं कि इसमें वित्त मंत्रालय कितना पार्ट प्ले करता है ?

श्री बी० आर० भगत : जो प्रशिक्षण के आवेदन राज्य सरकारों और केन्द्रीय मंत्रालयों से आते हैं केन्द्रीय कमेटी में उन पर विचार होता है। वह टैकनिकल कमेटी इकानमिक ऐफेअर्स मिनिस्ट्री के अधीन काम करती है।

श्री श्रीनारायण दास : यह जो मंत्रालय की टैकनिकल कमेटी है इसके सदस्य स्थायी रूप से रहते हैं या जो विभाग के मंत्रिगण उपस्थित रहते हैं वही रखे जाते हैं ?

श्री बी० आर० भगत : जो अफसर होते हैं वही इसमें एक्स आफिशियो सदस्य रहते हैं।

श्री श्रीनारायण दास : अभी पालियामेंटरी सेक्रेटरी साहब ने कहा कि वह टैकनिकल कमेटी है। लेकिन जब उसके प्रशासकीय अफसर रखे जाते हैं तो उसको टेकनिकल कमेटी का नाम क्यों दिया गया है। इसका क्या मतलब है ?

श्री बी० आर० भगत : मैं कुछ अशुद्धि दूर करना चाहता हूं। वह टैकनिकल असिस्टेंट्स सेलेक्शन कमेटी कहलाती है।

श्री श्रीनारायण दास : क्या इन छात्रवृत्तियों के बिधानों पर विचार करने के सम्बन्ध में बाहर के विशेषज्ञों के इस विषय के पार्थना पत्र रहते हैं और मैं जानना चाहता हूं कि बाहर के विशेषज्ञ उसमें बुलाये जाते हैं या नहीं और अगर नहीं बुलाये जाते हैं तो क्यों नहीं बुलाये जाते हैं।

श्री बी० आर० भगत : प्रशिक्षण की योजना जिस देश से आती है, उसके सलाहकार रहते हैं, क्योंकि उन्हें यह बताना होता है कि कहां और किस युनिवरसिटी में या कौन सी जगह वह दे सकते हैं, इसलिये उनकी सलाह इस बात पर ली जाती है।

सेना को छोड़ कर भाग जाना

***४१०. सरदार हुक्म सिंह :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४ में सेना को छोड़ कर भाग जाने के कितने मामले हुये ; और

(ख) क्या इस प्रकार सेना छोड़ कर भाग जाने के कारणों की कोई जांच की गई थी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) और (ख). इस जानकारी का प्रकट करना लोक हित में नहीं है।

सरदार हुक्म सिंह : क्या यह प्रकट करना भी लोक हित में नहीं है कि गत तीन वर्षों में सेना छोड़ कर भाग जाने वालों की संख्या बढ़ गई है ?

सरदार मजीठिया : मामलों में कमी हुई है ।

सरदार हुक्म सिंह : इस प्रकार सेना में छोड़ कर भाग जाने वालों के मामलों में सामान्यत: क्या दण्ड दिये गये थे ?

सरदार मजीठिया : अपराध की गम्भीरता के अनुसार, भिन्न भिन्न प्रकार के दण्ड दिये जाते हैं तथा कुछ मामलों, जैसे कोई व्यक्ति छुट्टी में अधिक दिन रुक गया अथवा छुट्टी में बीमार हो गया तथा इस कारण निर्धारित समय पर काम पर न आ सका, में माफी दे दी जाती है । इस प्रकार के मामलों में दण्ड नहीं दिया जाता परन्तु अन्य मामलों में, भारतीय सेना नियमों में निर्धारित दण्ड दिये जाते हैं ।

सरदार हुक्म सिंह : क्या इन सेना छोड़ कर भागने वाले व्यक्तियों के द्वारा अपने साथ ले जाये गये हथियारों के कारण भी सेना को कुछ हानि हुई थी ?

सरदार मजीठिया : संभव है कुछ हो, परन्तु बहुत कम ।

श्री भक्त दर्शन : इन भगोड़े सैनिकों को दण्ड देने के बाद क्या फिर दुबारा सेना में लेने की भी व्यवस्था है, या फिर उनको अपने घर वापिस कर दिया जाता है ?

सरदार मजीठिया : जैसा कि मैंने बताया, कुछ मामलों में, कम समय का कारावास का दण्ड दिया गया तथा अन्य मामलों में उनको वापिस भेज दिया गया तथा दुबारा नहीं रखा गया ।

श्री सी० भट्ट : ये सेना छोड़ कर भागने वाले किन श्रेणियों के हैं ? ये पदाधिकारी है अथवा केवल सैनिक, तथा ये किस समुदाय के हैं ?

सरदार मजीठिया : मेरे पास समुदाय आदि के सम्बन्ध में अलग अलग आंकड़े नहीं हैं, परन्तु अधिकांशत: वे सैनिकों में से हैं ।

छावनियों में गैरिजन सिनेमा घर

***४११. श्री एम० एल० द्विवेदी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) छावनियों के गैरिज़न सिनेमा घरों का प्रबन्ध कौन करता है ;

(ख) उनका लाभ किसको मिलता है ;

(ग) क्या यह सच है कि केन्टीन स्टोर्स विभाग उनको अपने हाथ में ले रहा है ;

(घ) इस योजना को लागू करने में कितनी प्रगति हुई है और सैनिक कर्मचारियों को इससे कितना लाभ पहुंचने की संभावना है ; और

(ङ) क्या भूतपूर्व सिनेमा के ठेकेदारों को कोई मुआवजा दिया जा रहा है ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) तथा (ख). गैरिज़न सिनेमाओं का प्रबन्ध ठेकेदारों द्वारा होता है और सिनेमाओं का लाभ उन्हीं को मिलता है ।

(ग) जी हां ।

(घ) जब तक केवल एक सिनेमा का काम जलन्धर में संभाला गया है । कैन्टीन स्टोर्स विभाग को सिनेमाओं द्वारा जो लाभ होगा वह तीनों सर्विसेज़ में उनकी भलाई और सुख के लिये बांट दिया जायेगा ।

(ङ) हर एक मामले में अफसरों का एक बोर्ड नियत किया जाता है जो भूत-पूर्व ठेकेदारों को दिये जाने वाले मुआवजे की रकम का अन्दाजा लगाता है । जलन्धर में २७,८३५ रुपये का मुआवजा दिया गया है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : मैं जानना चाहता हूं कि सिनेमा घरों में जो ठेकेदार लोग

काम करते हैं, उनके प्राफिट का मार्जिन क्या रहता है ?

सरदार मजीठिया : जो ठेकेदार इन सिनेमाओं को चलाते हैं, वह इन को आक्शन में लेते हैं और इस तरह उन सिनेमाओं का प्रबन्ध और ठेका उनको मिलता है ।

श्री एम० एल० द्विवेदी : प्राफिट का आपको पता नहीं है, खैर, मैं एक दूसरा प्रश्न करना चाहता हूं कि यह गेरिज़न सिनेमा जहां जहां हैं वह गवर्नमेंट के हैं या ठेकेदारों के पास हैं तो मैं जानना चाहता हूं कि इनकी लीज़ उनको किस शर्त पर दी जाती है ?

सरदार मजीठिया : बिड के द्वारा सिनेमाओं की लीज़ दी जाती है और जो सबसे ज्यादा बिड करते हैं उनको लीज़ मिलती है ।

खेल कूद

*४१२. **श्री वी० पी० नायर :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारत में निर्मित खेल कूद के सम्बन्धी उपकरण के अन्य सामान की किस्म में सुधार करने के लिये क्या कार्यवाही करने का विचार है जिस से वे अन्तर्राष्ट्रीय विशिष्टिताओं तथा स्तर के बनने लगें ।

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : भारत सरकार ने कुछ दिन पूर्व ही खेल के सामान तथा उपकरणों की किस्म सुधारने के लिये कार्यवाही की है जिससे वह अपेक्षित अन्तर्राष्ट्रीय स्तर के बनने लगें ।

श्री वी० पी० नायर : क्या भारतीय मानक संस्था को, विभिन्न खेल कूद के सामानों का स्तर निर्धारित करने का कार्य सौंपा गया है ?

डा० एम० एम० दास : हम भारतीय मानक संस्था से पत्र व्यवहार कर रहे हैं जोकि एक अर्द्ध-सरकारी संस्था है, तथा जिसने खेल कूद के सामान की कुछ विशिष्टिताएं, विशेष तथा, क्रिकेट बैट, हाकी, टैनिस, बैडमिन्टन रैकेट, फुट बाल, वाली बाल आदि के सम्बन्ध में, प्रकाशित की हैं ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह जानकारी है कि एलमूनियम के 'वाल्टिंग पोल' (कदने को छड़ें) जोकि अन्तर्राष्ट्रीय समारोहों में प्रयोग में लाये जाते हैं, भारत में कठिनता से प्राप्त होते हैं तथा इसलिये हमारे व्यायामिकों को दूसरों से प्रतिद्वन्द्विता में, तथा, 'पोल वाल्ट' के अपने पुराने रिकार्ड को सुधारने में, कठिनाई होती है ।

डा० एम० एम० दास : मेरा विचार है इस मामले पर समुचित विचार किया जायेगा ।

श्री वी० पी० नायर : क्या सरकार को यह जानकारी है कि 'शाट पुट' के लिये प्रयोग किये जाने वाले लोहे के गोले का व्यास, अन्तर्राष्ट्रीय स्वीकृत स्तर से चौथाई इंच अधिक है तथा इसलिये क्या सरकार, कम से कम, इसको अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने का विचार कर रही है क्योंकि इसके लिये किसी विचारविमर्श की आवश्यकता नहीं है ?

डा० एम० एम० दास : मेरा विचार है कि सरकार भारतीय मानक संस्था की मंत्रणा के अनुसार कार्य करेगी ।

श्री कामत : श्री नायर की सलाह से

भारत में विदेशी दूतावास

*४१३. **डा० सत्यवादी :** क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या, भारत सरकार के उन समस्त पदाधिकारियों ने जिनकी पत्नियां इस समय, भारत में स्थित विदेशी दूतावासों की कर्मचारी हैं, सरकार की अनुमति ले ली है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : इस प्रकार के मामलों में किसी औपचारिक अनुमति की अपेक्षा नहीं है ; परन्तु सन् १९५५ में सरकार द्वारा जारी कार्यपालिका अनुदेशों

के अधीन, प्रत्येक ऐसे सरकारी कर्मचारी को, जिसकी पत्नी अथवा आश्रित, भारत में स्थित किसी विदेशी दूतावास में नियुक्ति लेना चाहता हो, सम्बन्धित मंत्रालय में, सरकार को इसकी सूचना देनी चाहिये। सूचना प्राप्त होने पर, सम्बन्धित मंत्रालय, को विचार करना चाहिये कि नियुक्ति की स्वीकृति में कोई आपत्ति तो नहीं है तथा आपत्ति होने पर, इस प्रकार की नियुक्ति रोकी जा सकती है। सरकार को ऐसी जानकारी नहीं है कि किसी मामले में इन आदेशों का उल्लंघन किया गया हो।

डा० सत्यवादी : क्या मैं जान सकता हूं कि इस प्रकार से जो देवियां वहां काम कर रही हैं, उनकी तादाद क्या है ?

श्री दातार : सरकार, इस सम्बन्ध में सूचना एकत्रित कर रही है।

डा० सुरेश चन्द्र : इन पदाधिकारियों की पत्नियां किन मंत्रालयों में काम कर रही हैं ?

श्री दातार : इसी मामले की जानकारी प्राप्त करने का हम प्रयत्न कर रहे हैं।

श्रव्य-दृश्य-शिक्षा

*४१४. **श्री भागवत झा आज़ाद :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या कोलम्बो योजना के अधीन १ नवम्बर, १९५५ से लखनऊ से, श्रव्य-दृश्य-शिक्षा सम्बन्धी अन्तर्राष्ट्रीय गोष्ठी हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो इस गोष्ठी में किन देशों ने भाग लिया था ; और

(ग) इस गोष्ठी में क्या निर्णय किये गये ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जी हां।

(ख) आस्ट्रेलिया, बर्मा, श्रीलंका, भारत, इंडोनेशिया, मलाया, उत्तरी बोर्नियां, पाकिस्तान, फिलिपाइन्स, थाइलैंड तथा सिंगापुर।

(ग) कोई विशेष विनिश्चय नहीं किये गये थे।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या भारत सरकार ने शिक्षा की इस पद्धति को प्रयोग में लाने की कोई योजना बनाई है ?

डा० एम० एम० दास : जी हां ; श्रव्य-दृश्य शिक्षा के सम्बन्ध में भारत सरकार के पास एक योजना है।

श्री भागवत झा आज़ाद : भारत सरकार की इस योजना पर अनुमानतः कुल कितना व्यय होगा।

डा० एम० एम० दास : यह प्रश्न एक विशेष गोष्ठी, जोकि लखनऊ में हुई थी, से सम्बन्धित है तथा यह आस्ट्रेलिया और भारत की सम्मिलित योजना थी। मैं नहीं जानता की मूल प्रश्न में से यह अनुपूरक किस प्रकार उत्पन्न होता है।

श्री भागवत झा आज़ाद : क्या भारत सरकार ने अपने कुछ प्रतिनिधियों को इस गोष्ठी में भेजा था तथा यदि हां, तो क्या उन्होंने इस सम्बन्ध में अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है ?

डा० एम० एम० दास : भारत सरकार ने इस गोष्ठी में २३ प्रतिनिधि भेजे थे। क्योंकि सभी कार्यवाहियां भारत सरकार को भेज दी गई हैं, इसलिये मेरा विचार है कि प्रतिवेदन प्रस्तुत करने की कोई आवश्यकता नहीं है।

योग सम्बन्धी गवेषणा

*४१५. **श्री कृष्णाचार्य जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री २२ अगस्त, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १०१० तथा उसके अनुपूरकों के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि अभी तक योग सम्बन्धी गवेषणा के क्या परिणाम निकले हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : गवेषणा लगातार हो रही है तथा इस समय गवेषणा के परिणामों का पूर्ण विवरण देना कठिन है ।

श्री कृष्णाचार्य जोशी : योग के सम्बन्ध में किस प्रकार की गवेषणा होती है ?

डा० एम० एम० दास : लोनावला, पूना की कैव्यल्यधाम श्रीमन् माधव योग मंदिर समिति ने योग सम्बन्धी गवेषणा के लिये निम्नलिखित विषय लिये हैं :—

(१) विभिन्न आसनों, मुद्राओं अथवा षट्क्रियाओं द्वारा हलक, पेट और मूत्राशय पर दबाव के होने वाले परिवर्तन का इस दृष्टिकोण से अध्ययन कि उनसे पटठों पर क्या प्रभाव पड़ता है ।

(२) विभिन्न प्रकार के प्राणायाम तथा आक्सीजन को खपाने तथा कार्बन-डाइआक्साइड को निकालने के आधार पर उनके शरीर व्यापार सम्बन्धी गुणों की जानकारी, श्वासेंद्रिय के ठीक प्रकार से कार्य करने की जानकारी प्रत्येक व्यायाम के लिये अपेक्षित शक्ति की सीमा, निश्चित अवधि में, इन व्यायामों से रक्त में होने वाले परिवर्तन, तेज़ाब के स्थान को उचित भार का रखने तथा विशेष योग के व्यायामों का एक्सरे अध्ययन, जिससे विशेष व्यायामों के द्वारा आन्तरिक अंगों की सही स्थिति समझी जा सके ।

(३) प्राणायाम तथा बन्ध तथा उनका हृदय पर प्रभाव ।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

भारतीय नौसेना का गोदी (डाकयार्ड) शिशिक्षु स्कूल, बम्बई

***३८२. डा० सत्यवादी** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि भारतीय नाविक नौसेना का गोदी (डाकयार्ड) शिशिक्षु स्कूल बम्बई में इस समय कितने शिशिक्षु प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं तथा इनमें कितने अनुसूचित जाति के हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : ३६६, जिनमें से २४ अनुसूचित जाति के हैं ।

भारतीय नौ सेना का विमान दल (एयर यूनिट)

***३८४. श्री एन० राचय्या** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि रायल नेवी ने ब्रिटिश नौसेना के दो उच्च पदाधिकारी भारतीय नौसेना की विमान हवाई (एयर यूनिट) के विकास के लिये दिये हैं ;

(ख) यदि हां, तो वे किन शर्तों पर कार्य करेंगे ; और

(ग) वे, भारत में कितनी अवधि तक कार्य करेंगे ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : (क) से (ग). रायल नेवी से, केवल नौसेना उड्डयन मुख्याधिकारी ही उच्च पद का पदाधिकारी, २½ वर्ष की अवधि के लिये आया है । वह उन्हीं शर्तों के अधीन कार्य कर रहा है जो कि भारतीय नौसेना में आये अन्य रायल नेवी के पदाधिकारियों पर लागू हैं ।

हिन्दुस्तान एयर क्राफ्ट लिमिटेड

***३८६. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हिन्दुस्तान एयर क्राफ़्ट लिमिटेड, बंगलौर फौलैन्ड नाट वायुयान के निर्माण के किसी प्रस्ताव पर विचार कर रहा है ; और

(ख) यदि हां, तो किन शर्तों के अन्तर्गत ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) (क) जी हां ।

(ख) मामला अभी विचाराधीन है ।

वेलिंगटन छावनी

*३९०. **श्री एन० एम० लिंगम :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि वेलिंगटन छावनी के लिये ली गई भूमि, पहले ज़मीदार से ९९ वर्ष के पट्टे पर ली गई थी ; और

(ख) पट्टे की अवधि के समाप्त हो जाने के पश्चात् इस भूमि की क्या स्थिति होगी ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया): (क) भूमि सदैव प्रयोग के लिये ली गई है तथा ९९ वर्ष के पट्टे पर नहीं ली गई है ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

वैज्ञानिकों का आदान-प्रदान

*३९३. **श्री एम० डी० जोशी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या भारतीय वैज्ञानिकों के रूस तथा रूसी वैज्ञानिकों के भारत भेजे जाने की कोई प्रस्थापना विचाराधीन है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : जी नहीं ।

निर्वाचक–नामावली

*४००. **श्री आर० एन० एस० देव :** क्या विधि मंत्री ४ अगस्त, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या २११ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या १९५५ की निर्वाचिक-नामावली के पुनरीक्षण का कार्य पूर्ण हो गया है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक राज्य में संख्या कितनी कम या अधिक हुई है ; और

(ग) क्या निर्वाचकों की संख्या में असमान्य कमी या वृद्धि होने के कारणों की जांच की गई है और यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : (क) से (ग). निर्वाचक नामावली के पुनरीक्षण का कार्य १८ राज्यों में पूर्ण हो चुका है । एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है जिसमें वृद्धि या कमी के राज्य-वार आंकड़े दिये गये हैं तथा उक्त वृद्धि या कमी के कारण बताये गये हैं । [देखिये परिशिष्ठ ३ अनुबन्ध संख्या २१]

खनिज तेल

*४०२. **सेठ अचल सिंह :** क्या प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषण मंत्री सभा-पटल पर एक विवरण रखने की कृपा करेंगे जिसमें जैसलमेर, राजस्थान, में खनिज तेलों का पता लगाने के कार्य में हुई प्रगति का ब्यौरा दिया गया हो ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है जिसमें अपेक्षित जानकारी दी गई है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २२]

त्रावनकोर-कोचीन के लिये बैंक आयोग

*४०५. **श्री पुन्नूस :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने त्रावनकोर-कोचीन राज्य के लिये एक बैंक आयोग बनाया है ;

(ख) यदि हां, तो आयोग के सदस्यों का ब्यौरा क्या है और उनका चुनाव किस आधार पर हुआ है ; और

(ग) यदि उपरोक्त भाग (क) का उत्तर नकारात्मक हो, तो आयोग कब नियुक्त किया जायेगा ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) से (ग). आशा है कि आयोग शीघ्र ही बना दिया जायेगा। ज्यों ही आयोग स्थापित होगा, सदस्यों के नाम तथा निर्देषपद भारत के गजट में घोषित कर दिये जायेंगे।

पिछड़े वर्गों सम्बन्धी बोर्ड

***४०८. श्री भीखा भाई** : क्या **गृह-कार्य** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि केन्द्र में एक पिछड़े वर्गों सम्बन्धी बोर्ड के निर्माण के सम्बन्ध में क्या कार्यवाही की गई है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मामला विचाराधीन है।

पुनर्वास वित्त प्रशासन

***४१६. श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि जिन विस्थापित व्यक्तियों को पुनर्वास वित्त प्रशासन से स्वीकृत ऋणों की पहली किस्त मिल गई थी उन्हें बकाया राशी नहीं दी गई है ; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या कारण हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) और (ख) कुछ मामलों में दूसरी किस्तों के बांटे जाने में देरी हुई है क्योंकि उक्त ऋणों के दिये जाने से सम्बन्धित शर्त्तें पूरी नहीं हुई थीं। शर्त्तें प्रतिकर दावों के सम्बन्ध में थीं। प्रार्थियों को हुई कठिनाई के कारण सरकार ने बाद में इन शर्तों में कुछ फेर बदल कर दिया। भुगतान करने के आदेश जारी किये जा चुके हैं।

वैज्ञानिक सेवा आयोग

***४१७. श्री डी० सी० शर्मा** : क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार एक वैज्ञानिक सेवा आयोग की स्थापना के लिये प्रस्थापना पर विचार कर रही है ; और

(ख) यदि हां, तो इसकी स्थापना कब तक हो जायगी ?

प्राकृतिक संसाधन मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) नहीं, श्रीमान्।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

केन्द्रीय शिक्षा मंत्रालय बोर्ड

***४१८. श्री एस० के० रज़मी** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या हाल ही में केन्दीय मंत्रणा बोर्ड की बुनियादी शिक्षा स्थायी समिति की कोई बैठक हुई थी ;

(ख) यदि हां, तो समिति की मुख्य सिफारिशें क्या थीं ; और

(ग) इन सिफारिशों की कार्यन्विति के लिये यदि कोई उपाय किये गये हों अथवा करने का विचार हो, तो वे क्या हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २३]

संस्कृत

***४१८. डा० राम सुभग सिंह** : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि शिक्षा मंत्रालय के तत्वावधान में हाल ही में हुये संस्कृत के अध्यापकों तथा प्राध्यापकों के एक सम्मेलन में एक संकल्प पास किया गया है जिसमें यह मांग की गई है कि संस्कृत अध्ययन का एक अखिल भारतीय बोर्ड शीघ्र ही बनाया जाय; और

(ख) यदि हां, तो उस पर क्या निर्णय किया गया है ?

शिक्षा मंत्री के सभासचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां जी, सम्मेलन ने एक संकल्प पास किया जिस में ऐसा बोर्ड बनाने की आवश्यकता प्रकट की गई है ।

(ख) सम्मेलन की कार्यवाही अभी तैयार हो रही है ।

भारतीय टेकनालोजी संस्था, खड्गपुर

***४२०. श्री श्रीनारायण दास** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या भारतीय टेकनालोजी संस्था खड्गपुर में औद्योगिक और उत्पादन इंजीनियरिंग का पूर्णकालीन पाठ्यक्रम चालू है ; और

(ख) यदि हां, तो कितने विद्यार्थियों ने उस पाठ्यक्रम को पूरा कर लिया है और कितने इस समय प्रशिक्षण पा रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख) सभा पटल पर एक विवरण रखा जाता है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २४]**

रक्षा सेवा पदाधिकारी

***४२१. { सरदार हुक्म सिंह : श्री बहादुर सिंह :**

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या रक्षा सेवा पदाधिकारियों को अपनी आर्थिक स्थिति के सम्बंध में अनिवार्यतः समय-समय पर प्रतिवेदन देना पड़ता है ;

(ख) यदि, हां, तो सामान्यतः उनकी आर्थिक स्थिति क्या है ; और

(ग) उन में से कितने प्रतिशत पदाधिकारी ऋणग्रस्त हैं ?

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : (क) नहीं, श्रीमान् ।

(ख) प्रश्न नहीं उठता ।

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं है ।

सचिवालय में नियुक्तियां

***४२२. डा० सत्यवादी** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५३, १९५४ और १९५५ में प्रत्येक मंत्रालय में वर्ग १ और २ की सेवाओं में जो प्रत्यक्ष नियुक्तियां की गई थी, उनमें से कितनी नियुक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग ने रद्द कर दिया ; और

(ख) जिन व्यक्तियों की नियुक्तियां रद्द कर दी गईं, उनमें से कितने पुनः नौकरी में लगा दिये गये हैं ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) और (ख) प्रत्यक्ष रूप से की गईं नियुक्तियों को संघ लोक सेवा आयोग रद्द कर देता है, यह बात जो माननीय सदस्य ने कही, वह स्पष्ट नहीं । केवल उन मामलों को छोड़ कर, जो विशेष रूप से संघ लोक सेवा आयोग के क्षेत्र से अलग रखे गये हैं, वर्ग १ और २ की सेवाओं के लिये प्रत्यक्ष नियुक्तियां आयोग के परामर्श से की जाती हैं; जब तक कि नियुक्तियां ऐसी न हों, जिनकी एक वर्ष से अधिक रहने की संभावना न हो । फिर भी क्योंकि उचित विज्ञापन के बाद संघ लोक सेवा आयोग द्वारा चुनाव किये जाने में स्वभावतः कुछ समय लग जाता है, अतः कभी कभी काम चलाने के लिये अस्थायी नियुक्तियां करनी पड़ती हैं । इन नियुक्तयों में यह बात पूरी तरह से स्पष्ट कर दी जाती है कि जब तक वे व्यक्ति स्वयं संघ लोक सेवा आयोग द्वारा नहीं चुने जाते हैं, उन्हें आयोग द्वारा नाम निर्देशित व्यक्तियों के आने पर तुरन्त ही पदत्याग करना होगा । इन मामलों को हम इस रूप में नहीं ले सकते कि सरकार ने नियुक्तियां की और संघ लोक सेवा आयोग ने उन्हें रद्द कर दिया और न ऐसे लोगों के लिये ऐसा कोई प्रतिबन्ध है कि वे बाद को अन्य सरकारी नौकरियों में इसी प्रकार से अस्थायी रूप में नियुक्त न किये जा सकें ।

कोलार में सोने की खानें

*४२३. { **श्री एन० राचय्या :**
श्री एन० बी० चौधरी :
श्री कृष्णाचार्य जोशी :

क्या **प्राकृतिक संसाधन और वैज्ञानिक गवेषणा मंत्री** यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) मैसूर राज्य में कोलार की सोने की खानों में कार्य-अवस्था के सम्बन्ध में सूचना एकत्र करने के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा भेजे गये विशेषज्ञ दल ने क्या कोई प्रतिवेदन प्रस्तुत किया है; और

(ख) यदि हां, तो उस प्रतिवेदन में क्या क्या बताया गया है ?

प्राकृतिक संसाधान मंत्री (श्री के० डी० मालवीय) : (क) हां, श्रीमान् ।

(ख) केन्द्रीय सरकार और मैसूर सरकार प्रतिवेदन पर विचार कर रही हैं और इस समय उन बातों को बताना लोक हित में नहीं होगा ।

उपकर निधियां

*४२४. **श्री गिडवानी :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) कितनी पृथक उपकर निधियां अब भी चल रही हैं ;

(ख) ये उपकर किन वस्तुओं पर लगाये जाते हैं; और

(ग) क्या ये उपकर निधियां भारत की संचित निधि में शामिल की जायेंगी ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) पन्द्रह ।

(ख) सभा-पटल पर एक विवरण रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २५]

(ग) पन्द्रह में से नौ मामलों में एक किये गये उपकर का हस्तान्तरण भारत की संचित निधि के ज़रिये किया जाता है । शेष मामलों में भी यथाशीघ्र इसी प्रकार की प्रक्रिया अपनाने का विचार है ।

औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम

*४२५. **श्री डी० सी० शर्मा :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम को अभी तक कितनी पूंजी दी गई है ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : पांच करोड़ रुपये दिये गये हैं ।

असमर्थ विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां

*४२६. **डा० राम सुभग सिंह :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने असमर्थ विद्यार्थियों को छात्रवृत्तियों देने का निश्चय किया है ;

(ख) यदि हां, तो चालू वित्तीय वर्ष में इस प्रकार से कितनी छात्रवृत्तियां दी जायेंगी; और

(ग) इन छात्रवृत्तियों में कितने रुपये दिये जायेंगे ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) हां श्रीमान्।

(ख) और (ग) . अपेक्षित जानकारी का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २६]

विदेशी प्रविधिक सहायता

*१२३. **श्रीमती मायदेव :** क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५५-५६ में अभी तक विदेशों से कितनी प्रविधिक सहायता प्राप्त हुई है; और

(ख) विभिन्न परियोजनाओं के लिये इस सहायता का आंवटन किस प्रकार किया गया है ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख): (क) विदेशों से प्रविधिक सहायता (१) विशेषज्ञों और प्रदर्शन इत्यादि के लिये आवश्यकता सहायिक उपकरणों और (२) प्रशिक्षण सुविधाओं के रूप में प्राप्त होती है। संयुक्त राष्ट्र प्रविधिक सहायता प्रशासन कार्यक्रम, कोलम्बो योजना और भारत अमरीकी प्रविधिक सहयोग कार्यक्रम के अन्तर्गत कितने यहां आये विदेशी विशेषज्ञों और प्रशिक्षण के लिये बाहर भेजे गये भारतीयों तथा उनके कार्य क्षेत्रों का एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २७]**

(ख) भारत सरकार के निवेदन के अनुसार ही सहायता देने वाले देश भारत को विदेशी विशेषज्ञ और विदेशों में प्रशिक्षण की सुविधायें देते हैं।

गुफाओं के भित्ति चित्रों का परिरक्षण

२१७. श्री एच० एन० मुकर्जी : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि क्या गुफाओं के भित्ति चित्रों के परिरक्षण तथा सम्बद्ध मामलों के बारे में जानकारी के आदान-प्रदान के लिये चीन की तुन-हुआंग संस्था से नियमित रूप से सम्पर्क रखा जा रहा है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : नहीं, श्रीमान्।

सीमा-शुल्क संमाहर्तृ कार्यालय बम्बई

२१८. श्री कामत : क्या **वित्त** मंत्री २८ सितम्बर, १९५५ को पूछे गये अतारांकित प्रश्न संख्या १२२१ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सीमा-शुल्क समाहर्तृ कार्यालय बम्बई में लगे विस्थापित सरकारी कर्मचारियों के लिये विभागीय परीक्षा पास करने की छूट देने के मामले के बारे में पूर्ण रूप से विचार कर लिया गया है; और

(ख) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले हैं ?

राजस्व और रक्षा व्यय मंत्री (श्री ए० सी० गुह) : (क) हां, श्रीमान्।

(ख) विस्थापित सरकारी कर्मचारियों को छूट देने के प्रश्न के सम्बन्ध में गृह-कार्य मंत्रालय के सरकारी ज्ञापन संख्या ७१/५३/५३ डी० जी० एस० दिनांक १५ नवम्बर, १९५० में निहित सुझावों की आयकर, केन्द्रीय उत्पादन तथा सीमा शुल्क विभागों में विशेष प्रकार के काम की दृष्टि से सावधानी पूर्वक जांच कर ली गई है और १७ अक्टूबर, १९५५ की शर्तें विहित करने वाले सामान्य आदेश जारी किये गये हैं, **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २८]** जिनकी पूर्ति पर विस्थापित सरकारी कर्मचारी विभागीय परीक्षा पास करने से छूट पा सकते हैं और उनको परीक्षा में सफल होने के लिये विशेष अतिरिक्त अवसर दिये जा सकते हैं।

राज्यीय समारोहों पर व्यय

२१९. श्री श्रीनारायण दास : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न मंत्रालयों ने गत दो वर्षों में विभिन्न उत्सवों, स्वागत समारोहों, और उसी प्रकार के अन्य अवसरों के लिये कितने धन की अनुमति (अलग अलग) वित्त मंत्रालय से मांगी और कितना धन मंजूर किया गया ;

(ख) विभिन्न मंत्रालय किन किन उत्सवों पर वित्त मंत्रालय की स्वीकृति बिना व्यय कर सकते हैं ;

(ग) क्या इस विषय में कोई स्थायी आदेश (स्टेंडिंग आर्डर) हैं ; और

(घ) यदि हां, तो क्या उसकी एक प्रति सभा के टेबल पर रखी जायेगी ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) सूचना इकट्ठी की जा रही है, जो समय पर सभा की मेज़ पर रख दी जायेगी ।

(ख) तथा (ग). प्रधान मंत्री के सचिवालय, गृह मंत्रालय तथा विदेशी मंत्रालय के लिये हर एक साल मनोरंजन निधियों की व्यवस्था की जाती है । वित्त मंत्रालय की विशेष स्वीकृति के बिना, इन निधियों से किन कामों के लिये और कितना धन व्यय किया जा सकता है, इसका उल्लेख इस प्रयोजन के लिये बनाये गये स्थायी आदेशों में किया गया है ।

(घ) सरकारी आतिथ्य संगठन, विदेश मंत्रालय की आतिथ्य निधि तथा गृह मंत्रालय की मनोरंजन निधि के लिये बनाये गये नियमों की प्रतियों के बारे में परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या २९ देखिये ।

भारतीय टैकनालोजी (प्रोद्योगिक) संस्था, खड्गपुर

२२०. श्री श्रीनारायण दास : क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) भारतीय टैक्नालोजी संस्था, खड्गपुर में प्रबन्ध कार्य प्रणालियों और उत्पादन प्रबन्ध से सम्बन्धित कितने निवास अध्ययन पाठ्यक्रम अभी तक हुये हैं ; और

(ख) अभी तक कितने व्यक्तियों ने इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया है और उन व्यक्तियों में से कितने गैर-सरकारी नियोजकों द्वारा भेजे गये थे तथा कितने सरकार द्वारा ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) और (ख). अभी तक प्रबन्ध में जितने निवास अध्ययन पाठ्यक्रम हुये, पाठ्यक्रमों के जो विषय पढ़ाये गये, गैर-सरकरी नियोजकों और सरकार द्वारा जितने व्यक्ति भेजे गये, जिन्होंने इन पाठ्यक्रमों का अध्ययन किया, उन सबका विवरण इस प्रकार है : —

पाठ्यक्रमों की संख्या	पाठयक्रमों के विषय	पाठ्यक्रमों का अध्ययन करने वालों की संख्या	
		गैर सरकारी नियोजकों द्वारा भेजे गये	सरकार द्वारा भेजें गये
४	प्रबन्ध कार्य प्रणाली	२७	१८
	उत्पादन प्रबन्ध	२०	१९
	निर्माण प्रबन्ध	१६	१८
	औद्योगिक निरीक्षण	१८	३
	कुल संख्या	८१	५८

पुस्तकालय सम्बन्धी गोष्ठी (सेमिनार)

२२१. { **श्री श्रीनारायण दास :**
श्री भागवत झा आजाद :

क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) "समाज शिक्षा में पुस्तकालयों का भाग" नामक विषय पर जो गोष्ठी अभी हाल में दिल्ली में हुई थी उसमें किन किन संस्थाओं ने भाग लिया ;

(ख) इस गोष्ठी में किन विषयों पर विचार विमर्श किया गया ; और

(ग) इस गोष्ठी ने किस प्रकार की सिफ़ारिशें की हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) से (ग). एक विवरण सभा पटल पर रख दिया गया है। **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३०]**

पुनः बीमा नियम

२२२. { **सरदार हुक्म सिंह :**
श्री बहादुर सिंह :
श्री कासलीवाल :
श्री भागवत झा आजाद :
श्री श्रीनारायण दास :
श्री झुलन सिंह :
श्री राधा रमण :
श्री एस० के० रजमी :
श्री इब्राहीम :
श्री नम्बियार :
श्री अनिरुद्ध सिंह :

क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या पुनः बीमा निगम स्थापित करने के प्रस्ताव पर अन्तिम रूप से निर्णय हो गया है ;

(ख) क्या भारत बीमा कम्पनियां इस प्रस्ताव से सहमत हो गई हैं ; और

(ग) १९५३-५४ व १९५४-५५ में विदेशी कम्पनियों ने भारत में पुनः बीमा का कितना कार्य किया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) और (ख). सामान्य बीमा परिषद् की कार्यकारिणी समिति द्वारा इस मामले की सक्रिय जांच की जा रही है।

(ग) आंकड़े उपलब्ध नहीं हैं।

समाज शिक्षा कार्य-कर्त्ताओं और अध्यापकों की भर्ती

२२३. **श्री एम० एल० द्विवेदी :** क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि २४ हज़ार अध्यापकों और ६०० समाज शिक्षा कार्य-कर्त्ताओं की नियुक्ति सम्बन्धी योजना के सिलसिले में चालू वर्ष के दौरान में कितने अध्यापकों और समाज शिक्षा कार्य-कर्त्ताओं की नियुक्ति की गई है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम दास) : अध्यापक १६,७३६, समाज शिक्षा कार्य-कर्त्ता ५३९।

जम्मू और काश्मीर में सुरंगों का विस्फोट

२२४. { **चौधरी मुहम्मद शफी :**
श्री रघुनाथ सिंह :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १ जनवरी, १९५२ से अभी तक जम्मू और काश्मीर में सीमा रेखा के निकट सुरंगों के विस्फोट के परिणामस्वरूप कितने व्यक्ति मारे गये तथा कितने पशु नष्ट हुये ;

(ख) उन स्थानों का नाम क्या है जिनमें मनुष्य तथा पशु सुरंगों के विस्फोटों के शिकार हुये ;

(ग) क्या मृत व्यक्तियों के परिवारों के लोगों को कोई प्रतिकर दिया गया ;

(घ) यदि हां, तो कुल कितनी रकम दी गई व प्रति व्यक्ति कितनी रकम दी गई ; और

(ङ) उन मामलों की संख्या कितनी है जिनमें अभी तक कोई प्रतिकर नहीं दिया गया ?

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : (क) २६ असैनिक तथा २४ पशु ।

(ख) यह जानकारी देना जनहित में नहीं है ।

(ग) से (ङ). हमें प्रतिकर के कोई दावे प्राप्त नहीं हुए हैं ।

विदेशों में भारतीय विद्यार्थी

२२५. **श्री एस० एल० सक्सेना** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) १९५४–५५ व १९५५–५६ में निम्नलिखित देशों में अध्ययन करने वाले भारतीय विद्यार्थियों की क्या संख्या थी :

(१) ग्रेट ब्रिटेन,
(२) संयुक्त राज्य अमेरिका,
(३) सोवियत रूस,
(४) अन्य यूरोपीय देश,
(५) जनवादी चीन,
(६) अन्य एशियाई देश,
(७) कनाडा,
(८) आस्ट्रेलिया,
(९) न्यूजीलैण्ड, और
(१०) संसार के अन्य देश ;

(ख) इन विद्यार्थियों में से कितनों को भारत सरकार से विदेशी छात्रवृत्तियां मिलती हैं ; और

(ग) इन में से कितने विद्यार्थी उच्च (१) विज्ञान, (२) प्रौद्योगिकी, (३) यन्त्र शास्त्र तथा कृषि विज्ञान का अध्ययन कर रहे हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). १–१–१९५५ को जैसी स्थिति थी उसका विवरण-पत्र सभा पटल पर रखा जाता है। [देखिये परिशिष्ट १, अनुबन्ध संख्या ३१]

(ग) जानकारी उपलब्ध नहीं ।

पदाधिकारियों की चीन यात्रा

२२६. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) जिन सरकारी पदाधिकारियों ने १९५५ में चीन का भ्रमण किया है उनकी संख्या तथा पद क्या हैं ;

(ख) उनके भ्रमण का उद्देश्य क्या है ; और

(ग) उन पर कुल कितना खर्च किया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी० शाह) : (क) से (ग). एक जानकारी इकट्ठी की जा रही है और उपलब्ध होते ही सभा-पटल पर रखी जायेगी ।

सामाजिक कल्याण संस्थायें

२२७. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) केन्द्रीय सामाजिक कल्याण बोर्ड द्वारा १९५५–५६ में अभी तक पंजाब राज्य की विभिन्न संस्थाओं को दी गई वित्तीय सहायता की कुल रकम कितनी है ;

(ख) उन संस्थाओं की संख्या तथा उनके नाम जिनको यह सहायता दी गई ; और

(ग) सहायता के लिये प्रार्थना करने वाली संस्थाओं की संख्या तथा अस्वीकृत किये गये प्रार्थना पत्रों की संख्या क्या है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) जुलाई, १९५५ तक ६६,५०० रुपये ।

(ख) आवश्यक जानकारी का विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३२]

(ग) ३६ ने प्रार्थना-पत्र दिये जिनमें ५ अस्वीकृत हुए ।

अन्दमान और निकोबार द्वीप में स्कूल

२२८. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह स्कूलों की संख्या क्या है ; और

(ख) उन स्थानों के नाम क्या हैं जहां वे स्थित हैं ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) तथा (ख). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३३]

आइ० ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) तथा आइ० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी

२२९. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या गृह-कार्य मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब राज्य में १५ अगस्त १९४७ से अभी तक, नियुक्त किये गये आइ० ए० एस० तथा आइ० पी० एस० अधिकारियों की संख्या क्या है ; और

(ख) उसी समय में पंजाब से अन्य राज्यों अथवा केन्द्रीय सरकार में स्थानान्तर आइ० ए० एस० तथा आइ० पी० एस० अधिकारियों की संख्या क्या है ?

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : (क) आई० ए० एस०—३४ जिन में से ५ सेवा-निवृत्त हो चुके हैं ।

आई० पी० एस०—५०, जिन में से ७ सेवा-निवृत्त हो चुके हैं और ३ मर चुके हैं ।

(ख) कोई भी आई० ए० एस०/आई० पी० एस० अधिकारी पंजाब से स्थायी तौर से किसी अन्य राज्य या केन्द्रीय सरकार में स्थानान्तरित नहीं किया गया ।

विदेशी विशेषज्ञ

२३०. **श्री डी० सी० शर्मा** : क्या वित्त मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) विभिन्न प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत १९५५ में कितने विशेषज्ञ भारत आए ;

(ख) उन देशों के नाम क्या हैं जिन से वे विशेषज्ञ आए ;

(ग) किन किन विषयों पर उन से सलाह ली गई ; और

(घ) उन्हों ने किस प्रकार की सिफारिशें कीं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). एक विवरण सभा-पटल पर रखा जाता है । [देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३४].

(घ) प्रविधिक सहायता योजनाओं के अन्तर्गत प्राप्त विशेषज्ञों को साधारणतः सलाहकारी हैसियत में रखा जाता है तथा वे अपनी सिफारिशों के नियमित प्रतिवेदन प्रस्तुत नहीं करते ।

युवक शिविर

२३१. **श्री एम० एस० गुरुपादस्वामी** : क्या शिक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) वर्ष १९५४-५५ व १९५५-५६ (अक्तूबर तक) में विभिन्न राज्यों द्वारा संगठित युवक शिविरों की अलग-अलग संख्या क्या है ;

(ख) इन युवक शिविरों के लिये केन्द्रीय सरकार द्वारा कुल कितना अनुदान दिया जाता है ;

(ग) क्या सरकार को इन शिविरों के कार्यकरण के सम्बन्ध में कोई प्रतिवेदन प्राप्त हुआ है ; और

(घ) यदि हां, तो उस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) १९५४-५५ में ४४७ शिविर; अप्रैल १९५५ से ३१ अक्तूबर, १९५५ तक ७९५ शिविर ।

(ख) १९५४-५५ में २२,१८,४९८ रुपये । ३१-१०-५५ तक ४४,९६,५२८ रुपये ।

(ग) हां, कुल मामलों में ।

(घ) अधिकांश मामलों में शिविर सफलतापूर्वक चले हैं । चूंकि शिविरों की सफलता के लिये नेतृत्व तथा उचित संगठन आवश्यक है अतः संगठकों के प्रशिक्षण शिविर पर ज़ोर दिया जा रहा है ताकि अच्छे नेतृत्व द्वारा शिविरों की कार्यक्षमता में उन्नति हो ।

प्रविधिक सहयोग सहायता करार

२३२. **श्री आर० एन० सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री प्रविधिक सहयोग सहायता करार के अन्तर्गत १९५५-५६ में (३० सितम्बर तक) अमेरिका भेजे गये भारतीय विद्यार्थियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : ३९ ।

भत्ते के प्रयोजन के लिये दिल्ली का वर्गीकरण

२३३. **श्री गिडवानी** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या सरकार ने हाल ही में केन्द्रीय सरकार के कर्मचारियों को देय भत्तों के प्रयोजनों के लिये दिल्ली को 'ए' ('क') वर्ग का नगर घोषित करने के प्रस्ताव पर विचार किया है ; और

(ख) यदि हां, तो क्या निर्णय किया गया ?

राजस्व और असैनिक व्यय मंत्री (श्री एम० सी शाह) : (क) जी नहीं ।

(ख) प्रश्न उत्पन्न नहीं होता ।

लोक प्रशासन परियोजना

२३४. **डा० राम सुभग सिंह** : क्या **वित्त** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि भारत सरकार को कोलम्बिया विश्वविद्यालय द्वारा किये गये सूत्रपात के अन्तर्गत टी० सी० एम० अधिकारियों से लोकप्रशासन परियोजना में शिक्षा सुविधायें प्रदान करने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ है ;

(ख) यदि हां, तो प्रत्येक प्रशिक्षण पाठ्यक्रम की अवधि क्या होगी ;

(ग) प्रत्येक समूह में कितने भारतीय विद्यार्थियों को प्रशिक्षण मिल सकेगा ; और

(घ) विद्यार्थियों के चुनाव के लिये क्या योग्यताएं निर्धारित की गई हैं ?

वित्त मंत्री (श्री सी० डी० देशमुख) : (क) से (ग). जी हां, वह प्रस्ताव १५ जनवरी, १९५६ को प्रारम्भ होने वाले एक प्रशिक्षण-क्रम के लिये है और वह पाठ्यक्रम लगभग २६ सप्ताह चलेगा । तीन नाम-निर्देशन भेजने का प्रस्ताव है, चूंकि यह समझा जाता है कि इस क्रम के लिये ३ स्थान खुले हैं ।

(घ) अभ्यर्थियों का विद्या काल प्रथम श्रेणी का होना चाहिए तथा उन्हें अध्ययन के क्षेत्र में वास्तव में लगा होना चाहिए ।

साधारणतः उन्हें ४० वर्ष की अवस्था से अधिक नहीं होना चाहिये तथा उन को विश्वविद्यालयों, अथवा केन्द्रीय अथवा राज्य सरकारों द्वारा भेजा जाना चाहिये। अभ्यर्थियों को, लौटने के पश्चात्, सूत्रपात करने वाले प्राधिकारियों की कम-से-कम तीन बर्ष तक सेवा करने के लिये तैयार होना चाहिये।

जम्मू और काश्मीर के लिये अनुज्ञा-पत्र (परमिट)

२३५. { **श्री डी० सी० शर्मा :** / **सरदार इकबाल सिंह :** }

क्या **रक्षा** मंत्री उन व्यक्तियों की संख्या बताने की कृपा करेंगे जिन्हों ने कि १ अप्रैल से १५ नवम्बर, १९५५ तक जम्मू और काश्मीर में प्रवेश करने के लिये परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्र दिए ?

रक्षा मंत्री (डा० काटजू) : १ अप्रैल से १५ नवम्बर, १९५५ तक उन व्यक्तियों की संख्या जिन्हों ने रक्षा-मंत्रालय में जम्मू और काश्मीर में प्रवेश करने के लिये परमिटों के लिये प्रार्थना-पत्र दिए, १२,९४३ थी। राज्य सरकारों द्वारा प्राप्त किए गए प्रार्थना-पत्रों की संख्या के सम्बन्ध में जानकारी इकट्ठी की जा रही है और कालान्तर में सभा-पटल पर रखी जायेगी।

बहुप्रयोजनीय स्कूल

२३६. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री २० सितम्बर, १९५५ को पूछे गये तारांकित प्रश्न संख्या १९३८ के उत्तर के सम्बन्ध में यह बताने की कृपा करेंगे कि १९५५-५६ में माध्यमिक स्कूलों को बहु-प्रयोजनीय स्कूलो में परिवर्तित करने में, राज्यवार, कुल कितनी धनराशि खर्च की गई ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : जानकारी राज्यों से इकट्ठी करनी होगी और चालू वित्तीय वर्ष की समाप्ति के पूर्व उपलब्ध नहीं होगी।

पंजाब में सामाजिक कल्याण परियोजनायें

२३७. **सरदार इकबाल सिंह :** क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) पंजाब में अभी तक प्रारम्भ की गई ग्रामीण सामाजिक कल्याण परियोजनाओं की संख्या क्या है ;

(ख) इन परियोजनाओं में शामिल स्थानों व ग्रामों की कुल संख्या क्या है ; और

(ग) इस वर्ष में इन परियोजनाओं पर कितनी धनराशि व्यय की जायगी ?

शिक्षा मंत्री के सभा सचिव (डा० एम० एम० दास) : (क) ९।

(ख) २५ केन्द्र १९४ ग्रामों के लिये होंगे।

(ग) २.९० लाख रुपये।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५]

प्रश्नों के मौखिक उत्तर ४३०७-५१

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३७८	चीन के साथ विद्यार्थियों का आदान-प्रदान	४३०७-०९
३७९	गांधी विचारधारा सम्बन्धी गवेषणा	४३०९-१०
३८०	सशस्त्र बलों में आत्महत्याएं	४३१०-१२
३८१	खेलकूद	४३१२-१३
३८३	प्राकृतिक गैस	४३१३-१५
३८५	दिल्ली में सड़क दुर्घटनायें	४३१५-१७
३८७	हिन्दी अध्यापक	४३१७-१९
३८८	भारतीय नौसेना	४३१९-२०
३८९	नासिक में हवाई अड्डा	४३२०
३९१	बुद्ध जयन्ती	४३२०-२२
३९२	मेरी सेटन को निमंत्रण	४३२३
३९४	संयुक्त राष्ट्र संघ की परिषद्यताएं	४३२४-२६
३९५	अमेरिका की मध्यपूर्व स्थित सेनाओं के सेनापति की भारत यात्रा	४३२६-२७
३९६	सुगंधित तेल	४३२७-२८
३९७	बहुउद्देशीय स्कूल	४३२८-३०
३९८	भारतीय शिक्षा सेवा	४३३०-३१

प्रश्नों के मौखिक उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
३९९	रूसी खनन विशेषज्ञ	४३३१-३३
४०१	बहरे व्यक्तियों के सम्बन्ध में नमूना सर्वेक्षण	४३३३-३४
४०३	तेल के कुएं	४३३४-३६
४०४	जर्मन गवेषणा दल	४३३६-३८
४०६	कलाकृति क्रय समिति	४३३८-४०
४०७	कमीशन प्राप्त पदाधिकारियों का सेवा से मुक्त किया जाना	४३४०-४२
४०९	कोलम्बो योजना के अधीन छात्रवृत्तियां	४३४३-४४
४१०	सेना को छोड़ कर भाग जाना	४३४४-४६
४११	छावनियों में गैरीज़न सिनेमा घर	४३४६-४७
४१२	खेलकूद	४३४७-४८
४१३	भारत में विदेशी दूतावास	४३४८-४९
४१४	श्रव्य-दृश्य शिक्षा	४३४९-५०
४१५	योग सम्बन्धी गवेषणा	४३५०-५१

प्रश्नों के लिखित उत्तर ४३५१–७४

ता० प्र०

संख्या	विषय	स्तम्भ
३८२	भारतीय नौसना का गोदी (डाकयार्ड) शिशिक्षु स्कूल, बम्बई . . .	
३८४	भारतीय नौसेना का विमान दल (एयर यूनिट) .	४३५२
३८६	हिन्दुस्तान एयरक्राफ्ट लिमिटेड .	४३५२
३९०	वेलिंगटन छावनी .	४३५३
३९३	वैज्ञानिकों का आदान प्रदान . .	४३५३
४००	निर्वाचक नामावली .	४३५३–५४
४०२	खनिज तेल .	४३५४
४०५	त्रावणकोर-कोचीन के लिये बैंक आयोग .	४३५४–५५
४०८	पिछड़े वर्गों सम्बन्धी बोर्ड	४३५५
४१६	पुनर्वास वित्त प्रशासन	४३५५
४१७	वज्ञानिक सेवा आयोग	४३५५–५६
४१८	केन्द्रीय शिक्षा मंत्रणा बोर्ड	४३५६
४१९	संस्कृत . .	४३५६–५७
४२०	भारतीय टेक्नालोजी संस्था, खड्गपुर . .	४३५७
४२१	रक्षा सेवा पदाधिकारी	४३५७

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

ता० प्र०

संख्या	विषय	स्तम्भ
४२२	सचिवालय में नियुक्तियां	४३५८
४२३	कोलार में सोने की खानें	४३५९
४२४	उपकर निधियां	४३५९–६०
४२५	औद्योगिक ऋण तथा विनियोजन निगम	४३६०
४२६	असमर्थ विद्यार्थियों के लिये छात्रवृत्तियां	४३६०
१२३	विदेशी प्रविधिक सहायता	४३६०–६१

अ० प्र०

संख्या	विषय	स्तम्भ
२१७	गुफाओं के भित्ति चित्रों का परिरक्षण .	४३६१
२१८	सीमाशुल्क समाहर्तृ कार्यालय	४३६१–६२
२१९	राज्यीय समारोहों पर व्यय . .	४३६२–६३
२२०	भारतीय टेंकनालोजी (प्रोद्यौगिकी) संस्था, खड्गपुर . .	४३६४
२२१	पुस्तकालय सम्बन्धी समिति गोष्ठी (सेमिनार)	४३६५
२२२	पुनर्बीमा निगम	४३६५–६६
२२३	समाज शिक्षा कार्यकर्ताओं और अध्यापकों की भरती	४३६६

[दैनिक संक्षेपिका]

प्रश्नों के लिखित उत्तर—(क्रमशः)

अ० प्र० संख्या	विषय	स्तम्भ
२२४	जम्मू और काश्मीर में सुरंगों का विस्फोट	४३६६–६७
२२५	विदेशों में भारतीय विद्यार्थी	४३६७–६८
२२६	पदाधिकारियों की चीन यात्रा	४३६८
२२७	सामाजिक कल्याण संस्थाएं	४३६८–६६
२२८	अन्दमान और निकोबार द्वीप-समूह में स्कूल	४३६६
२२६	आई० ए० एस० (भारतीय प्रशासनिक सेवा) तथा आई० पी० एस० (भारतीय पुलिस सेवा) अधिकारी	४३६६–७०
२३०	विदेशी विशेषज्ञ	४३७०
२३१	युवक शिविर	४३७०–७१
२३२	प्रविधिक सहयोग सहकारिता करार	४३७१
२३३	भत्ते के प्रयोजन के लिये दिल्ली का वर्गीकरण	४३७१–७२
२३४	लोक प्रशासन सेवा	४३७२–७३
२३५	जम्मू और काश्मीर के लिये अनुज्ञा-पत्र (परमिट)	४३७३
२३६	बहुप्रयोजनीय स्कूल	४३७३–७४
२३७	पंजाब में सामाजिक कल्याण परियोजनाएं	४३७४

———

लोक-सभा

वाद-विवाद

शुक्रवार,
२ दिसम्बर, १९५५

(भाग २—प्रश्नोतर क अतिरिक्त कार्यवाही)

खंड ९, १९५५

(२१ नवम्बर स ६ दिसम्बर, १९५५)

1st Lok Sabha

Preservation Unit
5-4-92
Fumigated
On 11.11.83
Parliament Library

ग्यारहवां सत्र, १९५५,
(खंड ९ में अंक १ से १५ तक है)

लोक-सभा सचिवालय,
नई दिल्ली

विषय-सूची

स्तम्भ

संख्या १—सोमवार, २१ नवम्बर, १९५५

विधेयकों पर राष्ट्रपति की अनुमति ५६४३–४४
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ५६४४–४७
अन्तर्राज्यिक जल विवाद विधेयक ५६४७
नदी बोर्ड विधेयक . . . ५६४७
व्यवहार प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक ५६४८
नागरिकता विधेयक . . ५६४८, ५७१७
संविधान (पांचवां संशोधन) विधेयक ५६४८–४९
संविधान (छठा संशोधन) विधेयक ५६४९
समवाय विधेयक ५६४९–५३
नागरिकता विधेयक . . . .
मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन) विधेयक—
विचार करने का प्रस्ताव . ५६५४–५७१७
खंडों पर विचार—खंड २ से १९ . ५७१७–४६
दैनिक संक्षेपिका ५७४७

संख्या २—मंगलवार, २२ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—
बम्बई की स्थिति . ५७५१
सभा पटल पर रखे गये पत्र ५७५२
मोटर गाड़ी (संशोधन) विधेयक ५७५२

मुद्रणालय तथा पुस्तक पंजीयन (संशोधन विधयक)—

खंड १९ . . ५७५२–५५
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव ५७५५
समवाय विधेयक ५७५५–७३

भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक—

विचार करने का प्रस्ताव ५७७३–५८१०
खंड २ से ५ और १ . . . ५८१०–१९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . ५८१९–२७

स्तम्भ

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८२७–३२
दैनिक संक्षेपिका ५८३३–३४

संख्या ३—बुधवार, २३ नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव——
बम्बई की स्थिति . . ५८३५–४०

गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति——
उनतालीसवां प्रतिवेदन . . ५८४०

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विचार करने का प्रस्ताव ५८४०–५९१६
दैनिक संक्षेपिका ५९१७–१८

संख्या ४—गुरुवार, २४ नवम्बर, १९५५

पटल पर रखे गये पत्र . . ५९१९–२१
कार्य मंत्रणा समिति——
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . ५९२१
आकाशवाणी के पदाधिकारियों के बारे में विवरण ५९२१–२२
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ५९२२–२३

विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक ५९२३–६०१०
विचार करने का प्रस्ताव ५९२३
खंडों पर विचार . . ५९८७–६०१०
खंड २ . . ५९८७–९५
खंड ३ और ४ . ५९८७–९५
खंड ५ . . ५९९५–६०१०
दैनिक संक्षेपिका . ६०११–१४

संख्या ५—शुक्रवार, २५ नवम्बर, १९५५

सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६०१५–१६
कार्य मंत्रणा समिति——
सत्ताईसवां प्रतिवेदन . . . ६०१६–२१
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक——खंड ६ से १२ ६०२२–५५

स्तम्भ

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

उनतालीसवां प्रतिवेदन . ६०५५–५६
रेलों के पुनवर्गीकरण के बारे में संकल्प ६०५६–६१०४
औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . ६१०४–०६
दैनिक संक्षेपिका . ६१०७

संख्या ६—सोमवार, २८ नवम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

अट्ठाइसवां प्रतिवेदन . ६१०९
प्राक्कलन समिति के लिये निर्वाचन . ६१०९–१०
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . . . ६११०
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक . ६११०–१७
विश्वविद्यालय अनुदान आयोग विधेयक . ६११७–४१
खंडों पर विचार . . ६११७
खंड १३ स २६ और १ . . ६१२९
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१२९
प्रतिभूति संविदा (विनिमयन) विधेयक— . . . ६१४१–७५
संयुक्त समिति को सौंपने का प्रस्ताव . . . ६१४१–४२
भारतीय मुद्रांक (संशोधन) विधेयक . . . ६१७५–७९
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६१७५
खंडों पर विचार . . . ६१७७
खंड १ से ८ . . . ६१७८
पारित करने का प्रस्ताव . . . ६१७८
कशाघात उत्सादन विधेयक . . ६१७८–६२०४
विचार करने का प्रस्ताव ६१७८
दैनिक संक्षेपिका . ६२०५

संख्या ७—बुधवार, ३० नवम्बर, १९५५

स्थगन प्रस्ताव—

अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति ६२०७–०८
तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६२०९
सभा-पटल पर रखे गये पत्र . ६२०९
लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . ६२१०–११
लोक प्रतिनिधित्व (द्वितीय संशोधन) विधेयक ६२११

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति— ६२१२

चालीसवां प्रतिवेदन

	स्तम्भ
कार्य मंत्रणा समिति—	
अठाइसवां प्रतिवेदन	६२१२
कशाघात उत्सादन विधेयक .	६२१५––३७
विचार करने का प्रस्ताव .	६२१५
खंड १ से ४ . .	६२३७
संविधान (सप्तम संशोधन) विधेयक	६२१३–१५, ६२३८–८०
प्रवर समिति को सौंपने का प्रस्ताव	६२३८
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक	६२८०–८८
विचार करने का प्रस्ताव	६२८०
दैनिक संक्षेपिका	६२८६–६२
संख्या ८—गुरुवार, १ दिसम्बर, १९५५	
सभा-पटल पर रखे गये पत्र .	६२९३–९७
भ्रष्टाचार निवारण (संशोधन) विधेयक	६२९७
बीमा (संशोधन) विधेयक	६२९७–९८
संविधान (सातवां संशोधन) विधेयक पर मतदान के सम्बन्ध में प्रश्न	६२९८–६३००
मनीपुर (न्यायालय) विधेयक . .	६३००–१२
विचार करने का प्रस्ताव	६३००
खंडों पर विचार—	
खंड २ से ४६ और १ . .	६३११–१२
संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव	६३१२
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक	६३१२–७२
विचार करने का प्रस्ताव	६३१२
खंडो पर विचार—	
खंड २ से ४ और १	६३५८–७२
पारित करने का प्रस्ताव	६३७२
दैनिक संक्षेपिका	६३७३–७६
संख्या ९—शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५	
सभा पटल पर रखे गये पत्र	६३७७, ६३८४
स्थगन प्रस्ताव—	
अगरतला के राताचेरा ग्राम की स्थिति .	६३७८–८१
रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक . . .	६३८१–८

स्तम्भ

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि . . . ६३८२
भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक . . ६३८२
दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६३८३
अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग "ग" राज्य विधान-मंडल) संशोधन विधेयक ६३८३-८४
संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक . ६३८४-६४१८
विचार करने का प्रस्ताव ६३८५
गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति --- .
चालीसवां प्रतिवेदन . . . ६४१८
भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक . . . ६४१९
भारतीय अन्य प्रधर्म ग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक . ६४१९-३९
विचार करने का प्रस्ताव ६४१९
कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक . . . ६४२९,६२
विचार करने का प्रस्ताव ६४३९
भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक . . . ६४६२
दैनिक संक्षेपिका ६४६३-६६

संख्या १०—शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६४६७
तारांकित प्रश्न संख्या के उत्तर में शुद्धि . ६४६७-६९
सभा का कार्य ६४६९
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में . . ६४६९-६५५६
विचार करने का प्रस्ताव ६४६९
दैनिक संक्षेपिका ६५५७-५८

संख्या ११—सोमवार, ५ दिसम्बर, १९५५

राज्य सभा से सन्देश ६५५९
हिन्दू उत्तराधिकार विधेयक ६५५९
अनुपूरक अनुदानों की मांगें, १९५५-५६ . . ६५५९
अतिरिक्त अनुदानों की मांगें, १९५०-५१ . . . ६५६०
संयुक्त राज्य अमरीका के विदेश मंत्री तथा पुर्तगाल के विदेश मंत्री के संयुक्त वक्तव्य के बारे में वक्तव्य . . . ६५६०-६१
नागरिकता विधेयक, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में ६५६१-६६५२
विचार करने का प्रस्ताव . . . ६५६१
खंड २ से १० . . . ६६०३-५२
दैनिक संक्षेपिका ६६५३-५४

स्तम्भ

संख्या १२—मंगलवार, ६ दिसम्बर, १९५५

सभा पटल पर रखे गये पत्र . . ६६५५–५७

नियम समिति— ६६५७

प्रथम प्रतिवेदन ६६५७

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीसवां प्रतिवेदन . ६६५७

कार्य मंत्रणा समिति—

उनतीसवां प्रतिवेदन ६६५७–६०

सभा का कार्य

नागरिकता विधेयक . ६६६०–६७१०

खंडों पर विचार . . . ६६६०–१०

खंड ३, ५, ८, १० से १९ और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ६६१०

बीमा (संशोधन) विधेयक ६७११–४४

विचार करने का प्रस्ताव . ६७११

लोक प्रतिनिधित्व (संशोधन) विधेयक . . ६७४४

दैनिक संक्षेपिका ६७४५–४६

संख्या १३—बुधवार, ७ दिसम्बर, १९५५

राज्य-सभा से सन्देश ६७४७–४८

श्रमजीवी पत्रकार (सेवा की शर्तों) तथा विविध उपबन्ध, विधेयक ६७४८

सभा पटल पर रखे गये पत्र . ६७४९

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन . . ६७४९

उनतालीसवां प्रतिवेदन . . . ६७५०–५४

सभा का कार्य ६७५४–५५

बीमा (संशोधन) विधेयक— . . ६७५५–६८२०

विचार करने का प्रस्ताव . ६७५५–६८१७

खंड २ से ६ और १ . ६८१३–१०

पारित करने का प्रस्ताव . . ६८१७–२२

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८२०–५७

विचार करने का प्रस्ताव ६८२०–५०

दैनिक संक्षेपिका . ६८५१–५०

संख्या १४—गुरुवार, ८ दिसम्बर, १९५५

कार्य मंत्रणा समिति—

तीसवां प्रतिवेदन ६८५३

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक ६८५४–८८

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक ६८८८–६९६२

विचार करने के लिये प्रस्ताव ६८८२

खंड २ से ३ ६९४४-६२

दैनिक संक्षेपिका ६९६३–६४

संख्या १५, शुक्रवार, ९ दिसम्बर, १९५५

राज्य पुनर्गठन आयोग के प्रतिवेदन पर चर्चा करने के बारे में घोषणा . ६९६५–७०

अविलम्बनीय लोक-महत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना—मद्रास में तूफान ६९७०–७५

नियम ३२१ के विलम्बन के बारे में प्रस्ताव ६९७५–८४

संविधान (आठवां संशोधन) विधेयक . . . ६९८४–८५

स्वेच्छापूर्वक वेतन परित्याग (करारोपण से विमुक्ति) संशोधन विधेयक ६९८५

सभा का कार्य ६९८५–८६

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक . . ६९८६–७०१७

खंड ४ से २० और १ संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . ७०१७

अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ७०१७–३५

विचार करने का प्रस्ताव . ७०१८

खंड २ और १. . . ७०३५

संशोधित रूप में पारित करने का प्रस्ताव . . . ७०३५

भारतीय प्रशुल्क (द्वितीय संशोधन) विधेयक तथा भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक ७०३६–४९

विचार करने का प्रस्ताव ७०३६

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति—

इकतालीवां प्रतिवेदन . ७०४९–५०

औद्योगिक सेवा आयोग के बारे में संकल्प . . ७०५०–७०

सामुदायिक परियोजनाओं और राष्ट्रीय विस्तार सेवा योजनाओं की पड़ताल के लियेएकसमिति की नियुक्ति करने के बारे में संकल्प ७०७०–८८

दैनिक संक्षेपिका . ७०८९–९०

अनुक्रमणिका (१-४९)

लोक-सभा वाद-विवाद

(भाग २—प्रश्नोत्तर के अतिरिक्त कार्यवाही)

लोक-सभा

शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५

लोक-सभा ग्यारह बजे समवेत हुई।

[**अध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

प्रश्नोत्तर

(दखिये भाग १)

१२ मध्याह्न

सभा पटल पर रखे गये पत्र

अत्यावश्यक अधिनियम के अंतर्गत अधिसूचना

खाद्य और कृषि उपमंत्री (श्री एम० बी० कृष्णप्पा) : मैं अत्यावश्यक अधिनियम, १९५५ की धारा ३, उपधारा (६) के अधीन, अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२४७ दिनांक १२ अक्तूबर, १९५५ की एक प्रति सभा-पटल पर रखता हूं, जिस के द्वारा खाद्य और कृषि मंत्रालय अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७४० दिनांक २५ अगस्त १९५४ रद्द कर दी गई है। [**पुस्तकालय में रखी गई। दखिय संख्या एस**—४०६/५५].

स्थगन प्रस्ताव

अगरताला के राताचेरा ग्राम की स्थिति

अध्यक्ष महोदय : सभा अब अगरताला (त्रिपुरा) में स्थित राताचेरा कथित पुलिस ज्यादतियों के सम्बन्ध में श्री दशरथ देव और श्री बीरेन दत्त द्वारा रखे गये स्थगन प्रस्ताव पर विचार करेगी। माननीय उपमंत्री अब विवरण देंगे।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : त्रिपुरा से प्राप्त समाचारों से यह दिखाई पड़ता है कि ये आरोप बिल्कुल गलत हैं कि २१ नवम्बर को रतछेरा में पुलिस ने मकान जलाये, महिलाओं पर अत्याचार किया और लोगों को मारा पीटा जिस से छः गांवों में आतंक फैला हुआ है। निम्न तथ्य मालूम किये गये हैं :

२२ अक्तूबर, १९५५ को एमरापासा गांव के ध्यान सिंह नामक व्यक्ति को फतिक्रोय पुलिस चौकी की पुलिस ने बिना लाइसेंस बन्दूक रखने के अपराध में गिरफ्तार किया। जब पुलिस दल गिरफ्तार व्यक्ति के साथ पुलिस चौकी वापस आ रहा था, तब लगभग ३०० व्यक्तियों की एक भीड़ ने पुलिस पर आक्रमण किया और ध्यान सिंह को जबरदस्ती पुलिस से छीन लिया और पुलिस दल का पीछा किया। कुछ स्थानीय ग्रामीणों ने

[श्री दातार]

पुलिस को पनाह दी। उस क्षेत्र में जहां उपद्रवकारी छिप गये थे शांति स्थापित करने के लिये और पुलिस को सहायता देने वाले ग्रामीणों को संरक्षण देने के लिये एक अस्थायी पुलिस शिविर एमरापासा गांव में खोला गया है। अभी तक केवल दो अभियुक्त गिरफ्तार किये गये हैं। समाचार मिला है कि पुलिस पर हमला करने के लिये उत्तरदायी समाज-विरोधी व्यक्तियों ने पुलिस पर अत्याचार के आरोप लादने के उद्देश्य से कुछ पुरानी झोंपड़ियों को आग लगा दी थी। राज्य सरकार ने सूचित किया है कि ये सभी आरोप बिलकुल गलत हैं कि पुलिस ने ग्रामीणों के मकान जलाये, उन की स्त्रियों पर अत्याचार किया और रुपया पैसा, चावल, पटसन आदि लूट लिया और आतंक की स्थिति पैदा की।

श्री दशरथ देव (त्रिपुरा पूर्व) : पुलिस एमरापासा और दमदम चारा गांवों में गई और उस ने वहां तीन महिलाओं पर बलात्कार किया। जब अन्य महिलायें उन महिलाओं की सहायता के लिये घटनास्थल पर आईं, तो पुलिस ने चार गोलियां चलाईं और उन के मकानों में आग लगा दी। अपने इन कुकृत्यों को छिपाने के लिये पुलिस ने बिना लाइसेंस बन्दूक की झूठी कहानी गढ़ी है। सबरूम के बोरातालि की चार महिलाओं ने स्थानीय अधिकारियों के पास एक शिकायत दर्ज की है। ज्ञात हुआ है कि पुलिस के दो आदमियों को दंड दिया गया है। मैं यह कहना चाहता हूं कि एमरापासा, राताचेरा, रायकृष्णपाड़ा, और गंगामानकपाड़ा में आतंक की स्थिति चल रही है। यह बहुत महत्वपूर्ण विषय है और माननीय अध्यक्ष महोदय से मेरी प्रार्थना है कि वह इस प्रस्ताव के लिए अनुमति दें।

श्री बीरेन दत्त (त्रिपुरा पश्चिम) : पुलिस ने स्त्रियों पर बलात्कार किया है और अन्य महिलाओं के अभ्यावेदन पर पुलिस सुपरिंटेंडेंट ने दो पुलिस पदाधिकारियों को मुअत्तल कर दिया है। जब मामला ऐसा हो, तब हम उपमंत्री के ऐसे विवरणों से किस तरह संतुष्ट रह सकते हैं ?

अध्यक्ष महोदय : दो भिन्न कहानियां मालूम पड़ती हैं और मेरे विचार से मुझे गृह-कार्य उपमंत्री द्वारा दिया गया विवरण स्वीकार करना होगा। किन्तु मालूम होता है कि तथ्यों का पता लगाने और उन का अनुसंधान करने के लिये अभी बहुत गुंजायश है। अतः मैं माननीय गृह-मंत्री से प्रार्थना करूंगा कि वे अभी कथित आरोपों के बारे में और जांच करें और एक विवरण प्रस्तुत करें और तब मैं इस स्थगन प्रस्ताव पर निर्णय दूंगा।

रक्षा संगठन मंत्री (श्री त्यागी) : अब तक सभा में यह प्रथा रही है कि सरकारी यंत्र प्रणाली के विरुद्ध आरोप किसी प्रचार अथवा किसी अन्य आधारों पर आधारित होते थे। आशा है कि माननीय सदस्य के पास ऐसा कोई प्रलेख होगा, जिस के आधार पर वे सभा में ये आरोप लगा सकते हैं। अन्यथा यह स्थगन प्रस्ताव ग्राह्य नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : सामान्य नियम यह है कि जहां तक तथ्यों का प्रश्न है, सरकारी विवरण स्वीकार करना होता है। किन्तु इस मामले में माननीय सदस्यों द्वारा बताये गये तथ्य माननीय मंत्री द्वारा बताये गये तथ्यों से बिलकुल भिन्न हैं। यह आवश्यक नहीं कि वह जानकारी प्रलेखीय हो। माननीय सदस्य के पास विश्वसनीय व्यक्तियों के विवरण हो सकते हैं। समाचारपत्रों की सूचनायें सच्ची हो सकती हैं अथवा नहीं भी हो सकती हैं। मैं उन पर विश्वास नहीं कर रहा हूं। किन्तु माननीय सदस्य जब व्यक्तियों

और गांवों के नाम बताते हुए विशिष्ट घटनाओं का उल्लेख कर रहे हैं, तब वे अधिक जानते हैं, ऐसा मेरा मत है। अतः मेरे विचार से यह बहुत गंभीर मामला है और इस की प्रत्यक्षतः और अधिक जांच की आवश्यकता है। इस लिये केवल गृह-कार्य मंत्री के विवरण के आधार पर इस प्रस्ताव को अस्वीकार करना गलत होगा। इस विषय में यही मेरी धारणा है।

श्री कामत (होशंगाबाद) : क्या मैं आप से प्रार्थना कर सकता हूं कि आप माननीय मंत्री को निदेश दें कि वे एक सप्ताह के अन्दर अथवा किसी भी हालत में इसी सत्र के दौरान में आगे विवरण दें ? इस में बहुत अधिक विलम्ब नहीं लगना चाहिये।

अध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव का उद्देश्य ठीक ठीक तथ्य जानना है। यद्यपि मैं चाहता हूं कि विवरण यथासंभव शीघ्र प्रस्तुत किया जाय, फिर भी वह पूर्ण और यथासंभव ठीक होना चाहिये। इस प्रस्ताव को रखने वाले दो माननीय सदस्यों से मैं प्रार्थना करूंगा कि इस सम्बन्ध में जांच के लिये वे माननीय मंत्री को अपने पास के तथ्य बता कर उन की सहायता करें।

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक

अध्यक्ष महोदय : मुझे सभा को निम्न सूचना देनी है :

रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक, १९५४, ३१ अगस्त, १९५४ को राज्य सभा द्वारा पारित किया गया था और १ सितम्बर, १९५४ को इस सभा में भेजा गया था। इस सभा ने १२ मार्च, १९५५ को वह विधेयक प्रवर समिति को सौंप दिया और प्रवर समिति ने ३१ मार्च, १९५५ को अपना प्रतिवेदन प्रस्तुत किया। इस सभा की प्रवर समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में विधेयक कल सभा द्वारा पारित किया गया।

प्रवर समिति ने खंड १, २ और ३ तथा अधिनियमन सूत्र में परिवर्तन किये जिन से सभा कल सहमत हो गई थी।

विधेयक में कल इस सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति के लिये विधेयक, इस सभा द्वारा संशोधित रूप में, अब राज्य-सभा को भेजा जाने वाला है। तदनुसार एक सन्देश राज्य सभा को भेजा जा रहा है।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि

रक्षा उपमंत्री (सरदार मजीठिया) : तारांकित प्रश्न ११३७ के सम्बन्ध में, जिस का उत्तर लोक-सभा में २५ अगस्त, १९५५ को दिया गया था, श्री श्यामनन्दन सहाय ने एक अनुपूरक प्रश्न पूछा था कि सुरंगें साफ करने वाले नये थे या पुराने थे, जिस के उत्तर में मैं ने बताया था कि वे बहुत पुराने नहीं हैं और वे बिल्कुल नये भी नहीं हैं। मुझे खेद है कि मेरा उत्तर ठीक नहीं है और मैं अपने उत्तर की शुद्धि के लिये और उस के स्थान पर निम्न उत्तर रखने के लिये अनुज्ञा चाहता हूं।

"वे बिलकुल नये हैं।"

भाग 'ग' राज्य (विधियां) संशोधन विधेयक

गृह-काय उपमंत्री (श्री दातार) : मैं मनीपुर राज्य में कतिपय अधिनियम

[श्री दातार]

लागू करने के उद्देश्य से भाग ग राज्य (विधियां) अधिनियम, १९५० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं ।

दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक

स्वास्थ्य मंत्री (राजकुमारी अमृत कौर) : मैं प्रस्ताव करती हूं कि दिल्ली में भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि दिल्ली में भवन निर्माण कार्यों पर नियंत्रण की व्यवस्था करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

राजकुमारी अमृतकौर : मैं विधेयक को पुरःस्थापित करती हूं ।

अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग 'ग' राज्य विधानमंडल) संशोधन बिधेयक

विधि तथा अल्प-संख्यक कार्य मंत्री (श्री विश्वास) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधान-मंडल) अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है कि :

"अनर्हता निवारण (संसद् तथा भाग ग राज्य विधानमंडल) अधिनियम, १९५३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रताव स्वीकृत हुआ ।

श्री विश्वाश : मैं विधेयक को पुरः-स्थापित करता हूं ।

पटल पर रखा गया पत्र

दिल्ली (भवन निर्माण कार्योंपर नियंत्रण) अध्यादेश जारी करने के लिये कारण बताने वाला विवरण

स्वास्थ्य मंत्री राजकमारी अमृत कौर) : मैं दिल्ली (भवन निमणि कार्यों पर नियंत्रण) अध्यादेश, १९५५ (१९५५ का ५) जारी कर तुरन्त विधान बनाने के कारण बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रति पटल पर रखती हूं जैसा कि लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्यसंचालन सम्बन्धी नियमों के नियम ८९(१) में अपेक्षित है । **[देखिये परिशिष्ट ३, अनुबन्ध संख्या ३५]**

नागरिकता विधेयक

अध्यक्ष महोदय : संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में एक विधेयक भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने के लिये है, जिस के लिये १५ घंटे रखे गये हैं । माननीय उपमंत्री इस के लिये प्रस्ताव रखेंगे । इस के लिये समय विभाजन इस प्रकार होगा : नौ घंटे

विचारार्थ प्रस्ताव के लिये, पांच घंटे खंडवार विचार के लिये और एक घंटा तृतीय वाचन के लिये ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि भारतीय नागरिकता के अर्जन तथा समाप्ति की व्यवस्था करने वाले विधेयक पर, संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में, विचार किया जाये ।"

जब यह विधेयक संयुक्त समिति को भेजे जाने के लिये सभा के समक्ष था, तब अनेक विषय उठाये गये थे, कई सुझाव रखे गये थे और कई शिकायतें भी की गई थीं कि कतिपय पहलुओं में यह विधेयक संतोष-जनक नहीं है ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन]

माननीय गृह-मंत्री ने वचन दिया था कि संयुक्त समिति सारे सुझावों पर पूरी तरह से विचार करेगी और जो कुछ भी, संयुक्त समिति निर्णय करेगी वही सरकार को मान्य होगा ।

मुझे प्रसन्नता है कि संयुक्त समिति ने संपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है और उस ने अनेक सुझाव तथा शिकायतें स्वीकार कर ली हैं । संयुक्त समिति ने विधेयक में कई महत्वपूर्ण सुधार किये हैं और इसलिये वर्तमान रूप में यह विधेयक अधिनियम बन सकता है ।

नागरिकता विधेयक में संयुक्त समिति द्वारा किये गये सुधारों में से कुछ महत्वपूर्ण सुधारों का उल्लेख मैं यहां संक्षेप में करूंगा । आप जानते होंगे कि संविधान और इस विधेयक के उपबन्धों के अधीन पाकिस्तान से भारत आये आप्रवासी यहां अपने को नागरिक के रूप में पंजीकृत करा सकते हैं । उन व्यक्तियों को, जिन्हों ने अपने आप को पंजीकृत करा लिया है अथवा अपने को देशीय-से वंचित करने के सम्बन्ध में एक खंड विधेयक में था । उस पर यह आपत्ति उठाई गई थी कि वे विस्थापित व्यक्ति भारत-विभाजन के पूर्व भी भारतीय थे और अब भी भारतीय हैं । अतः उन्हें उन व्यक्तियों के बराबर नहीं समझा जाना चाहिये जो अन्य देशों से भारत आते हैं और नागरिकता के अधिकारों के लिये अथवा देशीयकरण के लिये आवेदन करते हैं । संयुक्त समिति ने इन दो वर्गों को खंड १० के क्षेत्र से बाहर निकालने का प्रयत्न किया है । अतः ऐसे लोग जो संविधान के अनुच्छेद ६(ख)(२) के अधीन अथवा वर्तमान विधेयक के खंड ५(१)(क) के अधीन पंजीकरण द्वारा भारतीय नागरिक बन गये हैं, अधिकार छीन लेने सम्बन्धी खंड के अन्तर्गत नहीं आते और खंड १० में उल्लिखित किसी प्रक्रिया द्वारा उन के नागरिकता के अधिकार छीन लिये जाने का कोई खतरा या ऐसा कोई प्रश्न नहीं है । यह बहुत संतोषजनक है और खंड १०(१) का उचित रूप से संशोधन किया गया है जिस से विस्थापित व्यक्तियों के ये दो वर्ग इस विधेयक के क्षेत्र से बाहर कर दिये गये हैं । अब वे भी उन नागरिकों के समान हैं जिन के नागरिकता के अधिकार छीने नहीं जा सकते ।

मेरे मित्र श्री एन्थनी द्वारा एक दूसरी आपत्ति भी उठाई गई थी । उन का यह कहना था कि युद्ध काल में एक बहुत बड़ी संख्या में आंग्ल-भारतीय ब्रिटेन के नागरिक हो गये थे और यदि वर्तमान विधेयक के अधीन, नागरिकता के उन के अधिकार छीन लिये जाने को हों, तो इस से उन लोगों को बड़ी कठिनाई होगी । संयुक्त समिति ने इस आपत्ति पर भी विचार किया था और अब उन्हों ने एक उपबन्ध बनाया है कि केवल वे लोग ही अपवाद रूप होंगे, जिन्हों ने संविधान प्रारम्भ होने के बाद स्वेच्छा से नागरिकता के अधिकार प्राप्त कि थे और

[श्री दातार]

अधिकारों के अर्जन से नागरिक बन गए थे। वे भारत के नागरिक ही रहें और उन की नागरिकता जारी समझी जायगी । अतः इस खंड से ऐसे व्यक्तियों के सम्बन्ध में श्री एन्थनी की आपत्ति का समाधान भी किया गया है ।

आगे राष्ट्रमंडलीय नागरिता के सम्बन्ध में एक सामान्य शिकायत है और विरोधी दल के कुछ सदस्यों ने एक विमति-टिप्पणी भी दी है । जैसाकि गत चर्चा के दौरान में मैं ने बताया था और गृह मंत्री ने भी बताया था, इस राष्ट्र मंडलीय नागरिकता की बराबरी भारतीय नागरिकता के साथ कदापि नहीं हो सकती वर्तमान स्थिति यह है कि खंड २(१) के अधीन सर्व प्रथम राष्ट्रमंडलीय नागरिकता विधि कि परिभाषा करनी होगी । राष्ट्र मंडल विधि उस देश की वह विधि होगी जिसे स्वीकृत करनें के लिये उस देश की सरकार हमसे प्रार्थना करेगी । अतः आप यह देखेंगे कि एक राष्ट्रमंडल देश को अपनी विधि को नागरिकता विधि के तौर पर स्वीकृत कराने के लिये दूसरे देश से प्रार्थना करनी होती है । वह एक पहला कदम है । आगे दो जगहों पर पारस्परिकता का प्रश्न भी उठाया गया है । पहले वह केवल खंड १२ में था किन्तु अब संशोधित खंड ५ (१) में भी एक परन्तुक है जिस से यह स्पष्ट कर दिया गया है कि ये अधिकार उसी दशा में मंजूर किये जाने चाहियें जबकि उन देशों की, जहां से ये आवेदक आते हैं, हालतों पर पूरा पूरा विचार कर लिया गया हो । अतः संयुक्त समिति ने एक नया परन्तुक जोड़ा है जिस में यह स्पष्ट किया है कि यदि राष्ट्रमंडल म भी ऐसे देश हों जो भारतीयों के साथ उचित व्यवहार न करते हों या जो भेदभाव के दोषी हों तो पारस्परिकता का सिद्धान्त स्वीकार करने के पूर्व उन देशों में वर्तमान दशाओं पर विचार किया जायेगा । इस प्रकार अब हमारे पास तीन उपबन्ध हैं जो भारतीयों के अधिकारों का पर्णतया संरक्षण करते हैं और अब किसी भी देश के लिये, चाहे वह राष्ट्रमंडल का कोई ऐसा देश ही क्यों न हो जो भारतीयों के विरुद्ध भेदभाव की नीति बरतता हो, हम से यह मांग करना संभव न होगा कि हम उन की राष्ट्रीयता विधि स्वीकार करें अथवा ऐसे देश के नागरिक को नागरिकता के अधिकार प्रदान करें । इस के अतिरिक्त हम ने इस प्रश्न पर एक दूसरे दृष्टिकोण से भी विचार किया है । अतः अब राष्ट्रमंडलीय नागरिकता को बनाये रखने में कोई आपत्ति नहीं है, जिस की बराबरी भारतीय नागरिकता के साथ नहीं की जा सकती जब तक कि कुछ औपचारिक शर्तें पूरी न की जायें । ये औपचारिकतायें महत्वपूर्ण होती हैं और वे पारस्परिकता क सिद्धान्त पर आधारित होती हैं और जब कभी यह देखा जायगा कि कोई गलत व्यवहार या भेदभाव किया गया है या किये जाने की संभावना है, तब ऐसे अधिकार उस विशिष्ट देश के नागरिकों को नहीं दिये जायेंगे ।

सब राष्ट्रमंडल देशों में कुल मिला कर लगभग ३२ लाख भारतीय हैं । हमें इन लोगों की दशाओं पर भी विचार करना है । अतः बिना किसी विशेष दायित्व के राष्ट्रमंडलीय नागरिकता रखना लाभदायक है । इसलिये संशोधित विधेयक में मूल उपबन्ध उसी तरह रखा गया है और साथ ही यह भी जोड़ दिया गया है कि भेदभाव करने वाले देश के राष्ट्रजनों को यह अधिकार देने के पूर्व उस देश की दशाओं पर विचार किया जायेगा । अतः इस प्रश्न के सम्बन्ध में अब कोई कठिनाई नहीं है ।

आगे मूल खंड १० की शब्दावली के सम्बन्ध में यह शंका प्रकट की गई थी कि इस विशिष्ट उपबन्ध के उद्देश्य देश के दल के प्रति राजभक्ति की आशा करना है । इस आपत्ति को दूर करने के लिये संयुक्त समिति ने "विधि द्वारा स्थापित भारत का संविधान" शब्द उस के स्थान पर रखे हैं ।

इस प्रकार ऐसे व्यक्तियों से संविधान के प्रति निष्ठा और भक्ति की आशा की जाती है । इस शब्दावलि से कोई हानि नहीं होगी और साथ ही वह बहुत व्यापक है । अतः सरकार का कहीं उल्लेख नहीं होगा केवल संविधान का ही उल्लेख किया जायेगा । उन व्यक्तियों को निष्ठा की जो शपथ लेनी होती है वह संविधान के सम्बन्ध में ही होती है और उस में भी इसी प्रकार की शब्दावलि का उपयोग किया गया है ।

मेरे माननीय मित्र श्री कामत और अनेक माननीय सदस्यों ने यह कहा था कि 'Republic' (गणराज्य) शब्द रखा जाय मेरे मन से 'संविधान' शब्द अधिक व्यापक है क्योंकि संविधान द्वारा ही गणराज्य स्थापित किया गया है । इस शब्द से स्थिति की आवश्यकतायें पूरी हो जाती हैं और साथ ही यह आपत्ति कि शासक दल के प्रति निष्ठा या भक्ति प्राप्त करने के उद्देश्य से इस उपबन्ध का दुरुपयोग किया जा सकता है, दूर हो जाती है । इसी कारण सरकार तुरन्त इस बात से सहमत हो गई कि 'संविधान' शब्द रखा जाय । अतः यह आपत्ति भी दूर कर दी गई है ।

खंड १० अर्थात् नागरिकता अधिकार छीन लिये जाने से सम्बन्धित खंड के उपबन्ध कार्यान्वित करने के लिये एक प्रक्रिया रखी गई है । उस पर यह आपत्ति उठाई गई थी कि ऐसे सभी मामलों में कार्यपालक कार्यवाही न हो कर न्यायिक कार्यवाही होनी चाहिये । हम ने और संयुक्त समिति ने भी इस संपूर्ण प्रश्न पर विचार किया है । रूस और अमरीका को छोड़ कर सभी अन्य देशों में यह शक्ति कार्यपालिका में निहित होती है । इन मामलों में कार्यपालिका पर विश्वाश करने के बजाय यदि न्यायालयों में ये विषय रखे जायें और जैसा कि कुछ माननीय सदस्यों ने उच्चतम न्यायालय में ये विषय ले जाने का सुझाव दिया है वैसा किया गया तो वह काय प्रायः असंभव हो जायगा । एस मामलों में सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी है और यदि किसी मामले में सरकार इस शक्ति या अधिकार का दुरुपयोग करती हुए पाई जाय, तो संसद् के माननीय सदस्य सरकार को पलट सकते हैं । किन्तु जब तक कार्यपालिका सरकार मौजूद है, हमें उस पर विश्वास करना होगा । यह कहा जा सकता है कि इस सम्बन्ध में बहुत महत्वपूर्ण उपबन्ध रखे गये हैं । यह कहा गया है कि एक समिति नियुक्त की जानी चाहिये, आपत्ति उठाई जानी चाहिये, उस व्यक्ति की सुनवाई होनी चाहिये, और समिति के अध्यक्ष को कम से कम १० वर्ष का न्यायिक अनुभव होना चाहिये । कुछ माननीय सदस्यों ने सुझाव दिया है कि ऐसी समिति का अध्यक्ष उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों में से एक होना चाहिये । मेरे विचार से यह बिलकुल आवश्यक नहीं है, उससे और कठिनाइयां बढ़ जायेंगी । यदि हम इन मामलों को न्यायालयों में भेजने को अनुमति देते हैं तो वह प्रक्रिया बहुत लंबी होगी और वह सम्बन्धित दलों के हित में भी नहीं होगा ।

संयुक्त समिति ने इस विषय के सम्बन्ध में दो और उपबन्ध रखे हैं । संयुक्त समिति ने इस आशय का एक विशिष्ट खंड रखा है कि जब कभी जांच समिति का प्रतिवेदन प्राप्त होगा, साधारणतया सरकार उस प्रतिवेदन को स्वीकार करेगी । इस का अर्थ यह है कि केवल असाधारण मामलों में ही और वह भी बहुत मजबूत आधारों पर सरकार इन सिफारिशों से पृथक् कार्यवाही करेगी ।

यदि किसी अधिकारी द्वारा ऐसा आदेश पारित किया जाय, तो अन्त में पुनरीक्षण का अधिकार सरकार में निहित होता है ।

[श्री दातार]

अब एक दूसरा विशिष्ट उपबन्ध बनाया गया है जिस के अनुसार पुनरीक्षण की मांग की शक्ति पीड़ित दल को दी गई है और सरकार को यह अधिकार होगा कि वह संपूर्ण प्रश्न पर विचार करे और उस के इस निष्कर्ष पर पहुंचने पर कि उस मामले में पारित आदेश बिलकुल गलत था, या अन्यायपूर्ण था, वह उस आदेश का पुनरीक्षण करे ।

आप यह देखेंगे कि यह विशिष्ट कार्य कार्यपालिका सरकार पर छोड़ना ही होगा, जिस पर संसद् को विश्वास करना होता है । किन्तु मेरा यह कथन है कि कुछ सीमायें ऐसी रखी गई हैं जिन के अनुसार सरकार इस प्रश्न को मनमाने ढंग से नहीं निपटा सकेगी । जांच समिति सारे विषय पर विचार करेगी, दोनों दलों की सुनवाई होगी और तब वह कोई निर्णय देगी जिस से साधारणतया सरकार स्वीकार करेगी और केवल अपवादात्मक मामलों में सरकार उसके विरुद्ध जायेगी । फिर ऐसे अपवादात्मक मामलों में भी सरकार संसद् के प्रति उत्तरदायी होगी । अतः मैं बताना चाहता हूं कि जहां तक इस मामले का सम्बन्ध है पीड़ित पक्ष के हित में जोरदार उपबन्ध किये गये हैं । अतः न तो संयुक्त समिति के लिये और न हमारे लिये ही यह संभव था कि उस कार्यपालिका संगठन के स्थान पर जो यह कार्य करता है और जैसाकि संसार के लगभग सभी देशों में है, एक न्यायिक-संगठन रखा जाये ।

एक और उपबन्ध विशेष रूप से रखा गया है और वह यह है कि दो अधिकार ऐसे हैं जो प्रत्यायोजित नहीं किये जा सकते । एक अधिकार खण्ड १० के अन्तर्गत है, जो वंचित करने से सम्बन्धित है, और दूसरा अधिकार पूर्व खंड १७ या वर्तमान खण्ड १८ के अन्तर्गत है, जो विधि-निर्माण अधिकारों से सम्बन्धित है । सामान्यतया यह बहुत सम्भव है कि इस विधेयक के अन्तर्गत आवेदकों की संख्या बहुत अधिक हो जायेगी और बहुधा अधिकारों को या तो राज्य सरकारों को या पदाधिकारियों को प्रत्यायोजित करना पड़ेगा । पर वे पूर्णतया केन्द्रीय सरकार के अभिकर्ता के रूप में काम करेंगे । फिर भी, संयुक्त समिति ने कहा है कि कुछ अधिकार दूसरों को प्रत्यायोजित नहीं किये जाने चाहियें जैसे खण्ड १० के अन्तर्गत नागरिकता से वंचित करने के अधिकार और खण्ड १८ के अन्तर्गत नियम-निर्माण सम्बन्धी अधिकार; और केन्द्रीय सरकार पर ही सारा उत्तरदायित्व रहेगा । अतः केवल केन्द्रीय सरकार को ही खण्ड १० या वर्तमान खण्ड १८ के अन्तर्गत काम करना चाहिये । यह सुझाव भी स्वीकार कर लिया गया है । अतः ऐसे महत्वपूर्ण तथा गंभीर मामलों में प्राधिकार के प्रत्यायोजन के सम्बन्ध में डर की कोई बात नहीं है । जैसाकि मैं बता चुका हूं, पुनरीक्षण का अधिकार भी दिया गया है ।

उस दिन, दो विधेयकों के सम्बन्ध में यह प्रश्न पैदा हुआ था कि क्या प्रत्यायोजित विधान को वास्तव में संसद् के अभिलेखों की विषय वस्तु बनाया जाय । एक मामले में, हम इस सुझाव से सहमत हो गये थे । उदाहरणार्थ, खण्ड १८ में ऐसी बहुत सी बातों का जिक्र किया गया है जिन के बारे में नियम बनाये जाने हैं । एक बार इन नियमों के बना लिये जाने पर सरकार आज भी इस सामान्य प्रथा का अनुसरण करती है कि उन नियमों को सभापटल पर रख देती है; और उसी सत्र के दौरान में १४ दिनों के भीतर, किसी भी सभा के किसी भी माननीय सदस्य को स्वतंत्रता होती है, कि वह किसी संशोधन का प्रस्ताव करे कि इन नियमों में अमुक परिवर्तन किये जाने चाहियें ।

श्री कामत : इस समय यह प्रथा नहीं है । उस दिन डा० केसकर द्वारा पेश किये गये प्रेस पंजीयन विधेयक के मामले में भी ऐसा ही हुआ था ।

श्री दातार : कुछ मामलों में ऐसा भी हुआ है ।

सरदार ए० एस० सहगल (बिलासपुर) : पर सभी मामलों में नहीं ।

श्री दातार : उदाहरण के लिये, अखिल भारतीय सेवा अधिनियम के अन्तर्गत, हम ने कुछ नियम बनाये थे और हम ने उन नियमों को संसद् की दोनों सभाओं के सामने रख दिया है, और आई० ए० एस० तथा आई० पी० एस० पर लागू होने वाले नियमों के बारे में बहुत लम्बी चर्चा हुई थी ।

श्री कामत : ऐसा ही होना चाहिये ।

श्री दातार : संशय के लिये कोई गुंजायश न छोड़ने के लिये, संयुक्त समिति के सामने की गई सिफारिशों को हम ने स्वीकार कर लिया । अतः आप देखेंगे कि खण्ड १८(४) में स्पष्ट रूप से यह बताया गया है कि उस धारा के अन्तर्गत बनाये गये सभी नियम संसद् की दोनों सभाओं के सामने १४ दिन के लिये रखे जायेंगे और उसी सत्र में उन में संशोधन भी किया जा सकेगा ।

अतः विरोधी दल के मेरे मित्र ऐसे अधीनस्थ विधान के सम्बन्ध में एक प्रत्यक्ष उदाहरण पायेंगे । इस प्रथा को वर्तमान विधि का एक अंग बना दिया गया है और इस से संसद् भी यदि आवश्यक समझे तो इन नियमों में परिवर्तन कर सकेगी । ये कुछ बातें हैं जिन के सम्बन्ध में विधेयक में कुछ संशोधन और परिवर्तन किये गये हैं, और मैं उन सब की व्याख्या कर चुका हूं । उस के बाद एक अन्य प्रश्न—एक छोटा सा प्रश्न—कुछ माननीय सदस्यों द्वारा उठाया गया था जिन्हों ने विमति टिप्पण संलग्न कर दिया है । उन्हों ने कहा कि पाकिस्तान से भारत को आने वाले आप्रवासियों से अपना पंजीयन कराने के लिये न कहना चाहिये ; उन्हें स्वभावतः ही भारत का नागरिक मान लिया जाना चाहिये । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है मेरे सामने संविधान का प्रमाण है । संविधान के अनुच्छेद ६ में दो खण्ड हैं । एक खण्ड के अनुसार वे स्वभावतः ही नागरिक बन जाते हैं विशेषतया जबकि वे वंश-परंपरा से नागरिक हों । पर अन्य मामलों में, आप देखेंगे कि संविधान में यह निश्चित किया गया है कि वे व्यक्ति जो एक सीमित अवधि के भीतर भारत में प्रवेश करेंगे उन्हें अपना पंजीयन कराना होगा । अतः हमारे पास संविधान में ही एक प्रमाण है । जहाँ तक भारत में आये इन नये आवेदकों का या प्रव्रजकों का प्रश्न है इसी नियम का पालन किया गया है ।

दूसरे यह सुझाव दिया गया था कि पंजीयन की आवश्यकता से उन लोगों को कुछ कठिनाइयां या परेशानियां उठानी पड़ेंगी, जिन्हें नागरिकता प्राप्त करनी है । मैं सभा को बताना चाहता हूं कि अन्य बातों की भांति इस सम्बन्ध में भी सरकार यह चाहती है कि वे सभी लोग जो अभी तक नागरिक नहीं बन पाये हैं और जिन्हें मत देने का अधिकार नहीं है, नागरिक बन जायें और इसलिये, पंजीयन की प्रारम्भिक कार्यवाही को बहुत आसान बना दिया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्तियों को यथासंभव कोई कठिनाई नहीं होगी । चूंकि ऐसे व्यक्तियों की संख्या लाखों में होगी जो अपना पंजीयन करायेंगे अतः सरकार की इच्छा है कि ऐसे सभी व्यक्ति पंजीयन के लिये आवेदन-पत्र के रूप मे कुछ जानकारी सरकार को दें । यह आवश्यक है और इस से सरकार को लोगों के बारे में बहुत सी बातें जानने में सहायता भी मिलेगी । ऐसी जानकारी दे देने के बाद, पंजीयन द्वारा नागरिकता प्रदान करने की अग्रेतर प्रक्रिया में बिल्कुल कठिनाई नहीं होगी । अतः जहां तक इस औपचारिकता का सम्बन्ध है, कोई भय या गलतफहमी नहीं होनी चाहिये ।

[श्री दातार]

उस के बाद श्री कामत ने कहा था कि जम्मू और काश्मीर का विशेष रूप से उल्लेख किया जाना चाहिये । जहां तक इस प्रश्न का सम्बन्ध है, आप को पता है कि 'भारत' की परिभाषा अनुच्छेद १ में दी गई है और उस में जम्मू और काश्मीर सम्मिलित हैं । वर्तमान नीति यह है कि यदि, मान लीजिये, जम्मू और काश्मीर को उस में से निकालना पड़ता है, तो उस में स्पष्ट रूप से उल्लेख किया गया है कि वह जम्मू और काश्मीर छोड़ कर शेष सम्पूर्ण भारत पर लागू होगा । जहां भी कहीं निकाल देने की बात का उल्लेख नहीं किया गया है वहां यही समझा जाना चाहिये कि 'भारत' शब्द में जम्मू और काश्मीर भी सम्मिलित है । अतः यहां उस का उल्लेख करना आवश्यक नहीं है ।

उस के बाद एक खण्ड में हम ने संसार के ऐसे कुछ प्रसिद्ध व्यक्तियों को नागरिकता प्रदान करने का उपबन्ध किया है जो अपने ज्ञान, अन्तर्राष्ट्रीय प्रसिद्धि तथा अन्य परिस्थितियों के कारण ऐसे महत्वपूर्ण स्थानों पर हैं कि भारत के लिये वह दिन बड़े गर्व का दिन होगा जिस दिन वे भारत के नागरिक बन जायेंगे । ऐसे मामलों में नागरिकता के अधिकार प्रदान करने वाले नियमों को बहुत अधिक ढीला कर दिया गया है । संयुक्त समिति में, यह भी सुझाव रखा गया था कि अन्य बातों के साथ एक ऐसा उपबन्ध होना चाहिये कि खण्ड द में ऐसे व्यक्तियों को भी सम्मिलित कर लिया जाये, जिन्हों ने विश्वशान्ति स्थापित करने के लिये प्रयत्न किया है । अतः यह बात भी सम्मिलित कर ली गई है ।

इस के पश्चात् परिभाषा खण्ड—खण्ड २—में उल्लिखित Person (व्यक्ति) शब्द के बारे में भी बहुत सी कठिनाइयां पैदा हुई । जहां तक नागरिकता के अधिकार प्रदान करने या छीनने का संबंध है 'व्यक्ति' शब्द का शाब्दिक अर्थ लिया जायेगा अर्थात् एक जीवित व्यक्ति पर विभिन्न अधिनियमों में 'व्यक्ति' शब्द की परिभाषा के अनुसार इस की परिभाषा में समवाय आदि निगम निकायों को भी सम्मिलित माना जाता है । अतः यह प्रश्न उठाया गया था कि एक समवाय एक व्यक्ति हो सकता है और इसलिए उसे स्पष्ट करने के लिए कि नागरिकता प्रदान करने या छीनने के प्रयोजन के लिए व्यक्ति की परिभाषा में समवाय या निगम निकाय को सम्मिलित नहीं माना जायेगा, यह साफ कर दिया गया है कि व्यक्ति का अर्थ है एक जीवित व्यक्ति—व्यक्ति का अर्थ न्यायिक संस्था या निगम निकाय नहीं है । उसे स्पष्ट कर दिया गया है । श्री पी० ए० नाथवानी ने इस सम्बन्ध में अपना विमति-टिप्पण दिया है । पर आप देखेंगे कि यदि, मान लीजिये, ऐसे निकायों को सम्मिलित कर लिया जाय तो ऐसे निकाय की तथाकथित नागरिकता को छीनने में तरह तरह की कठिनाइयां और गड़बड़ियां पैदा होंगी । अतः हम ने बिल्कुल स्पष्ट कर दिया है कि 'व्यक्ति' का अर्थ साधारण शाब्दिक अर्थ ही लिया जायेगा न कि कानूनी अर्थ जो किन्हीं किन्हीं मामलों में लिया जाता है ।

हम ने यह भी स्पष्ट कर दिया है कि जो लोग भारत के नागरिक बनना चाहते हैं वे इस आशय का आवेदन पत्र देने के पूर्व अन्य देशों की नागरिकता छोड़ देंगे ।

नागरिकता छीनने के सम्बन्ध में जो खण्ड है, उस में यह था कि मान लीजिये एक व्यक्ति सजा काटे हुए है और इसी सजा के आधार पर नागरिकता का अधिकार उस से छीनना है, तो ऐसे प्रयोजनों के लिये सजा की अवधि एक वर्ष रखी गई थी । बहुत लोगों का विचार था कि कभी कभी प्राविधिक अपराधों के लिये भी एक वर्ष के कारावास का प्रयोग किया जाता है । अतः उस अवधि को बढ़ा कर दो वर्ष कर

दिया गया । मान लीजिये एक व्यक्ति को भारत की नागरिकता प्राप्त करने के बाद पांच वर्ष की अवधि के भीतर दो या दो से अधिक वर्षों के कारावास का दण्ड दिया जाता है, तो यह इस बात के लिये पर्याप्त कारण होगा कि सरकार उस से नागरिकता के अधिकार छीन ले ।

उन भारतीय विद्यार्थियों के मामलों को भी ध्यान में रखा गया है जो विदेशों में पढ़ने के लिये गये हुए हैं और वहीं रह रहे हैं । उन के बाहर रहने की अवधि का उन पर कोई विरुद्ध प्रभाव नहीं पड़ेगा क्योंकि वह केवल पढ़ने के लिये वहां ठहरे हुए हैं । यह भी स्वीकार हो गया है ।

श्री गाडगिल (पूना–मध्य) : क्या विदेशों में पढ़ने के लिये जाने के पूर्व वह नागरिक नहीं माने जायेंगे ?

श्री दातार : वे विदेश में ५ वर्ष से अधिक ठहरते हैं और भारत से लगातार ऐसे लम्बे समय तक अनुपस्थित रहने पर कुछ परिस्थितियों में यह सोचा जा सकता है कि वह भारत वापस नहीं आना चाहते । अतः हम ने यह खण्ड स्वीकार कर लिया है ।

श्री गाडगिल : सामान्य प्रस्थापना यह है कि नागरिकता तब तक जारी रहती है, जब तक उस के छोड़ने की घोषणा नहीं की जाती ।

श्री दातार : वह जारी रहती है जब तक कि उस के छोड़ने की घोषणा नहीं की जाती या जब तक इस प्रकार के साफ प्रमाण नहीं दिखलाई पड़ते हैं कि उसे छोड़ दिया गया है । यदि उसे छोड़ दिया जाये तो सारी बात स्पष्ट हो जायेगी ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ ।

समय सीमा १५ से २० मिनट तक होगी ।

श्री एन० सी० चटर्जी (हुगली) : विश्वयुद्ध के बाद नागरिकता तथा राष्ट्रीयता का प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण हो गया है । विशेषतया भारत के विभाजन के पश्चात् भारत तथा पाकिस्तान दोनों के लिये यह महत्वपूर्ण विषय बन गया है । बंगाल तथा भारत के मंत्री इस निरन्तर प्रव्रजन से बहुत परेशान हैं । गत वर्ष दिल्ली में अन्तर्राष्ट्रीय विधि सम्मेलन में इस समस्या की चर्चा के लिये दिन का समय लिया गया था ।

१९३० में हेग सम्मेलन में इस बात का प्रयत्न किया गया कि राष्ट्रीयता तथा नागरिकता के प्रश्न को सुलझाया जाय । उस में तय हुआ कि सभी व्यक्तियों के पास केवल एक ही देश की राष्ट्रीयता होनी चाहिये । कई देशों में लोगों को दुहरी राष्ट्रीयता प्राप्त होती है । यदि संयुक्त राज्य अमरीका की कोई महिला किसी अंगरेज़ से विवाह कर ले तो ब्रिटिश विधि के अनुसार उसे ब्रिटेन की राष्ट्रीयता प्राप्त हो जायेगी और अमरीकी विधि के अनुसार अमरीका की राष्ट्रीयता भी उस से छीनी नहीं जायेगी । इस प्रकार उसे अमरीका और ब्रिटेन दोनों देशों की नागरिकता प्राप्त हो जायेगी । हेग सम्मेलन चाहता था कि इस प्रकार की बात को खतम कर दिया जाय ।

मानव अधिकार की उद्-घोषणा के, जो संयुक्त राष्ट्र की महासभा द्वारा स्वीकृत किया गया था, अनुच्छेद १५ में स्पष्ट कहा गया है कि प्रत्येक व्यक्ति को केवल एक देश की राष्ट्रीयता प्राप्त होनी चाहिये और उस की राष्ट्रीयता को मनमानी ढंग से न छीना जा सकेगा, न उसे राष्ट्रीयता का परिवर्तन करने के अधिकार से वंचित रखा जायेगा । मानव अधिकारों की इस सार्वभौमिक उद्घोषणा पर भारत ने भी

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हस्ताक्षर किया था, पर फिर भी खेद है कि भारत में लगभग २० लाख से अधिक ऐसे व्यक्ति हैं जिन की कोई राष्ट्रीयता ही नहीं है। यह सब शायद संविधान की धारा ५ और ६ के परिणामस्वरूप हुआ है। धारा ५ में बताया गया है कि २६ जनवरी, १९५० को भारत में निवास करने वाले व्यक्ति, चाहे उन के माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी हो, और भारत में पैदा होने वाले व्यक्ति, चाहे उन के माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, या ५ वर्ष से भारत में रहने वाले व्यक्ति, चाहे उन के माता-पिता की राष्ट्रीयता कुछ भी रही हो, भारत के प्रजा जन माने जायेंगे। भारत के उच्च न्यायालयों तथा उच्चतम न्यायालय ने बताया है कि भारत के संविधान में इस बात का कोई उल्लेख नहीं है कि २६ जनवरी, १९५० के बाद कौन लोग भारत के राष्ट्रीय बन सकेंगे। प्राविधिक दृष्टि से २६ जनवरी, १९५० के बाद भारत में पैदा होने वाले लोग भारत के नागरिक नहीं हैं। संविधान में कहा गया है कि संसद् एक उचित समय में एक विधि पारित करेगी जिस के आधार पर नागरिकता का नियमन किया जायेगा। अतः यह विषय सभी लोगों के लिये विशेष रूप से महत्वपूर्ण है।

हमारे संविधान में २६ जनवरी, १९५० से पहले पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों के लिये भारत के नागरिक बनने के लिये सुविधा है। परन्तु उन के लिये; जो २६ जनवरी, १९५० के बाद आये हैं, कोई उपबन्ध नहीं है। बहुत से लोगों को पूर्वी बंगाल से बाद में आना पड़ा और वे सब राज्यहीन हैं। संविधान के अधीन, नागरिकों के कुछ बुनियादी अधिकार हैं। अनुच्छेद १९ द्वारा दिये गये अधिकारों के विषय में, श्री मुखर्जी, भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने कहा है कि निगम-निकाय को भी बुनियादी अधिकार प्राप्त हैं और वे उन अधिकारों के लिये अनुच्छेद संख्या ३२ के अधीन उच्चतम न्यायालय के पास भी जा सकते हैं।

[**पंडित ठाकुर दास भार्गव** पीठासीन हुए]

जहां तक उच्च न्यायालय का न्यायाधिपति बनने का या उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति बनने या राष्ट्रपति बनने के अधिकार का सम्बन्ध है, यह तो केवल जीवित व्यक्तियों पर लागू है। जहां तक सम्पत्ति रखने, सम्पत्ति प्राप्त करने और सम्पत्ति बेचने के अधिकारों का सम्बन्ध है, ये जीवित व्यक्तियों और निगम निकायों दोनों के लिये हैं। फर्मों को सम्पत्ति रखने और प्राप्त करने इत्यादि के अधिकारों से क्यों वंचित रखा जाये? इसीलिये भारत के मुख्य न्यायाधिपति ने कहा है कि संविधान द्वारा दिये गये बुनियादी अधिकार केवल व्यक्तिगत नागरिकों के लिये नहीं हैं, परन्तु निगम-निकायों के लिये भी हैं। भारत के बहुत से उच्च न्यायालयों ने इस को स्वीकार कर लिया है।

श्री रघुवीर सहाय (एटा जिला—उत्तर-पूर्व व बदायूं जिला—पूर्व) : क्या ऐसे उपबन्धों को पुरःस्थापन करने का यह स्थान है ?

श्री एन० सी० चटर्जी : संविधान के अधीन इस संसद् पर नागरिकता सम्बन्धी विधि बनाने का दायित्व है और यह संसद् का विशेषाधिकार भी है। हम इस शक्ति के अधीन यह विधि बना रहे हैं। इस विधेयक के अनुसार निगमों और निकायों को नागरिकता के अधिकार नहीं हैं। इस का प्रभाव यह होगा कि प्रत्येक उच्च न्यायालय को संसद् के विचारों को मानना पड़ेगा कि किसी भी कम्पनी को नागरिक का नाम नहीं दिया जा सकता।

यह भावना आम है कि किसी भी निकाय की राष्ट्रीयता नहीं है। यह ठीक

नहीं है। अतः न केवल निगम निकाय को कहने का स्थान दिया जा सकता है, बल्कि राष्ट्रीयता भी दी जा सकती है। इस बात पर मैं ने और श्री कामत ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है और इस बात पर विचार किया जाना चाहिये कि खण्ड (च) में उचित संशोधन किया जाय ताकि कम्पनियों इत्यादि को भी उस के अन्तर्गत रखा जा सके।

एक बार उच्चतम न्यायालय ने यह निर्णय दिया था कि यदि किसी निकाय में १०० प्रतिशत भारतीय नागरिक हों, तो इसे राष्ट्रीय नागरिक समझना चाहिये और इस के अधिकार वही होने चाहियें, जो एक भारतीय नागरिक के हैं।

दूसरी बात मैं राष्ट्रमण्डल की नागरिकता के सम्बन्ध में कहना चाहता हूं। मेरी राय में प्रथम अनुसूची में से दक्षिणी अफ्रीका का लोप कर देना चाहिये। राष्ट्रमंडल नागरिकता की व्यवस्था जो इस समय है, मैं चाहता हूं कि वह चलती रहे। इस राष्ट्रमंडल नागरिकता का मुझे मेरी यूरोप की यात्रा में बहुत लाभ हुआ। प्रत्येक स्थान पर मुझे माननीय भारतीय नागरिक समझा गया। परन्तु मैं यह चाहता हूं कि यदि अन्तर्राष्ट्रीय शिष्टाचार या किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते का उल्लंघन न हो, तो दक्षिणी अफ्रीका को प्रथम अनुसूची से हटा देना चाहिये।

तीसरी बात जो मैं कहना चाहता हूं, वह यह है कि भारतीय नागरिकता से वंचित किये जाने पर न्याय करा सकने की व्यवस्था होनी चाहिये। कार्यपालिका के आदेश द्वारा एक देश की नागरिकता से वंचित किये जाने के विचार के मैं सर्वथा विरुद्ध हूं। यदि एक व्यक्ति कार्यपालिका की आंखों से गिर जाता है और कार्यपालिका बहुत शक्तिशाली हो, तो कार्यपालिका उस व्यक्ति से मताधिकार छीन सकती है। इस तरह से वह व्यक्ति राज्यहीन हो जायगा तो उस के लिये किसी भी राज्य में जा कर दूसरी नागरिकता प्राप्त करना बड़ा कठिन होगा।

यदि माननीय मंत्री खण्ड संख्या १० की ओर ध्यान दें, तो पता चलेगा कि संयुक्त समिति ने एक जांच समिति, जिस के सभापति को न्याय विभाग में दस वर्ष का अनुभव हो, बनाने की सिफारिश की है। बंगाल में कुछ ऐसे मुन्सिफ होंगे जिन्हें दस वर्ष का अनुभव होगा। तो क्या मुन्सिफ उस समिति का सभापति हो सकेगा या क्या कोई अधीनस्थ न्यायाधिपति, जिसे दस वर्ष का अनुभव हो इस समिति का सभापति हो सकेगा ? मेरे विचार में इस समिति का सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति या ऐसा व्यक्ति जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति रह चुका हो, होना चाहिये। स्वतंत्र निर्णय के लिये भी इस समिति का सभापति उच्चतम न्यायालय का न्यायाधिपति होना चाहिये।

अब मैं विवाहित भारतीय स्त्री के सम्बन्ध में कुछ कहना चाहता हूं। यदि कोई भारतीय स्त्री किसी विदेशी पुरुष से विवाह कर ले, तो परिणामस्वरूप वह भारतीय नागरिक नहीं रहेगी। अपने पति की मृत्यु के पश्चात् यदि वह फिर भारतीय नागरिक बनना चाहे, तो उस के पथ में कोई प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये।

जहां तक शपथ का सम्बन्ध है, इसे सरल बनाना चाहिये। दुहरी शपथ नहीं दिलानी चाहिये कि मैं संविधान और भारत की विधियों के प्रति सत्यनिष्ठा रखूंगा। शपथ के लिये भारत का संविधान ही पर्याप्त है। जब उच्च न्यायालय या उच्चतम न्यायालय के न्यायाधिपति शपथ लेते हैं, तो वे केवल संविधान के नाम पर ही शपथ लेते हैं।

जहां तक नागरिकता की योग्यताओं का सम्बन्ध है, मैं एक और खण्ड बढ़ाना चाहता

[श्री एन० सी० चटर्जी]

हूं। वह यह है कि जो व्यक्ति यहां का नागरिक बनना चाहे, वह इस देश में विधिपूर्वक अपना निर्वाह कर सके ।

पूर्वी बंगाल से आने वाले विस्थापित व्यक्तियों पर पंजीयन का प्रतिबन्ध नहीं होना चाहिये । केवल यही पर्याप्त होगा कि जो पाकिस्तान से आने वाले विस्थापित व्यक्ति ६ महीनों से निरन्तर यहां भारत में रह रहे हैं, वे पूर्णतः भारतीय नागरिक होंगे ।

सभापति महोदय : श्री कामत ।

श्री एस० एस० मोरे : कई बार यह बात निश्चित हो चुकी है कि प्रवर समिति के सदस्यों को दूसरों पर प्राथमिकता नहीं दी जानी चाहिये ।

श्री कामत : उसे पहले बोलने दो ।

सभापति महोदय : जब विधेयक यहां हो, तो प्रवर समिति के सदस्यों और दूसरे सदस्यों के अधिकार एक से होते हैं ।

श्री एस० एस० मोरे : एक जैसे अधिकारों का प्रश्न नहीं है । परन्तु कई बार यहां पर यह कहा जा चुका है कि प्रवर समिति के सदस्यों को दूसरे सदस्यों पर प्राथमिकता नहीं देनी चाहिये, क्योंकि उन्हें पहले ही बोलने का अवसर मिल जाता है ।

सभापति महोदय : जिस नियम का मुझे पता है वह यह है कि जब विधेयक प्रवर समिति को निर्दिष्ट किया जाता है, उस समय उन सदस्यों को अवसर नहीं देना चाहिये जो प्रवर समिति के सदस्य हैं, परन्तु उन को अवसर मिलना चाहिये जिन के सदस्य बनने की प्रस्तावना नहीं है । जब विधेयक प्रवर समिति से वापस आ जाय, तो सब के अधिकार एक से हैं ।

श्री कामत : आरम्भ में मैं राष्ट्रमण्डल की उस लाक्षणिक अथवा प्रतीकात्मक नागरिकता के प्रश्न को ही लेता हूं, जिस का मंत्री महोदय ने अपने भाषण में उल्लेख किया था । मैं ने उस समय भी उन्हें बताया था, और आज भी उसी पर दृढ़ हूं, कि मैं इन दोनों में से एक की भी प्राप्ति के लिये उत्सुक अथवा लालायित नहीं हूं ।

यहां मैं संक्षेप में राष्ट्रमण्डल के उस प्रतीक-अध्यक्ष का, जिसे हम ने स्वीकार कर लिया है, इतिहास बताना चाहता हूं ।

सभापति महोदय : प्रस्ताव यह है कि संयुक्त समिति के प्रतिवेदन पर विचार किया जाय । इसलिये माननीय सदस्य से मेरा अनुरोध है कि वह इस समय पिछले इतिहास को न दोहरायें । अन्य माननीय सदस्यों से भी मेरा अनुरोध है कि वे अपनी बातें संक्षेप में ही कहें--मैं समझता हूं कि सामान्यतः किसी भी माननीय सदस्य को पन्द्रह मिनट से अधिक समय नहीं लेना चाहिये । जहां तक इस विधेयक का सम्बन्ध है, वह कुछ समय अधिक ले सकते हैं ।

श्री कामत : आप की राय आदर और स्वागत करने योग्य है परन्तु भूतकाल के सम्बन्ध में कुछ ज्ञान न होने पर कभी कभी वर्तमान को भी समझ सकना कठिन हो जाता है । इसीलिये मैं ने कहा था कि मैं संक्षेप में पिछला इतिहास बताऊंगा--उस की व्याख्या नहीं करूंगा ।

अप्रैल, १९४९ के राष्ट्रमण्डलीय सम्मेलन में, जिस में हमारे प्रधान मंत्री ने भाग लिया था, यह निश्चय किया गया था कि भारत को राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत एक गणतंत्र बना दिया जाय । मई, १९४९ में संविधान सभा ने, हम में से कुछ लोगों के विरोध के बावजूद, इस सूत्र को स्वीकार कर लिया था ; और तभी सम्राट् या सम्राज्ञी को राष्ट्रमंडल का प्रतीक अध्यक्ष मान लेने की बात की चर्चा भी उठी थी ; इस की एक गूंज इस वर्ष नवम्बर में ही हुई है जब

ब्रिटिश लोक सभा में शाही विवाह अधिनियम, १८७२ में प्रस्तावित संशोधन पर बोलते हुए प्रधान मंत्री श्री एंथोनी ईडन ने कहा था :

"इस अधिनियम का सम्बन्ध केवल ब्रिटेन से ही नहीं है वरन् राष्ट्रमंडल के उन सब देशों से है जिन की कि महामहिम सम्राज्ञी हैं। संशोधन विधान उन की सहमति के बिना नहीं बनाया जा सकता।"

इस का अर्थ यह हुआ कि ब्रिटिश प्रधान मंत्री के विचारानुसार हमारी प्रतीक अध्यक्ष अब भी ब्रिटिश सम्राज्ञी ही हैं, यद्यपि हमारे संविधान के अनुसार राष्ट्रपति ही गणतंत्र के अध्यक्ष माने गये हैं। यहां तक कि ब्रिटिश वामपक्षी समाजवादी नेता श्री एन्यूरिन बेवन का भी यही मत है। एक स्थानीय समाचारपत्र में हाल ही में प्रकाशित एक लेख में उन्हों ने कहा है :

"स्वशासन से ब्रिटिश सरकार का तात्पर्य ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के अन्तर्गत स्वशासन से है। ब्रिटिश सम्राज्ञी—ब्रिटिश राजमुकुट— के प्रति स्वामिभक्ति—ही राष्ट्रमंडल की एकता का प्रतीक है।"

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के पहले ही विभाग में इस बात का उल्लेख किया गया है कि 'ब्रिटिश प्रजा' और 'राष्ट्रमंडलीय नागरिक' का अर्थ एक ही होगा। उस में उन देशों की सूची भी दी गई है जिन के नाम प्रथम अनुसूची में दिये गये हैं।

मेरे मित्र श्री चटर्जी ने यह सत्य ही कहा है कि जब तक कि किसी अन्तर्राष्ट्रीय समझौते के भंग न होने की संभावना न हो तो रंगभेद के प्रवर्त्तक दक्षिण अफ्रीका का—जहां हमारे हजारों नागरिकों का उत्पीड़न किया गया है, उन्हें जेलों में डाल कर उन के साथ मनुष्यों का सा नहीं, उन से हीन पशुओं का सा व्यवहार किया गया है—नाम इस अनुसूची में से निकाल दिया जाना चाहिये। यदि आस्ट्रेलिया का हाल भी अब भी ऐसा ही हो तो उसे भी प्रथम अनुसूची में स्थान नहीं मिलना चाहिये।

हम ने आस्ट्रेलिया और कनाडा जैसे सुदूर-स्थित देशों को तो इस में सम्मिलित कर लिया है परन्तु ब्रह्मा और नेपाल जैसे निकट पड़ोसियों और ऐसे देशों को सम्मिलित नहीं किया है जिन्हों ने हाल ही में पंचशील के पालन किये जाने की घोषणा की है। नागरिकता के सम्बन्ध में हमारी नीति बदले की व्यवस्था करने की होनी चाहिये। व्यक्तिगत रूप से मैं राष्ट्रमण्डल की नागरिकता प्राप्त करने के लिये उत्सुक नहीं हूं; मैं यह दोहरी नागरिकता, अर्थात् भारतीय नागरिकता और विश्व-सरकार बन जाने पर विश्व-नागरिकता, प्राप्त करने को अधिक अच्छा समझता हूं।

हमें अपने सब पड़ोसियों को यहां बुलाना पड़ेगा। भारत के संरक्षित प्रदेशों भूटान और सिक्किम के लोगों के लिये भी भारतीय नागरिकता का सम्बन्ध आवश्यक है।

उपमंत्री महोदय ने अपने भाषण में कहा था कि संयुक्त समिति ने शब्द 'सरकार' के स्थान पर शब्द 'संविधान' रख कर निष्ठा की शपथ के स्वरूप में थोड़ा परिवर्तन कर दिया है। जहां तक संविधान से संबंधित शपथ का प्रश्न है, वह संसद् सदस्यों, मंत्रियों, राज्य विधान सभाओं के सदस्यों, न्यायाधीशों तथा राष्ट्रपति के लिये निर्धारित हैं, जिन्हें संविधान की व्यवस्थाओं के भीतर कार्य करना पड़ता है। परन्तु यह साधारण नागरिक के लिये है जो शायद यह भी न जानता हो कि हमारा कोई संविधान भी है।

श्री दातार : मेरे माननीय मित्र ने कहा है कि भूटान से संरक्षित प्रदेश जैसा व्यवहार

[श्री दातार]

किया जा रहा है, यह सत्य नहीं है। भूटान एक स्वतंत्र विदेशी राज्य है और उस के साथ इसी प्रकार का व्यवहार भी किया जा रहा है। जहां तक सिक्किम का प्रश्न है, भारत और सिक्किम में एक दूसरे के नागरिकों की परिभाषा निश्चित करने के लिये अलग से समझौता हुआ है ।

श्री कामत : इस से स्थिति कुछ स्पष्ट हुई है। उन्हों ने कहा है कि भूटान एक विदेशी राज्य है या . . . .

श्री दातार : मैंने "स्वतंत्र राज्य" कहा था।

श्री कामत : १९५० में राष्ट्रपति ने संविधान के अनुच्छेद ३६७(३) में संशोधन करने के लिये एक विदेशी राज्य आदेश निकाला था जिस का आशय यह था कि राष्ट्रमंडल से बाहर वाले राज्य हमारे संविधान के कार्यों में विदेशी राज्य माने जायेंगे।

इसलिये, कनाडा और आस्ट्रेलिया विदेशी राज्य नहीं हैं परन्तु भूटान विदेशी राज्य है। उपमंत्री महोदय मौन हैं, इसलिये मैं समझता हूं कि वे अपनी मौन स्वीकृति दे रहे हैं।

श्री दातार : इन्हे स्वतंत्र राज्य कहना ही अधिक अच्छा होगा ; क्योंकि एक अधिनियम के अनुसार हम ने तिब्बत, नेपाल और संभवतः भूटान के सम्बन्ध में अपवाद किये हैं। उन को सामन्यतः विदेशी राज्य न कहना ही अधिक अच्छा होगा ।

श्री कामत : आप को उस आदेश के स्थान पर एक नया आदेश निकालना होगा। शपथ के स्वरूप के सम्बन्ध में मैं ने और इस ओर बैठे मेरे कुछ मित्रों ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था कि संविधान के स्थान पर 'भारत' अथवा 'गणतंत्र' जो भी सभा को स्वीकार्य हो, रख दिया जाय, क्योंकि देश के अधिकांश निवासी उसे अधिक आसानी से समझ सकेंगे। शपथ का दूसरा भाग, अर्थात् "भारत की विधियों का श्रद्धापूर्वक पालन करूंगा।" बिलकुल आवश्यक नहीं है क्योंकि वह भारत के नागरिक के सब कर्तव्य पालन करन का वचन तो दे ही चुका है। वह संविधान के सम्बन्ध में तो कुछ जानता नहीं, और प्रतिदिन बनने वाली विधियों के सम्बन्ध में तो उस का ज्ञान और भी कम है। इसलिये मैं समझता हूं कि शपथ का यह भाग बिल्कुल अनावश्यक है और इसे हटा दिया जाना चाहिये।

सब से महत्वपूर्ण खंड—वंचित करन वाले खण्ड के सम्बन्ध में उपमंत्री महोदय ने यह शंका प्रगट की है कि इस से उच्चतम न्यायालय और न्यायपालिका का कार्य अत्यधिक बढ़ जायेगा, और मैं समझता हूं कि उन के सहयोगी भी उन से सहमत ही होंगे। मैं नहीं जानता कि उपमंत्री महोदय कहीं यह तो नहीं समझते हैं कि ऐसे मामले इतनी जल्दी जल्दी हुआ करेंगें कि उच्चतम न्यायालय पर भार बन जायेंगे। व्यक्तिगत रूप से मेरा विचार है कि इन की संख्या कम होगी और यह काफ़ी दिनों बाद हुआ करेंगे। राष्ट्रमण्डल के अनेक देशों में ऐसा उपबन्ध है कि जांच करने वाली समिति का अध्यक्ष संघीय न्यायालय, जो हमारे उच्चतम न्यायालय के समान है, अथवा उच्च न्यायालय अथवा प्रान्तीय न्यायालय का न्यायाधीश होता है। परन्तु हमारे अधिनियम में उस प्रकार का कोई भी उपबन्ध नहीं है। इस में केवल यही कहा गया है कि ऐसा व्यक्ति जो १० वर्ष तक न्यायिक पदाधिकारी रह चुका हो। यदि यह खण्ड स्वीकार कर लिया गया तो ऐसी जांच समितियों के अध्यक्ष संभवतः जिला न्यायाधीश ही हुआ करेंगे। क्या हम ज़िला न्यायाधीशों को, मैं जानता हूं कि कुछ ज़िला न्यायाधीश बहुत योग्य होते हैं, पर सामान्यतया अब के जिला न्यायाधीश पहले की तरह सक्षम नहीं हैं, नागरिकता से वंचित करने का अधिकार सौंप देना चाहते

हैं ? यदि हम वास्तव में यह परित्राण चाहते हैं कि समिति का अध्यक्ष ऐसा व्यक्ति हो जो उच्चतम न्यायालय का न्यायाधीश हो या रह चुका हो । यदि सरकार को यह सुझाव स्वीकार्य न हो तो कार्यपालिका के आदेश के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने का उपबन्ध रखा जाना चाहिये । यदि सभा और सरकार इन दोनों परिवर्तनों में से एक को भी स्वीकार नहीं करती है तो कम से कम मैं तो नहीं कह सकता कि क्या होगा क्योंकि युद्ध अथवा शान्तिकाल में पूरी शक्ति कार्यपालिका के हाथ में केन्द्रित हो जायेगी और किसी को भी यह नहीं ज्ञात होगा कि उस की नागरिकता कब छिन जायेगी । मैं नहीं चाहता कि अत्यधिक हड़बड़ी और साधारण रूप में ही किसी को नागरिकता से वंचित कर दिया जाय, वरन् यह तो न्यायिक जांच जैसी जांच होने के बाद ही होनी चाहिये ।

अन्त में मैं इस विधेयक के खण्ड १४ को लेता हूं जिस में बिना कारण बताये आवेदन पत्र अस्वीकृत कर दिये जाने का उपबन्ध है । मैं ने इस में यह संशोधन प्रस्तुत किया है कि भारत में रहने वाले मूल भारतीयों पर यह उपबन्ध लागू नहीं होगा । इन लोगों को तो आवेदन पत्र अस्वीकृत किये जाने के कारण उपरोक्त उपबन्ध में उल्लिखित समिति द्वारा जांच के बाद लिखित रूप में बताये जाने चाहिये । जहां तक भारत में रहने वाले भारतीय उद्भव के व्यक्तियों के आवेदन पत्रों का प्रश्न है, इस आदेश के विरुद्ध अपील करने का भी अधिकार होना चाहिये ।

समाप्त करने के पहले मैं वंचित करने वाले खण्ड पर पुनः आग्रह करूंगा । इस में ऐसे व्यक्ति को नागरिकता से वंचित कर देने की व्यवस्था है जो किसी भी देश में किसी अपराध में दो वर्ष अथवा अधिक का कारावास दण्ड पा चुका हो । हमारे विधान को छोड़ कर कनाडा का विधान सब से नया है, परन्तु उस में भी ऐसा उपबन्ध नहीं हैं, वरन् यह कहा गया है कि योग्य क्षेत्राधिकार वाले न्यायालयों द्वारा कनाडा में ही दण्डित व्यक्ति नागरिकता से वंचित किये जायेंगे । परन्तु हम इस दिशा में बहुत आगे बढ़ गये हैं और एक ऐसा उपबंध सम्मिलित कर देने का प्रयास कर रहे हैं जिस से यदि कोई व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका में राजनीतिक कारणों से भी दंडित हो चुका हो तो उस के भारतीय नागरिकता के वंचित हो जाने की आशंका उत्पन्न हो सकती है ।

इसलिये यह विधेयक का अत्यन्त अबुद्धिमत्तापूर्ण उपबंध है । इसलिए मैं ने एक संशोधन प्रस्तुत किया है कि या तो इस सम्पूर्ण खण्ड को ही निकाल दिया जाय अथवा इसे केवल नैतिक अपराधियों पर ही लागू किया जाय ।

युद्ध के समय नागरिकता से वंचित कर देने के व्यवस्था करने वाला उपबंध है । इस में भी हमें यह देखना चाहिये कि केवल उन्हीं लोगों को वंचित किया जाय जिन्होंने शत्रु के लाभ के लिये उससे सम्पर्क स्थापित किया हो । हमें यह व्यवस्था कर देनी चाहिए कि इस उपबन्ध का उपयोग युद्ध में ईमानदारी के साथ भारत की सहायता करने की इच्छा रोकने वालों के विरूद्ध न किया जा सके । मेरा सुझाव है कि नागकिता से वंचित करने अथवा खण्ड १४ के अनुसार नागरिकता प्राप्त करने के लिये दिये गये आवेदन-पत्रों का निबटारा एक न्यायिक जाँच के अधीन किया जाये और यदि वह स्वीकार्य न हो, तो इन आदेशों के विरुद्ध उच्चतम न्यायालय में अपील करने की स्वतंत्रता होनी चाहिए ।

मैं इस अन्तिम बात को कह कर समाप्त करूँगा । यह द्वितीय अनुसूची के संबंध में है । मैं उसे प्रतिज्ञान के अनुरूप अथवा संविधान में निर्धारित शपथ के अनुरूप बनाना चाहता हूं । यद्यपि यह अधिनियम संविधान सभा द्वारा संविधान स्वीकृत होने के ६ वर्ष बाद प्रस्तुत किया गया है, तथापि मैं इसका स्वागत करता हूं, परन्तु यह स्वागत खुले हृदय से नहीं है क्योंकि इस में कई भयावह उपबन्ध हैं, जिन्हें

[श्री कामत]

सुधारना है, और यदि यह सुधारे नहीं गये तो यह नागरिकता विधान हमारे संविधान की प्रस्तावना में दिये गये उच्च आदर्शों के अनुरूप नहीं होगा। मुझे आशा है कि सरकार और यह सभा दोनों, जिन्होंने संविधान के प्रति निष्ठा की शपथ ली है, यह देखेंगे कि हम संविधान की प्रस्तावना में दिये गये उच्च आदर्श से कहीं हट न जायें और हमारा नागरिकता विधान उसके अनुरूप ही हो।

श्री रघुवीर सहाय : यह विधेयक संयुक्त समिति के पास से जिस रूप में आया है, उसमें इसका पूर्ण स्वागत करने में मुझे किसी प्रकार की हिचक नहीं है। मैं समझता हूं कि विधेयक जिस रूप में सदन के समक्ष प्रस्तुत किया गया है, उस में संयुक्त समिति ने विशाल सीमा तक सुधार कर दिये हैं।

खण्ड ५(ङ) में अर्थात् पंजीयन द्वारा नागरिकता प्राप्त करने वाले खण्ड में अत्यन्त महत्वपूर्ण परिवर्तन किया गया है। प्रथम अनुसूची में दक्षिण अफ्रीका को सम्मिलित करने की बात मेरे लिये भी अरुचिकर है, परन्तु संयुक्त समिति द्वारा विचार किये जाने के उपरान्त इस में अत्यन्त हितकर परिवर्तन हुआ है और अब मैं समझता हूं कि जब कि हम राष्ट्रमंडल के सदस्य हैं तो राजनीतिक ष्टि से हमारे लिये यह बुद्धिमानी का कार्य न होगा कि हम अनुसूची में से दक्षिण अफ्रीका का नाम बिल्कुल ही निकाल दें। मैं समझता हूं कि खण्ड ५(ङ) के रूप में एक अच्छे परित्राण की व्यवस्था कर ली गई है और अब कोई दक्षिण अफ्रीकी आसानी से भारतीय नागरिक नहीं बन सकता है।

श्री चटर्जी ने स उपबन्ध की कड़ी आलोचना की है कि जांच समिति में दस वर्ष का न्यायिक अनुभव प्राप्त अधिकारी ही नियुक्त किया जाये। उन्हों ने उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश के रखे जाने अथवा इस मामले को न्याययिक कार्यवाही योग्य बनाये जाने की बात कही है। कम से कम मैं समझता हूं कि प्रत्येक जगह उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीश का नाम रख देना उचित नहीं है। अब यह बिल्कुल स्पष्ट कर दिया गया है कि समिति की उपपत्तियों को सामान्य रूप से सरकार स्वीकार कर लेगी, और केवल, असाधारण परिस्थितियों में ही उन्हें स्वीकार न किया जायेगा। मुझे विश्वास है कि ऐसी समिति के नियुक्त किये जाने पर जब इतना महत्वपूर्ण प्रश्न उस के सुपुर्द किया जायेगा, और जब दस वर्ष का न्यायिक अनुभव प्राप्त व्यक्ति उसका सभापति होगा, तब उस पर पूर्ण रूप से विचार किया जायेगा और हमें आशा रखनी चाहिये कि उस समिति की उपपत्तियां उचित ही होंगी। यदि कोई असंतोष अथवा मतभेद की बात रही भी हो तो सरकार उस निर्णय को बदल भी सकती है क्योंकि उस में आगे एक उपबन्ध यह भी है कि निर्देशित प्राधिकारी द्वारा जारी किया गया प्रत्येक आदेश एक निश्चित अवधि के भीतर पुनरीक्षित किया जा सकेगा। इसलिये इस सम्बन्ध में अब कोई आशंका नहीं रहनी चाहिये और समिति की उपपत्तियों से अपने आप को उत्पीड़ित समझने वाले प्रत्येक व्यक्ति को अब प्रत्येक सम्भव अवसर प्रदान किया जायेगा।

एक ओर जबकि मैं इस विधेयक का हृदय से समर्थन करता हूं वहीं पर दूसरी ओर यह भी अनुभव करता हूं कि इस में देशीकरण की अर्हताओं का उपबन्ध भी होना चाहिये था। मूल विधेयक के अधिकांश उपबन्ध, जो कि इस विधेयक में हैं और जिन पर हम चर्चा कर रहे हैं १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम पर आधारित हैं। इस में मेरे विचार से एक बहुत बड़ी कमी यह है कि अन्य सभी उत्तम और आवश्यक बातों के होते हुए भी यह उपबन्ध होना चाहिये था कि आवेदक को भारतीय संविधान की आधारभूत भावना का पता होना चाहिये। इस कमी का पूरा किया जाना आवश्यक है।

ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में ऐसा कोई उपबन्ध नहीं है जैसा कि मैं प्रस्तावित कर रहा हूं। इंगलैंड में कोई लिखित संविधान न होने के कारण ही वहां इस प्रकार के खण्ड को नागरिकता विधि मेंनही रखा गया है। राष्ट्रमंडल के बहुत से देशों में जिन में लिखित संविधान और स्वतन्त्र नागरिकता विधियां हैं उनमें यह उपबन्ध है कि यदि इन में से किसी देश में कोई व्यक्ति स्वयं को देशीकृत कराना चाहता हो तो उसे उन देशों के संविधानों की जानकारी होनी चाहिये। अमरीका में भी इसी प्रकार का उपबन्ध है ।

अब प्रश्न यह उत्पन्न है कि किसी व्यक्ति को संविधान की मूल बातों का ज्ञान है अन्यथा नहीं, इसका पता किस प्रकार लगाया जायगा? मेरा उत्तर इस सम्बंध में यह है कि अपने संविधान की द्वितीय अनुसूची में शपथ की जिस भाषा का उपबन्ध किया है उसी भाषा में उस व्यक्ति को, जो देशीकरण कराना चाहता है संविधान में वर्णित शब्दों में शपथ गृहण करनी होगी आपने उसमें स्पष्ट कर दिया है कि उसे भारत के संविधान के प्रति निष्ठा रखनी होगी। इस कारण जो व्यक्ति शपथ ले उसे भारतीय संविधान का आधार अथवा उसकी मूल बातों का ज्ञान होना ही चाहिये। जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक वह शपथ के मूल उद्धेश्य को क्या समझ सकेगा। अतः मैं चाहूंगा कि माननीय मंत्री मेरे इस सुझाव को स्वीकार करें और हमें तृतीय अनुसूची में जोड़ दें। इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का स्वागत करता हूं।

श्री मूल चन्द दुबे : (जिला फर्रुखाबाद-उत्तर) : यद्यपि मुझे इस विषय का अधिक ज्ञान नहीं है फिर भी मुझे ऐसा लगता है कि यह विधेयक ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम पर आधारित है। जहां तक मैं समझता हूं कि हम नागरिकता के अधिकार को सस्ता करते जा रहे हैं। वास्तव में यदि देखा जाये तो यह अधिकार बहुत मूल्यवान है क्योंकि भारत का कोई भी नागरिक सबसे उच्च पद पर आसीन हो सकता है, अर्थात् राष्ट्रपति बन सकता है जबकि इंग्लिस्तान में ऐसा नहीं है। किसी भी व्यक्ति को भारत में जन्म लेने अथवा उसके अभिभावक के भारत में जन्म लेने अथवा कुछ काल यहां रहने के कारण ही नागरिक बना लेना उचित नहीं है। इस सम्बन्ध में मेरा निवेदन तो यह है, जैसा कि संविधान के अनुच्छेद ५ में उपबन्धित है, अधिवास के प्रश्न पर भी विचार किया जाना चाहिये, क्योंकि उक्त अनुच्छेद में यह भी उपबन्ध है कि उस व्यक्ति का विचार भारत में बसने और उसे अपनी मातृभूमि समझने का हो ऐसा न होने पर किसी भी व्यक्ति को नागरिक नहीं बनाया जाना चाहिये। यद्यपि बहुत से लोग पाकिस्तान इत्यादि के विभिन्न भागों से यहां आ गये हैं और वे कहीं के नागरिक नहीं रह गये हैं फिर भी संविधान के उपबन्धों का पालन पूर्णरूपेण किया जाना चाहिये और अंग्रेज़ी विधि की नक़ल नहीं की जानी चाहिये ।

श्री एन० सी० चटर्जी ने कहा है कि यह अधिकार न केवल देशीकरण का प्रमाण पत्र प्राप्त व्यक्तियों को ही नहीं वरन् देशीकरण का प्रमाण पत्र जिन के पास नहीं है उन्हें भी मिलना चाहिए। उन्होंने एक आपत्ति यह की कि देशीकरण का प्रमाण पत्र जिन के पास नहीं है वे व्यक्ति अथवा निगम संविधान के अनुच्छेद १९ के अधीन सम्पत्ति नहीं रख सकेंगे मैं माननीय सदस्य का ध्यान संविधान के अनुच्छेद १४ की ओर आकर्षित करूंगा जिसके अनुसार प्रत्येक निगम एंव देशीकरण का प्रमाण पत्र न रखने वाले व्यक्ति को, यदि वह उस प्रकार का व्यक्ति है जिसकी परिभाषा समान्य खण्ड अधिनियम

[श्री मूलचन्द दुबे]

में की जा चुकी है, अनुच्छेद १४ द्वारा प्रदत्त सभी अधिकार प्राप्त होंगे। इसी प्रकार अनुच्छेद ३१ में कहा गया है कि कानूनी कार्यवाही के बिना किसी व्यक्ति को सम्पत्ति से वंचित नहीं किया जायेगा। इस सम्बन्ध में भी मेरे मित्र का तर्क सही नहीं जान पड़ता है। उनका कहना है कि यदि इस विधेयक के उपबन्ध निगमों या देशीकरण का प्रमाण न रखने वाले व्यक्तियों पर न लागू किये गये तो वे सम्पत्ति के स्वामी नहीं रह सकेंगे। यह कहना सही नहीं है। अनुच्छेद ३१ और १४ ऐसे व्यक्तियों की रक्षा के लिये पर्याप्त हैं।

श्री एच० एन० मूकर्जी (कलकत्ता उत्तर, पूर्व): कुछ माननीय सदस्यों ने यह बताया कि यह प्रश्न तर्क पूर्ण है कि किन्हीं कारणों वश हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के एक सदस्य हैं, इससे दोनों को लाभ हो सकता है और हमारे राष्ट्रीय सम्मान को इससे किसी प्रकार का धक्का नहीं पहुंचता है। इसी कारण ब्रिटिश राष्ट्रमंण्डलीय देशों का सदस्य रहना हमारे लिये बुद्धिमत्तापूर्ण कार्य होगा। किन्तु नागरिकता विधेयक पर चर्चा के दौरान में कुछ ऐसी चीज़ें उत्पन्न हो गईं जिनसे ब्रिटिश भिन्न राष्ट्रमण्डल की इस सदस्यता के संबंध में हमारे कान में कुछ आशंकायें उत्पन्न हो गई हैं। संयुक्त समिति के एक सदस्य होने के नाते यह बता देना मेरा कर्तव्य है कि, विशेषकर उभय पक्षीय आधार पर यदि हम ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित किसी देश को कोई विशेष लाभ पहुंचाना चाहते हैं तो हमें युक्तियुक्त रूप से कार्यवाही करनी चाहिये और उस सूची में उन देशों को सम्मिलित करना चाहिये जिनसे हम किसी प्रकार का उभय पक्षीय सम्बन्ध रख सकते हैं। हमें अपनी आपत्ति का उत्तर नहीं मिला है। यह कहा गया था कि प्रथम अनुसूची में केवल ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल में सम्मिलित देशों के नामों का ही उल्लेख है। मैं इन दोनों बातों में सामंजस्य स्थापित नहीं कर सका हूं। यदि हम अन्योन्यता के सिद्धान्त को लेकर आगे बढ़ते हैं तो हमें अपने विधेयक में उन देशों के नामों की तालिका सम्मिलित करने की कोई आवश्यकता नहीं है जिनके नागरिक होने के कारण वे स्वतः भारत के नागरिक भी माने जा सकेंगे। हमने यह बताने का प्रयत्न किया था कि यदि भारत में हमारा उद्देश्य अपने राजनीतिक अस्तित्व के क्षेत्र का विस्तार करना हो तो हम उन देशों के लोगों को नागरिकता का अधिकार क्यों नहीं दे देते जिनसे चाहे भौगोलिक परिस्थिति के कारण अथवा सिद्धान्तों में समानता होने के कारण पड़ौसी जैसा नाता है।

आज हमारे पंचशील के सिद्धान्त को अनेक देशों ने स्वीकार कर लिया है। यदि हम नागरिकता का अधिकार देने में इतने ही उदार हैं तो हम उन देशों के लोगों को यह अधिकार क्यों नहीं देते जिन के विचार हमारे जैसे हैं। नैपाल और ब्रह्मा जैसे देशों को प्रथम अनुसूची में इस कारण नहीं रखा गया है कि उक्त अनुसूची में तो केवल ब्रिटिश राष्ट्रमण्डल के देश ही सम्मिलित किये गये हैं। हम ने अपने विधेयक में राष्ट्रमंडलीय नागरिकों की हैसियत की परिभाषा ढूढने का प्रयत्न किया किन्तु इस का केवल उल्लेख ही किया गया है कोई परिभाषा नहीं दी गई है। ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम में ऐसी बात नहीं है, उस में इस की निश्चित परिभाषा दी हुई है। पाकिस्तान, कनाडा, आस्ट्रेलिया या दक्षिण अफ्रीका में भी इस की निश्चित परिभाषा दी गई है।

कुछ समय पूर्व मेरे मित्र श्री गुरुपादस्वामी ने वैदेशिक मंत्रालय का एक पत्र इस सभा में पढ़ा था जिस में यह स्वीकार किया गया था कि 'राष्ट्रमंडलीय नागरिक' और 'ब्रिटिश

प्रजाजन' सभानार्थक शब्द हैं। मुझे और मेरे जैसे विचार वालों को इस विधेयक में सब से खराब चीज यह लगी है कि कुछ अधिनियमों के निरसन का उपबन्ध इस में है। जैसा कि प्रवर समिति ने बताया है हम ने ब्रिटिश राष्ट्रीयता तथा अन्यदेशी परिस्थिति अधिनियम, १९१४ से ४३ के भारत में प्रवर्तन को निरसित कर दिया है। इन अधिनियमों का निरसन करने की क्या आवश्यकता है? ऐसा कर के हम ने १९४८ के ब्रिटिश राष्ट्रीयता अधिनियम के पक्ष में एक विशिष्ट और अपवाद स्वरूप गलती की है। यह एक ऐसी बात है जो ब्रिटिश राष्ट्रमंडल का सदस्य होने के सम्बन्ध में सन्देह उत्पन्न कर देती है। यह बात बहुत अशोभनीय है क्योंकि हम अनेक बार यह कह चुके हैं कि इसी प्रकार के धोखे के आधार पर ब्रिटेन का और हमारा संबंध चलता चला आ रहा है।

मैं ने अपने विमत्ति टिप्पण में कुछ उन उपबंधों का उल्लेख किया है जिन को हमारा देश नहीं चाहता है। शरणार्थियों की स्थिति का उल्लेख पहले ही किया जा चुका है। मैं यह चाहता हूं कि उन्हें खण्ड ५ के अधीन नहीं वरन् खण्ड ४ के अधीन उद्भव के आधार पर नागरिकता के अधिकार दिये जायें। किसी नागरिक की स्थिति विदेशी की स्थिति स भिन्न होती है क्योंकि नागरिक का उस देश से स्थायी और वैयाक्तिक सम्पर्क रहता है। इस के पश्चात् लाल फीता शाही के कारण शरणार्थियों के पंजीयन में भी कठिनाई पड़ सकती है। इस उपबन्ध से उन की कठिनाई कुछ कम हो जायेगी। इसी कारण कुछ शरणार्थियों ने सहायता प्राप्त करने के लिये शरणार्थी के रूप में अपना पंजीयन नहीं कराया है, ऐसे व्यक्तियों को नागरिकता के अधिकार प्राप्त करने में कुछ कठिनाई होगी।

मुझे बताया यह गया है कि पंजीयन किये गये नागरिकों की स्थिति उद्भव वाले नागरिकों से भिन्न है। मैं अनुभव करता हूं कि इन दोनों में अन्तर है। किस प्रकार के व्यक्ति पंजीयन के द्वारा हमारे देश के नागरिक होंगे? प्रसिद्ध वैज्ञानिक प्रो० जे० आर० एस० हाल्डेने न कलकत्ता में अपने भाषण में भारत का नागरिक बनने की इच्छा प्रकट की थी। ऐसे व्यक्तियों की इच्छाओं पर कार्यपालिका द्वारा रोक लगाये जाने का कोई युक्तियुक्त कारण होना चाहिये, अन्यथा नागरिकता से वंचित करने के अवांछनीय परिणाम निकल सकते हैं।

सभापति महोदय : अब सभा गैर-सरकारी सदस्यों के कार्य को लेगी।

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा सकल्पों संम्बन्धी समिति

चालीसवां प्रतिवेदन

श्री रघुनाथ सिंह : (जिला बनारस-मध्य) : मैं प्रस्ताव करता हूं :

"कि यह सभा, गैर सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से, जो ३० नवम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत है।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि यह सभा गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति के चालीसवें प्रतिवेदन से, जो ३० नवम्बर, १९५५ को सभा के समक्ष रखा गया था, सहमत हैं।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : डा० खरे अपना विधेयक प्रस्तुत करने के लिये उपस्थित नहीं हैं। अतः मैं एक विधेयक के वापस लिये जाने के प्रस्ताव को लूंगा।

भारतीय दण्ड संहिता (संशोधन) विधेयक

(नई धारा २९४ ख का निवेश)

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा (हजारी बाग पूर्व) : मेरा प्रस्ताव है कि भारतीय दण्ड संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, १८६० में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक को वापस लेने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

विधेयक सभा की अनुमति से वापिस लिया गया ।

भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक

सभापति महोदय : अब सभा श्री जेठालाल जोशी के प्रस्ताव पर, जो ३० सितम्बर, १९५५ को प्रस्तुत किया गया था : अग्रेतर विचार करेगी ।

इस विषय पर चर्चा के लिये जितना समय नियत किया गया था उस में से केवल १ घंटा १४ मिनट का समय शेष रह गया है। श्री ए० एम० थामस अपना भाषण जारी रखेंगे ।

श्री ए० एम० थामस : (एरनाकुलम) : इस विधेयक के उपबन्धों से कोई विशेष प्रयोजन सिद्ध नहीं होता है, वरन् कुछ नियंत्रण ही लगता है । विधेयक में दी गई "अन्य धर्मग्राही" की परिभाषा से स्पष्ट है कि स व्यक्ति ने अपना जन्मजात धर्म छोड़ कर दूसरा धर्म स्वीकार कर लिया है । इस विधेयक की दो प्रमुख विशेषतायें हैं एक तो यह कि धर्म परिवर्तन करने की सूचना दी जानी चाहिये और दूसरा यह कि धर्म परिवर्तन सम्बन्धी धार्मिक संस्कार करने वाले को, अनुज्ञप्ति लेनी होगी । मेरी समझ में नहीं आता कि इन से क्या लाभ होगा ? कोई भी अल्पव्यस्क किसी अन्य धर्म को नहीं स्वीकार कर सकता है । इसलिये यह उपबन्ध बहुत आपत्तिजनक है । जब हम यह मानते हैं कि किसी अल्पव्यस्क का वही धर्म होगा जो उस के माता पिता या केवल पिता का है तो फिर यह विचार बिल्कुल निरर्थक है कि किसी धर्म को ग्रहण करने के लिये संविदा करने की क्षमता होना आवश्यक है । मैं इस की अधिक विवेचना न कर के केवल यह कहना चाहूंगा कि उन उपबन्धों का परीक्षण नहीं किया गया है ।

विधेयक के प्रस्तावक ने यह कहा कि अनेक प्रकार से बलात् धर्म परिवर्तन की घटनायें हुई है । श्री टण्डन ने बलात् धर्मग्रहण का उल्लेख किया है किन्तु जिन को ईसाई धर्म का कुछ ज्ञान है वे यह बात जानते होंगे कि ईसाई धर्म धोखे या अनुचित रूप से धम परिवर्तन में विश्वास नहीं रखता । क्या इस देश की विधि धर्म परिवर्तन की बुराइयों को रोकने के लिये पर्याप्त नहीं है ? धर्म सम्बन्धी जितने भी अपराध भारतीय दंड संहिता के अध्याय १५ में दिये हुए हैं वे सब यहां दुहरा दिये गये हैं इस विधेयक के प्रस्तावक का कहना है कि सही सही आंकड़े रखने की आवश्यकता है । किन्तु क्या धर्म परिवर्तन की पंजी रखने से कोई आर्थिक अथवा सामाजिक उद्देश्य की प्राप्ति होगी । कई देशों में सांख्यकी की बडी पूर्ण प्रणाली है किन्तु उन दशों में भी धर्म परिवर्तन करने वालों की कोई पंजिका नहीं रखी जाती है । मेरी समझ में नहीं आता है इस देश में ऐसी पंजिका रखने की क्या आवश्यकता है ।

इस विधेयक में यह कहा गया है कि धर्मपरिवर्तन करने से कई परिवारों की बरबादी हो जाती है, किन्तु इस से पहले अभी तक यही कहा जाता रहा है कि लोग इसलिये धम परिवर्तन करते हैं कि ऐसा करने से उन की आर्थिक तथा सामाजिक स्थिति सुधर जाती है ये दोनों बातें परस्पर विरोधी हैं ।

विदेशी धर्म प्रचारकों की राष्ट्र विरोधी कार्यवाहियों के सम्बन्ध में भी यहां बहुत कुछ कहा गया है । इस विषय में मैं ने पहले ही कह दिया है कि यदि कोई ऐसी बातें हों तो उन्हें अवश्य दबाया जाना चाहिये । इस विषय में सरकार ने पहले ही अपने हाथ में शक्तियां ले ली हैं जैसा कि गृह मन्त्रालय की आखरी प्रशासनिक रिपोर्ट से पता लगता है । हमारे संविधान ने विचार और वृत्ति की स्वतन्त्रता तथा धर्म और प्रचार के अधिकार दे रखे हैं । ईसाई धर्म का यह मूल सिद्धात है कि इस धर्म को मानने वाले केवल स्वयं ही इस की बातों पर अमल न करें अपितु दूसरों में भी उन का प्रचार करें । किसी भी व्यक्ति को अपने धर्म का प्रचार करने में हमें क्या आपत्ति हो सकती है । कल के "हिन्दू" में मै ने एक जलसे के बारे में पढ़ा है जिस का उद्‌घाटन त्रावनकोर-कोचीन के राजप्रमुख ने किया है । वह हिन्दू धर्म प्रचारकों के प्रशिक्षण के लिये एक संस्था का उद्‌घाटन कर रहे थे । उस अवसर पर उन्हों ने कहा कि इस प्रकार की संस्था से हिन्दू धर्म की उन्नति को विशेष उत्साह मिलेगा । उस जलसे के सभापति ने कहा कि यहां प्रशिक्षित किये गये प्रचारक हिन्दू धर्म के प्रकाश से संसार भर में फैले अंधकार का नाश करने के लिये आगे बढ़ेंगे । अतः मेरा अनुरोध है कि इस प्रकार अपने धर्म का प्रचार करने में कोई भी आपत्तिजनक बात नहीं है । इस विधेयक से लोगों में भ्रान्ति फैल गई है । इस सम्बन्ध में गृह मंत्रालय और प्रधान मंत्री के भेजे गये पत्रों और तारों का मेरे पास एक ढ़ेर सा जमा हो गया है ।

श्री देशपांडे ने कहा है कि पाकिस्तान तो बन गया है अब हम इसाईस्तान नहीं बनने देना चाहते हैं । मेरे विचार में उन्हें ईसाई धर्म को गलत समझ कर ऐसा कहा है । भारतवर्ष में ईसाई धर्म उतना ही पुराना है जितना पुराना कि स्वयं ईसाई धर्म है । हमारे प्रधान मंत्री ने कई बार कहा है कि पुर्तगाल और इंगलैंड में ईसाई धर्म का प्रचार होने से पहले भारत में इस की जड़ें जम चुकी थीं । अतः यह समझना कि ईसाई धर्म भारत भूमि का धर्म नहीं है गलत है । हिन्दू धर्म, इस्लाम और बौद्ध धर्मों की भांति यह भी भारत भूमि का ही एक धर्म है ।

श्री गाडगिल (पूना मध्य) : मेरे विचार में इस विधेयक की स्पष्ट आवश्यकता है । धर्म परिवर्तन बलपूर्वक अथवा धोखा धड़ी से नहीं किया जाना चाहिये । किन्तु जो कुछ हो रहा है वह बिल्कुल भिन्न है । इस विषय में महात्मा गांधी ने कहा था कि,

> "संसार की धार्मिक पुस्तकों को पढ़ने के पश्चात् मैं ने यह पाया है कि सभी धर्म अच्छे हैं । मैं कभी किसी ईसाई, मुसलमान, पारसी अथवा यहूदी को धर्म परिवर्तन करने के लिये कहने की अपेक्षा मैं अपना ही धर्म बदलने का विचार कर सकता हूं ।"

उस समय एक ईसाई धर्म प्रचारक ने उन से पूछा था :

> "तो क्या आप भारतवर्ष में ईसाई धर्म प्रचारकों को आकर लोगों को ईसाई बनाने से रोकेंगे ?"

उन्हों ने उत्तर दिया था कि : "उन्हें रोकने वाला मैं कौन होता हूं ? हां यदि मेरे पास विधान

[श्री गाडगिल]

बनाने की शक्ति हो तो मैं सभी प्रकार के भेदभाव को अवश्य समाप्त कर देता क्योंकि यह ही भिन्न भिन्न वर्गों के मध्य होने वाले संघर्ष का कारण है।"

धर्म परिवतन का आशय तभी समझ में आ सकता है जब कि इस के लिये कोई आध्यात्मिक आवश्यकता हो। १९३७ में राजकुमारी अमृत कौर ने महात्मा गांधी को एक पत्र में लिखा था कि,

ईसाई प्रचारकों ने, भारतीय ईसाइयों को कई प्रकार से हानि पहुंचाई है। कई धर्म परिवर्तितों को राष्ट्रीयता से वंचित कर दिया गया है। उन के नामों का योरोपीयकरण कर दिया गया है। उन्हें बताया गया है कि उन के पूर्वजों के धर्मों में कोई उत्तम बात नहीं है। उन के धार्मिक ग्रन्थ उन के लिये बन्द पुस्तकें मात्र हैं।

इस प्रकार आज कल पीड़ित वर्गों को सामूहिक रूप से ईसाई बनाया जा रहा है: यह केवल हिन्दुओं के लिये ही नहीं अपितु राष्ट्रीय दृष्टिकोण से भी एक भय का विषय है।"

इस विषय में डा० बेरियर एलविन ने १९४६ में कहा था कि,

"आज बहुत कम लोग इस समस्या की आवश्यकता को समझते हैं कि कैसे हजारों आदिवासियों को ईसाई बनाया जा रहा है। संथाल परगना बड़ी शीघ्रता से ईसाई दश बन रहा है। करेन, भील और लुशाई बड़ी तेजी से ईसाई बनाये जा रहे हैं। इस गति से कुछ ही वर्षों में सारे आदिवासी ईसाई बन जायेंगे और एक झगड़ालू और अराष्ट्रीय अल्पसंख्यक जाति हो जायेंगे। उन में कोई भी प्राचीन गुण नहीं रह जायेगा और वे भारत सरकार के लिये कांटे के समान होंगे।"

इस सम्बन्ध में मैं एक प्रसिद्ध समाजशास्त्री डा० रेमंड फर्थ का मत उद्धृत करता हूं......

सभापति महोदय : शान्ति, शान्ति, मैं माननीय सदस्य से प्रार्थना करूंगा कि वह थोड़े से थोड़ा समय लेने का प्रयत्न करें।

श्री ए० एम० थामस : ये बातें विधेयक के प्रस्तावक द्वारा भी कही जा चुकी हैं।

श्री गाडगिल : तब मैं केवल इतना ही कहूंगा कि डा० रेमंड फर्थ ने भी इन कार्यवाहियों की निन्दा की है। अतः मेरा विचार है कि इन बुराइयों को रोकने के लिये इस विधेयक का होना बहुत आवश्यक है।

अब यह कहना कि इस विधेयक से मूलभूत अधिकारों पर प्रभाव पड़ता है बिल्कुल गलत है। विधेयक का केवल इतना ही अभिप्राय है कि आध्यात्मिक आवश्यकता होने पर प्रत्येक व्यक्ति को धर्म परिवर्तन करने की स्वतन्त्रता मिल सकती है। हां, जो लोग धोखा धड़ी करते हैं अथवा राष्ट्रीय हित के विरुद्ध कुछ करना चाहते हैं उन को छूट नहीं दी जानी चाहिये। अतः जो लोग अनुत्तरदायी हैं उन्हें यह अधिकार नहीं दिया जा सकता है। मैं यह मानता हूं कि ईसाई धर्म भारत भूमि का ही एक धर्म है, किन्तु स्वतन्त्रता प्राप्ति

के पश्चात् इस की क्या स्थिति हो गई है ? आज लोगों को धर्म परिवर्तन कराने की गति बहुत बढ़ गई है । हमें गर्व है । कि हमारे देश में एक धर्म निरपेक्ष प्रजातन्त्र है किन्तु इस का यह अर्थ नहीं है कि लोग हमारे देश के सामाजिक सन्तुलन को बिगाड़ दें । इसी कारण से मैं चाहता हूं कि इस विधेयक को संविधि पुस्तक में स्थान दिया जाये ।

श्री पोकर साहेब (मलप्पुरम) : मैं सर्वप्रथम इस विधेयक का इस लिये विरोध करता हूं क्योंकि यह हमारे नागरिकों को दिये गये भूलभूत अधिकारों के विरुद्ध है । इस के पुरःस्थापित किये जाते समय जब मैं ने विरोध किया था तो इसके प्रस्तावक महोदय ने यह कहा था कि यह केवल धर्म परिवर्तन के आंकड़े अथवा भिन्न भिन्न धर्म प्रचारकों के आंकड़े इकट्ठे करने के लिये है, किन्तु यदि उनका केवल यही उद्देश्य था तो इसके लिये इसी प्रकार के विधेयक की कोई आवश्यकता नहीं थी । निस्सन्देह यह विधेयक संविधान द्वारा दी गई धार्मिक स्वतन्त्रता व प्रचार के मार्ग में बाधा डालने वाला है । कोई भी व्यक्ति यह सिद्ध नहीं कर सकता है कि यह विधेयक संविधान के अनुच्छेद २५ का उल्लंघन नहीं करता है । शान्ति, व्यवस्था, नैतिकता तथा स्वास्थ्य किसी भी दृष्टि से इसे न्याय-संगत सिद्ध नहीं किया जा सकता है । इससे निश्चय ही देश में अव्यवस्था फैल जायगी ।

माननीय प्रस्तावक का कहना है कि ईसाई प्रचारक बड़ी गड़बड़ी कर रहे हैं । किन्तु प्रति दिन सरकारी सदस्यों, राज्यपालों व प्रसिद्ध व्यक्तियों द्वारा मैं उनकी सामाजिक सेवाओं की प्रशंसा भी सुनता हूं । अतः यदि कोई व्यक्तिगत प्रचारक अथवा संस्था बुरा व्यवहार करती है अथवा उसकी कायवाहियों के पीछे यदि कोई राजनैतिक पृष्ठभूमि है तो उसे रोकने के लिये हमारी संविधि पुस्तक में पर्याप्त विधान है । मैं यह नहीं कहता कि ऐसे व्यक्तियों को न रोका जाये । किन्तु यह कहना कि १९४७ के बाद से धर्म परिवर्तन की संख्या अधिक बढ़ गयी है और इस आधार पर नागरिकों के धर्म प्रचार के मूलभूत अधिकार में हस्तक्षेप करना बड़ी गलत बात है और इससे देश में बड़ी गड़बड़ी फैल जायेगी । इसलिये मैं माननीय प्रस्तावक से निवेदन करूंगा कि देश के सामान्य हित के लिये वह इस विधेयक को वापिस ले लें ।

श्री कोट्टुकपल्ली (मीनाचिल) : मैं अपने मित्र श्री जोशी से प्रार्थना करूंगा कि ईसाई आदि अल्पसंख्यक जातियों के प्रति सद्भाव की दृष्टि से वह भारतीय अन्य-धर्मग्राही (विनियमन और पंजीयन) विधेयक को वापिस ले लें । मेरा विचार है कि उन्हें यह ज्ञात होगा कि इस विधेयक से ईसाइयों, मुसलमानों, सिखों और पारसियों आदि को कितना दुःख हो रहा है । उनके हृदय में बहुसंख्यक जाति के रवैये के प्रति एक भय सा उत्पन्न हो रहा है ।

अभी हमारे जनतन्त्र का निर्माण ही हो रहा है । उसके स्वस्थ विकास के लिये यह आवश्यक है कि उसके सभी धार्मिक, सामाजिक और भाषावार भागों अथवा समूहों में भ्रातृत्व की भावना का विकास हो । किन्तु कोई भी ऐसा विचार कि अमुक समूह दूसरे का शत्रु है अथवा उसके अस्तित्व को सहन नहीं कर सकता है देश की एकता के लिये बड़ा घातक सिद्ध होगा । हमें तो अपने देश में यह भावना उत्पन्न करनी चाहिये कि यहां पर सभी वर्गों और धर्मों के व्यक्ति सुरक्षित हैं जिससे कि प्रत्येक नरनारी यह सोचे कि यह उसका अपना राष्ट्र है और वह गणतन्त्र के प्रति निष्ठा और भक्ति की भावना रख सके । भारतीय गणतन्त्र के प्रतिष्ठापकों को इस बात का महत्व भली भांति मालूम था और उन्होंने संविधान में प्रत्येक नागरिक को धम के आचरण और प्रचार की पूर्ण स्वतन्त्रता देकर देश की एकता को दृढ़ बनाने का अवसर दिया है ।

[श्री कोट्टुकपल्ली]

किन्तु श्री जोशी का विधेयक संविधान द्वारा दिये गये उन मूलभूत आधारों पर एक प्रकार का प्रहार है । उनका विधेयक संयुक्त राष्ट्र द्वारा स्वीकृत मानव अधिकारों सम्बन्धी "अधिकार-पत्र" का विरोधी है । यदि यह विधेयक विधि बन गया तो यह हमारे देश के उज्ज्वल मुख पर एक कलंक का धब्बा होगा । संसार के किसी भी सभ्य देश में ऐसी विधि नहीं है ।

मैं अपने मित्र को विश्वास दिला सकता हूं कि धमका कर, लालच देकर अथवा धोखा धड़ी से धर्म परिवर्तन कराना ईसाई धर्म के विरुद्ध है । योरुप और अमरीका में ईसाई धर्म का इतिहास इस बात का प्रमाण है । सेंट थामस जो भारत के पश्चिमी तट पर सन् ५२ ई० में आये थे बिल्कुल अकेले ही आये थे । उसके पास कोई तलवार नहीं थी । वह केवल दुखों के चिन्ह क्रास को ही साथ लाये थे । वह अपने साथ बाईबल की यह शिक्षा भी लाये थे कि 'अपने पड़ौसी से प्रेम करो' आदि । मैं अपने मित्र श्री जोशी तथा अन्य सदस्यों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि इसी आधार पर भारतवर्ष तथा अन्य देशों में ईसाई धर्म का प्रचार हुआ है । १६वीं शताब्दी में ईसाईयों ने गरीबों और अन्धों केलिये घर बनवाये थे; उन्होंने कुष्ट रोगियों तथा बीमारों के लिये आश्रम बनाये थे । उन्होंने प्रत्येक नगर में स्कूल तथा कालिज खोले थे । उन्होंने कभी भी इन पूर्त संस्थाओं को धर्म परिवर्तन के लिये प्रयोग नहीं किया था । इसका सब से बड़ा प्रमाण यह है कि वहां से पढ़ कर निकलने वाले बच्चे अपने पूर्वजों के धर्म पर ही निष्ठा रखने वाले हुये । मझे विश्वास है कि इस संसद् की एक बड़ी संख्या ईसाई स्कूलों से ही पढ़ कर आई होगी । किन्तु उन्होंने अपना धर्म नहीं बदला है । इस भूमि पर १६०० वर्षों तक ईसाई धर्म के रहने और २०० वर्षों तक ईसाइयों के राज्य के उपरान्त भी केवल भारत की २।। प्रतिशत जनसंख्या ही ईसाई है । १९५७ में महारानी विक्टोरिया ने घोषणा की थी कि धर्म के आधार पर कोई भेदभाव नहीं किया जायेगा, किन्तु आज ३०.३ करोड़ हिन्दुओं के लिये ८५ लाख ईसाइयों, ६० लाख सिखों और १ लाख पारसियों से भयभीत होना साहसहीनता की बात है । आप सब हमें अपने छोटे भाई के समान समझें और फिर आप देखेंगे कि किस प्रकार मातृभूमि की शक्ति बढ़ती जाती है । असहिष्णुता बुद्धिमानों का गुण नहीं है । इससे कोई बड़ा नहीं बन जाता है । औरंगज़ेब ने इसका प्रयोग किया और उसका वंश समाप्त हो गया । केवल न्याय ही किसी राष्ट्र को ऊंचा उठाता है । यदि इस प्रकार का विधेयक देश में किसी प्राचीन समय में बना हुआ होता तो हमें महावीर, चैतन्य, शंकराचार्य, रामानुज, राम मोहनराय, केशब चन्द्र सेन, विवेकानन्द, गौतम बुद्ध और गांधी जैसी विभूतियां प्राप्त नहीं हो सकती थीं । इन सभी ने देश की कीर्ति को चार चांद लगाये हैं । महात्मा गांधी ने इस देश के लोगों के विचारों, रिवाज़ों और आदतों में सब से अधिक परिवर्तन किया है । वह लंगोटिया साधु देश के कोने कोने में घूमा, उसने छुआछूत और जाति पाति का नाश किया, उसने अछूतों के लिये मन्दिरों के दरवाज़े खुलवाये । ईश्वर की अपार अनुकम्पा है कि उस समय श्री जोशी के विधेयक जैसा कोई विधेयक संविधि पुस्तक पर नहीं था । ऐसे समय न्यूयार्क के एक ईसाई धर्म प्रचारक ने ही सब से पहले यह कहा था कि महात्मा गांधी संसार के सब से महान् व्यक्ति थे । किन्तु अब जब लोग श्री जोशी के विधेयक और उसके ऊपर होने वाले वाद विवाद को पढ़ते हैं तो उनके दिलों में भय उत्पन्न होता है कि बहुसंख्यक जाति वालों की विचार धारा क्या है और उनके साथ आनेवाल वर्षों में कैसा व्यवहार होगा ? किन्तु हमें अपन प्रधान मंत्री में पूरा विश्वास है । कोई भी संसद विकास

को नहीं रोक सकती है । इस धर्म निरपेक्ष राज्य में हम धर्मों को स्वतः अपनी रक्षा करने पर छोड़ दे सकते हैं ।

अपने जीवन के अन्तिम दिनों में सरदार पटेल मेरे राज्य में आये थे । उन्होंने मुझे अन्तिम संदेश देते हुये कहा था कि, "इस देश में हिन्दुओं और इसाइयों को भाई भाई की तरह रहना और कार्य करना चाहिये । परमात्मा तुम्हें मेरे शब्दों की सार्थकता समझने के लिये बुद्धि प्रदान करें ।" मेरे मित्र श्री जोशी भी महात्मा और सरदार के प्रदेश से सम्बन्ध रखते हैं । अतः मैं उनसे उनके ही शब्दों पर चलने के लिये कहूंगा ।

श्री भागवत झा आजाद (पूर्निया व संथाल परगना) : मेरे मित्र द्वारा ईसाई धर्म की शिक्षा और प्रचार के बारे में जो कुछ कहा गया है उससे मैं पूर्णतः सहमत हूं । सदन का प्रत्येक सदस्य अनुभव करता है कि ईसाई धर्म अन्य धर्मों के समान ही इस देश का एक धर्म है । मेरे मित्रों ने, जिन्होंने अपने भाषण में कहा है कि यह विधेयक संविधान के अन्तर्गत दिये गये मूलभूत अधिकारों पर एक आक्रमण है और यह धर्म और भाषण स्वातन्त्र्य के अधिकार पर भी आक्रमण है, उन्होंने वास्तव में विधेयक को ग़लत समझा है । मेरा नम्र निवेदन है इस विधेयक के सिद्धान्त के बारे में उन्हें ग़लत-फ़हमी है । अभी एक माननीय सदस्य ने कहा कि "सुन्दर संथाल परगना ईसाई धर्म में दीक्षित होता जा रहा है ।" मैं उस ज़िले का निवासी हूं और वहां संथालों की संख्या ४५ प्रतिशत है । कुछ ईसाई मित्रों ने इस सदन में कहा है कि हम उनके मूलभत अधिकारों पर आक्रमण करना चाहते हैं किन्तु मैं उन्हें यह निश्चित आश्वासन देना चाहता हूं कि इस देश में किसी धर्म को मानने पर किसी प्रकार की रोक लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है । जैसा कि मैं पहले कह चुका हूं ईसाई धर्म हमें हिन्दू धर्म या अन्य धर्मों के समान ही प्यारा है । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि कुछ संस्थायें और व्यक्ति ऐसे हैं जो धर्म की ओड़ में दूसरे व्यक्तियों का बलपूर्वक धर्मपरिवर्तन करते हैं । यह एक बहुत ही खतरनाक प्रथा है तथा प्रत्येक धर्म के कानूनों के विरुद्ध है । हम धर्म परिवर्तन पर किसी प्रकार की रोक लगाना नहीं चाहते । प्रत्येक व्यक्तियों को मंदिर, मस्जिद, अथवा गिरजाघर जाने का अधिकार है और यदि कोई इस अधिकार में बाधा डालता है तो कानून को उसे रोकना चाहिये । किन्तु इस देश में कुछ ऐसी संस्थायें और व्यक्ति हैं जो गांवों में जा कर वहां के भोले भाले निवासियों को प्रलोभन देते हैं । इस तरह की बातें मैं ने अपने ज़िले में अपनी आंखों से देखी हैं । निस्सन्देह, जैसा कि हमारे प्रधान मंत्री ने कहा कि देश में ऐसी धर्म प्रचार संस्थायें हैं जो मानवतावादी दृष्टिकोण से कार्य कर रही हैं, मैं उनका पूर्ण समर्थन करता हूं और मेरे जिले में कार्यरत ऐसी संस्थाओं को मैं यथासम्भव सहयोग दूंगा । किन्तु पिछले आम चुनावों में, कुछ संस्थाओं और मित्रों ने मेरे विरुद्ध खुला प्रचार किया और यह सब उन्होंने ईसाई धर्म की ओट में किया । हम चाहते हैं कि जो सज्जन या संस्थायें इस तरह के कार्य में रत हों उन्हें उचित दण्ड दिया जाना चाहिये । अतएव इस विधेयक का सिद्धान्त बहुत ही सीमित ह ।

धर्म परिवर्तन, चाहे वह किसी धर्म से किसी भी अन्य धर्म में क्यों न हो, यदि वह धोखा देकर, व्यक्तियों को प्रलोभन अथवा सहायता देकर किया जाता है तो उसे रोक दिया जाना चाहिये । इस तरह का कार्य स्वयं ईसाई धर्म के विरुद्ध है । हम केवल भोले भाले व्यक्तियों को बलात् धर्म परिवर्तन से बचाना चाहते हैं । जो वास्तव में धर्म परिवर्तन के इच्छुक हों, उन्हें इस आशय की घोषणा करनी चाहिये जिससे कि बलात धर्म परिवतन को रोका

[श्री भागवत झा आजाद]

जा सके । यह विधेयक केवल यही बताना चाहता है कि इस तरह का छल कपट करना गलत है । यदि हम इस विधेयक को पारित करते हैं तो इससे ईसाई धर्म को सहायता मिलेगी । जो संस्थायें अथवा व्यक्ति छल कपट का आश्रय लेते हैं उन्हें दण्ड दिया जायेगा । हमारा विश्वास कीजिये कि किसी धर्म या उसके मतों के प्रचार स्वातन्त्र्य के अधिकार पर किसी प्रकार की रोक लगाना हमारा उद्देश्य नहीं है । हम केवल ऐसी संस्थाओं को समाप्त करना चाहते हैं जो धर्म की ओट में गलत कार्य करती हैं । संथाल परगने में किसी बालक को पाठशाला में आने के लिये कहा जाता है किन्तु उसे तब तक भर्ती नहीं किया जाता जब तक कि उसका पालक ईसाई धर्म स्वीकार करने का वचन न दे । क्या यह संविधान के साथ धोखा नहीं है ? इस देश में मानवता के हित में कार्य करने वाले ईसाई धर्म प्रचारकों का हम स्वागत करते हैं और भविष्य में भी करेंगे । किन्तु धर्म परिवर्तन के लिये किये जाने वाले छल कपट, बल प्रयोग और अन्य उपायों का, जिन्हें समाज विरोधी कहा जा सकता है, हम निश्चय ही विरोध करेंगे ।

प्रधान मंत्री तथा वैदेशिक कार्य मंत्री (श्री जवाहरलाल नेहरू) : हम एक ऐसे मामले पर विचार कर रहे हैं जिससे लोगों के मन में उत्तेजना होना अवश्यम्भावी है । इसमें कोई सन्देह नहीं हो सकता कि धर्म परिवर्तन और धार्मिक गतिविधियों के नाम पर बहुत सी अवांछनीय बातें की जाती हैं । यह बातें किसी एक धर्म के अनुयायियों तक ही सीमित नहीं हैं । प्रत्येक धर्म के कुछ मतावलम्बी कभी कभी शिष्टता की सीमा तक को लांघ जाते हैं । हमारे पास इसके अनेकों उदाहरण हैं । हाल ही में योजना आयोग द्वारा अनाथालयों और नारी निकेतनों की जांच करने के लिये एक समिति नियुक्त की गई थी । मैं आशा करता हूं कि समिति का प्रतिवेदन किसी न किसी समय इस सदन के समक्ष आयेगा, क्योंकि यह एक भयानक प्रतिवेदन है । इसके विपरीत मैं यह कहूंगा कि समिति के सदस्यों ने, विभिन्न ईसाई संस्थाओं द्वारा चलाये जाने वाले अनाथालयों और नारी निकेतनों में कोई खराबी नहीं पाई । अन्य व्यक्तियों द्वारा चलाये गये आश्रमों में काफी खराबियां पाई गईं । इसका अर्थ यह नहीं है कि दूसरे धर्म और दूसरी धार्मिक संस्थायें गलत बातें करती हैं । यह केवल यही ज्ञात होता है कि अवांछनीय व्यक्तियों ने पैसा बनाने के लिये उनका लाभ उठाया है और सभी प्रकार के छल प्रपंच किये हैं । इसलिये हमें, गलत व्यक्तियों द्वारा दुर्व्यवहार किये जाने और धर्म का शोषण करके लाभ उठाने के प्रश्न को अलग रखना चाहिये । यह तो स्पष्ट ही है परन्तु तो भी इन दोनों के मध्य कोई विभाजन रेखा खींचना कठिन है ।

मुझे भय है कि यह विधेयक, जिसे मेरे सहयोगी ने अत्यधिक अच्छे उद्देश्यों की पूर्ति के लिये प्रस्तुत किया है, वास्तव में बुरे उपायों के दमन में विशेष रूप से सहायक नहीं हो सकेगा किन्तु उससे लोगों की एक बड़ी संख्या को परेशानी ही होगी । हमें इस बात पर भी विचार करना है कि इन मामलों की आप कितनी ही सावधानी से व्याख्या क्यों न करें, आप वास्तव में उनके लिये अनुचित शब्दावली नहीं पा सकते । इस सदन के कुछ सदस्यों को सम्भवतः स्मरण होगा, कि ठीक इसी प्रश्न के विभिन्न पहलुओं पर संविधान सभा द्वारा विचार किया गया था और संविधान सभा की औपचारिक बैठक से पूर्व कई उप समितियों द्वारा भी इस पर विचार किया गया था । मेरा ख्याल है कि मूलभूत अधिकारों के लिये भी एक समिति थी ।

[**उपाध्यक्ष महोदय** पीठासीन हुए]

एक परामर्शदात्री समिति भी थी और एक अन्य समिति भी थी । कई संकल्पों

पर विचार किया गया था । मुझे स्मरण है कि सरदार पटेल ने स्वयं उस संकल्प को प्रस्तावित किया था । उसके उपरान्त मेरा ख्याल है कि कई संशोधन प्रस्तावित किये गये थे । मेरा ख्याल है कि श्री मुन्शी ने एक संशोधन प्रस्तुत किया था । अन्त में सरदार पटेल ने उठ कर कहा था कि इस बारे में किसी प्रकार की गर्मागर्मी नहीं होनी चाहिये,—क्योंकि कुछ गर्मागर्मी हो गई थी—यह स्पष्ट है कि तीनों समितियों ने इस मामले पर विचार किया है किन्तु वे किसी ऐसे निष्कर्ष पर नहीं पहुंच सकी हैं जो सामान्य रूप से स्वीकार्य हो । अतएव हमें इस मामले को पुनः उन समितियों को निर्देशित करना चाहिये जिससे कि कोई उचित सूत्र खोजा जा सके । इसके उपरान्त वे इस निष्कर्ष पर पहुंचे कि ऐसी किसी बात को न रखा जाना ही ठीक है क्योंकि वास्तव में वे कोई ऐसा उचित सूत्र न खोज सके जिसका कि बाद में दुरुपयोग न किया जा सके ।

फिर भी, जहां तक बड़ी बुराइयों, जैसे दबाव, धोखा आदि का सम्बन्ध है, उनके बारे में कानूनी कार्यवाही की जा सकती है । जिस प्रकार अन्य अपराधों के बारे में प्रमाण के अभाव में कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती है उसी तरह इसके सम्बन्ध में कार्यवाही करना सम्भवतः उतना ही कठिन हो । यह एक अलग बात है । कानून के अन्तर्गत आप कार्यवाही कर सकते हैं और आपको अवश्य कार्यवाही करनी चाहिये । आपको और उपाय, जनमत और कानूनी उपायों की खोज करनी है । किन्तु इस तरह का कोई विधान पारित करने से मुझे भय है कि जिन बुराइयों को हम दूर करना चाहते हैं उन्हें दूर करने के बजाय इससे अन्य बुराइयां और कठिनाइयां उत्पन्न होने की सम्भावना है । मैं चाहता हूं और इस सदन के अन्य सदस्य भी चाहते हैं कि पुलिस को सर्वत्र हस्तक्षेप करने के अत्यधिक अधिकार नहीं दिये जाने चाहियें । पुलिस के विरोध में कहने के लिये मेरे पास कुछ नहीं है । मेरे ख्याल से वह न केवल एक आवश्यक संस्था ही है अपितु वह अपना कार्य भी ठीक प्रकार से कर रही है । स्वाभाविक है कि एक बड़े बल में कुछ लोग ठीक प्रकार से कार्य नहीं करते हैं । किन्तु सर्वत्र जांच करने और वैयक्तिक हस्तक्षेप के लिये उन्हें शक्ति देने से काफी अशांति उत्पन्न होने की आशंका है । मैं व्यक्तिगत रूप से ऐसे विधान को तब तक पारित नहीं करूंगा जब तक कि उससे प्रभावित होने वाले सभी दल उसका पूर्ण समर्थन नहीं करते हैं । यदि यह विधान केवल ईसाई धर्म प्रचारकों पर ही लागू होने जा रहा है, तो मैं चाहूंगा कि इस सदन के ईसाई सदस्य ही उसके बारे में निर्णय करें । उन्हें निर्णय करने दीजिये । सिद्धान्ततः उसमें कोई अन्तर नहीं है । दबाव या धोखा इन बातों को कोई भी नहीं चाहता है । इन बातों को व्यवहार में लाये जाने से रोके जाने पर अन्य प्रकार के दबाव उत्पन्न हो सकते हैं यही मेरी कठिनाई है ।

मेरा ख्याल है कि माननीय सदस्यों ने दो महीने पहले बिहार के एक ग्राम में जो कुछ हुआ था उसके बारे में पढ़ा होगा । मुझे सन्देह है कि इस प्रकार का कोई उत्पात भारत में कहीं अन्यत्र हुआ हो—कम से कम अभी हाल ही में तो मेरी जानकारी में नहीं हुआ है । उसका धर्मपरिवर्तन से कोई सम्बन्ध नहीं है । किन्तु उससे यह स्पष्ट हो जाता है कि धार्मिक बातों के बारे म भावनाओं के उभाड़े जाने पर उनको किस प्रकार गलत और खतरनाक रूप दिया जा सकता है ।

श्री कामत (होशंगाबाद) : यह कब हुआ था ?

श्री जवाहरलाल नेहरू: लगभग दो या तीन माह पूर्व । मुझे खेद है कि मैं उस ग्राम का नाम भूल गया हूं ।

श्री ए० एम० थामस : बिहार के गया ज़िले में वर्धमान नगर ।

श्री जवाहरलाल नेहरू: एक छोटे से गिरजाघर में प्रार्थना हो रही थी । वे कोई धार्मिक समारोह कर रहे थे जो कि गिरजाघर में बैठे व्यक्तियों के लिये अत्यन्त पवित्र धर्मकार्य होता है । उसी समय बाहर से एक जनसमूह अन्दर आया और पादरी और प्रार्थना में सम्मिलित व्यक्तियों को मारा पीटा गया उनको बलात् बाहर निकाल दिया गया और गिरजाघर को साधारणत: भ्रष्ट किया गया । इस घटना को मैं अत्यन्त अशोभनीय कहूंगा और यह घटना हमारे संविधान की भावना और देश के आदर्श के एकदम खिलाफ है । मैं ने जब इसके बारे में पढ़ा तब मुझे गहरा धक्का लगा। मैं बड़ी कठिनाई से उस पर विश्वास कर सका । मेरा ख्याल था कि घटना का विवरण अतिरंजित था । फिर भी जब हमने इस सम्बन्ध में जांच की तो हमें ज्ञात हुआ कि घटना का समाचार सही था ।

इस तरह की भावनायें किस तरह उभारी जाती हैं, यही मैं बता रहा हूं । यहां हमारे ईसाई साथियों या अन्यत्र रहने वाले साथियों द्वारा इस प्रकार की घटना के विरुद्ध संरक्षण दिये जाने का आग्रह करना एक सरल सी बात है । हमें उन्हें संरक्षण देना चाहिये । किन्तु सच्चा संरक्षण तो सहिष्णुता का वातावरण बनाना जीवत रहना जीवित रहने देना, अन्य व्यक्तियों की धार्मिक भावनाओं का आदर करना और बुरे प्रभाव से बचना आदि बातें हैं ।

इसलिये मेरा निवेदन है कि यद्यपि यह विधेयक सर्वोत्तम उद्देश्यों से लाया गया है और संथाल क्षेत्र के माननीय सदस्य द्वारा वर्णित बुराइयां मौजूद हैं, यह मैं मानता हूं, तथापि इन बुराइयों का सामना हमें एक भिन्न स्तर पर और अन्य तरीकों से करना चाहिये, न कि इस तरीके से जिससे कि दबाव के अन्य साधन उत्पन्न हो जायें, और सबसे अधिक महत्वपूर्ण बात यह है कि भारत में रहने वाले ईसाइयों के मन में ऐसी भावना न आये उन्हें दबाया जा रहा है । भारत में ईसाई मतानुयायियों की संख्या काफी है और जैसा कि अन्तिम माननीय सदस्य ने कहा, ईसाई धर्म भारत का एक महत्वपूर्ण धर्म है और उसे यहां स्थापित हुये लगभग दो हजार वर्ष हुये हैं ।

अतएव मेरा निवेदन है कि इस विधेयक पर अग्रेतर कार्यवाही करना वांछनीय नहीं है । हमें इस मामले पर अन्य तरीकों से विचार करना चाहिये न कि इस तरीके से । मैं आशा करता हूं कि माननीय प्रस्तावक इस बात पर विचार करेंगे और इस विधेयक पर आग्रह नहीं करेंगे ।

श्री नंदलाल शर्मा : माननीय प्रधान मंत्री धर्म परिवर्तन से बचाव के उपायों का सुझाव देने की कृपा करें ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : पहला उपाय है स्वयं आक्रमण न करना ।

श्री नंदलाल शर्मा : हम पर स्वयं प्रधान मंत्री द्वारा आक्रमण किया गया है ।

श्री जवाहरलाल नेहरू : मैं माननीय सदस्य या किसी अन्य व्यक्ति पर आक्रमण नहीं कर रहा हूं । मैं केवल यही कहना चाहता हूं कि इस तरह की स्थिति का सामना करने के लिये आक्रामक रुख उचित उपाय नहीं है । इसके लिये सुदृढ़, सहिष्णु और सौहार्दपूर्ण रुख आवश्यक है । अंतर्राष्ट्रीय, राष्ट्रीय और यहां तक कि घरेलू क्षेत्र में भी एक आक्रमण दूसरे आक्रमण को प्रेरित करता है ।

श्री नंदलाल शर्मा : मैं केवल धोखेबाजों से संरक्षण की मांग करता हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रस्तावक द्वारा उत्तर दिये जाने के बाद माननीय मंत्री बोल सकते हैं किन्तु यदि वे इससे पूर्व भी उत्तर देना चाहते हैं तो वे बोल सकते हैं ।

गृह-कार्य उपमंत्री (श्री दातार) : मुझे कुछ नहीं कहना है । प्रधान मंत्री ने स्थिति को पूर्ण रूप से स्पष्ट कर दिया है ।

उपाध्यक्ष महोदय : चर्चा ३–४२ म० प० पर समाप्त होनी चाहिये ।

श्री जेठालाल जोशी (मध्य सौराष्ट्र) : प्रधान मंत्री के बोलने के बाद मुझे और कुछ कहने की आवश्कता प्रतीत नहीं होती, किन्तु मैं कुछ बातों का स्पष्टीकरण करूंगा ।

कुछ ईसाई मित्रों द्वारा यह कहा गया है कि इस विधेयक के पारित हो जाने से उन को अरक्षा की आशंका है । किन्तु मैं ने पहले भी कहा था कि यह विधेयक केवल किसी एक धर्म विशेष पर लागू न होकर सभी धर्मों पर लागू होगा । अतः मैं समझता हूं कि ईसाई धर्मावलम्बी मित्रों को यह भ्रान्ति हो गई है कि यह केवल ईसाइयों पर ही लागू होता है ।

कुछ मित्र इसे संविधान की भावना के विरुद्ध और कुछ इसे मूलभूत अधिकारों के विरुद्ध बताते हैं । किन्तु संविधान पर श्री बसु की टीका में यह कहा गया है कि यद्यपि धार्मिक विश्वास और भावना की पूर्ण स्वतंत्रता दी गई है किन्तु विधान सभा ऐसी धार्मिक प्रथाओं को रोक सकती है जो सार्वजनिक नैतिकता, सुरक्षा, स्वास्थ्य तथा शान्ति के लिये भयानक हो । उक्त पुस्तक के पृष्ठ १९२ पर भी यही बात दुहराई गई है कि धार्मिक विश्वास की जहां स्वतंत्रता दी गई है वहां आवश्यकता पड़ने पर कुछ धार्मिक प्रथाओं को जिन से सामाजिक शान्ति या नैतिकता के भंग होने का भय हो, रोका जा सकता है ।

विधेयक में धार्मिक भावना पर विश्वास रखने के बारे में कुछ न कह कर केवल इसके प्रचार के लिये प्रयुक्त किये जाने वाले कुछ आपत्ति जनक उपायों को हटाने का विचार किया गया है । धर्म परिवर्तन के लिये प्रयुक्त की जाने वाली धोखेधड़ी तथा दबाव की निन्दा की गई है । सिद्धान्त की दृष्टि से हम सहमत हो सकते हैं किन्तु किसी शब्द की परिभाषा भिन्न भिन्न धर्मों के अनुसार भिन्न हो सकती है । इसलिये जब यह विधेयक सभी धर्मों पर लागू होगा तो ईसाई धर्मावलंबियों को इस से किसी भी प्रकार से डरने का कोई कारण नहीं है ।

कुछ मित्रों ने कहा है कि इसके पारित हो जाने की अवस्था में ईसाई लोग इसे सहन नहीं करेंगे । किन्तु भारत में सहन न करने की बात ठीक नहीं है जब कि भारत ने स्वयं हानि उठा कर भी अन्य धर्मों के प्रति सहिष्णुता और उदारता दिखाई है । मुझे स्मरण आ गया कि श्री राममोहन राय के ईसाई अध्यापक श्री एडम को ब्रह्मो समाज अच्छा लगा तो उन्होंने ब्रह्मो समाज को अपना लिया । किन्तु समस्त ईसाई जगत ने असहिष्णुता के कारण उन को "पतित आदम" घोषित कर दिया । इस विधेयक में किसी व्यक्ति पर किसी धर्म पर विश्वास और आस्था रखने तथा अपना धर्म परिवर्तन करने के लिये कोई रुकावट नहीं रखी गई है ।

किन्तु अज्ञानता और निर्धनता का लाभ उठा कर धोखे से धर्म परिवर्तन किये जाने की अवस्था में राज्य को अवश्यमेव हस्तक्षेप करना पड़ता है । स्त्रियों और छोटे बच्चों को बुरी तरह परेशान कर के उन का धर्म परिवर्तन किया जाता है । क्या किसी धर्म में ऐसा करना अनुमत है ? कोई भी धर्म इसकी अनुमति नहीं देता है, परन्तु फिर भी हम प्रति दिन इन उपायों के प्रयोग किये जाने की बात सुनते हैं ।

पिछली बार मैं ने जो आंकड़े दिये थे, उनका कोई भी ईसाई मित्र विरोध नहीं कर सकता । इसलिये मैं निवेदन करता हूं कि

[श्री जेठालाल जोशी]

यह विधेयक ईसाइयों के लिये हानिकारक न होकर उनके लिये लाभदायक ही है।

किन्तु अब जब कि अन्य सदस्यों और माननीय प्रधान मंत्री ने मुझे आश्वासन दिया है और कई सुझाव दिये हैं तो मैं आशा करता हूं कि सरकार देश में प्रचलित इन सब बुराइयों को रोकने का भरसक प्रयत्न करेगी, अतः मैं इस विधेयक को वापिस लेने की अनुमति चाहता हूं।

उपाध्यक्ष महोदय : क्या सभा माननीय सदस्य को विधेयक को वापस लेने की अनुमति देती है ? यदि एक भी सदस्य इस के विरुद्ध है तो मुझे इस प्रस्ताव को सभा के समक्ष मतदान के लिये प्रस्तुत करना होगा।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा विधेयक सम्बन्धी विचार प्रस्ताव मतदान के लिये प्रस्तुत किया गया तथा अस्वीकृत हुआ।

उपाध्यक्ष महोदय : विचार प्रस्ताव के अस्वीकृत हो जाने की अवस्था में विधेयक भी अस्वीकृत हुआ।

कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक

(नवीन खण्ड ३ का रखा जाना)

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती (बसिर हाट) : मैं प्रस्ताव करती हूं :

"कि कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ में और आगे संशोधन करने वाले विधेयक पर विचार किया जाये।"

उपाध्यक्ष महोदय : इसके लिये ढाई घंटे का समय निर्धारित किया गया है।

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती : १९२३ में कर्मकार प्रतिकर अधिनियम बनाया गया था। उसके बाद इस में छोटे छोटे संशोधन किये गये किन्तु कोई बड़ा संशोधन नहीं किया गया। अब समय है कि नवीन विचारधारा को इस में स्थान दिया जाये और "प्रत्येक अवस्था में बिना काम मजूरी नहीं" के पुराने सिद्धान्त में परिवर्तन किया जाये। काम करते हुए घायल हो जाने वाले व्यक्ति को प्रतिकर मिलने तक उसका वेतन मिलता रहना चाहिये इस प्रकार का उपबंन्ध इस अधिनियम में जोड़ने की आवश्यकता है।

सरकार ने इस संशोधन की आवश्यकता को अनुभव करते हुए कार्मिक संघों और मालिक संधानों को कुछ सुझाव भेजे हैं। मेरा यह निवेदन है कि सरकार इस अधिनियम में संशोधन करने की आवश्यकता का अनुभव करते हुए मेरे संशोधन को स्वीकार कर ले और फिर बाद में अधिक व्यापक संशोधन किये जा सकते हैं।

यह अधिनियम काम करते हुए घायल होने वाले कर्मकार को उसकी कमाने की क्षमता के नाश के आधार पर प्रतिकर देने का उपबन्ध करता है। किन्तु इस अधिनियम के खण्डों से यह अर्थ नहीं निकलता। एक नवीन अनुसूची के अनुसार कमाने की क्षमता के नाश का हिसाब लगाया गया है। दाहिने हाथ की कुहनी पर से बाजू के नष्ट हो जाने को कमाने की क्षमता में ७० प्रतिशत की हानि मानी गई है, जब कि वास्तव में उस व्यक्ति की कमाने की सारी क्षमता नष्ट हो जाती है इस प्रकार जब तक दो अंग नष्ट नहीं होते तब तक यह माना जाता है कि उसकी पूरी क्षमता नष्ट नहीं हुई है। बाजू और टांग नष्ट हो जाने पर ही उस व्यक्ति को स्थायी रूप से काम के लिये बेकार हुआ समझा जाता है। इस अनुसूची के अनुसार पूर्ण तथा आंशिक रूप से अक्षम सिद्ध किये जाने पर तदर्थ आधार पर प्रतिकर दिया जाता है। यह प्रतिकर बहुत ही कम होता है

और इसके लिये भी अनेक न्यायालयों तथा उच्च न्यायालय तक अभियोग चलता है और तब कहीं जाकर प्रतिकर मिलता है। परिणाम यह होता है कि वह व्यक्ति ऋण में इतना ग्रस्त हो चुका होता है कि यह समस्त राशि ऋण चुकाने में ही पूरी हो जाती है। इसलिये मैं निवेदन करती हूं कि हमें "प्रत्येक अवस्था में बिना काम मजूरी नहीं" की इस पुरानी धारणा को बदलना होगा। जो मजदूर अपनी अच्छी अवस्था में काम करके मालिक के लाभ और आप को बढ़ाता है, उसे पूर्ण अधिकार है कि यदि वह काम करते हुए दुर्घटना का शिकार हो जाता है और परिवार समेत उसके भूखों मरने तक की नौबत आ जाये तो उसे प्रतिकर मिलने तक मजूरी दी जानी चाहिये। इस संशोधन का यही मुख्य उद्देश्य है जिसे मैं समझती हूं कि समाजवादी ढंग का समाज बनाने और मजदूरों की भलाई करने का दावा करने वाली सरकार को स्वीकार करने में कोई आपत्ति नहीं होनी चाहिये।

इस अधिनियम में यह भी उपबन्ध है कि कोई घायल व्यक्ति १ सप्ताह से कम समय के लिये काम करने योग्य नहीं रहता है तो उसे कोई प्रतिकर नहीं मिल सकता है। मेरे संशोधन का यह अभिप्राय है कि काम करते हुए कर्मकार यदि दुर्घटना का शिकार हो जाय तो उसी समय से प्रतिकर मिलने तक उसे मजूरी मिलनी चाहिये और उसके इलाज का खर्च मालिक द्वारा किया जाना चाहिये। हमारे मजदूरों की मजूरी इतनी कम है कि वे बड़ी कठिनाई से दो जून पेट भर कर खाते हैं। फिर घायल होने की दशा में उसके पास अपना और अपने परिवार का पेट पालने और इलाज कराने के लिये धन कहां हो सकता है? इसलिये इलाज और मजूरी मांगने का उनका उचित और न्याय अधिकार हो जाता है इसलिय मैं आशा करती हूं कि सरकार इस सरल किन्तु लाभदायक संशोधन को स्वीकार कर लेगी।

इस संशोधन को प्रस्तुत करने का यह कारण भी है कि मालिक लोग घायल हो जाने की बात के विषय में नहीं अपितु इस बात पर अपील करते जाते हैं कि चोट काम करते समय लगी है या नहीं। वे इस प्रकार वर्षों तक अभियोग लड़ते रहते हैं और मुकदमा लंबा होता जाता है। परिणाम यह होता है कि मामले का निर्णय होने तक मजदूर या तो भगवान को प्यारा हो चुका होता है या ऋण में इतना दब जाता है कि वह सारी रकम ऋण चुकाने में ही पूरी हो जाती है। निस्सन्देह मालिक को न्यायालय में अपील करने का अधिकार है, किन्तु घायल मजदूर को भी इलाज कराये जाने और दो समय भोजन मिलने की प्रत्याभूति प्राप्त करने का अधिकार है। इस संशोधन को स्वीकार कर लेने से मुकदमे के अधिक दिनों तक चलते रहने की अवस्था में बेचारा मजदूर अपना निर्वाह करने तथा इलाज कराने में समर्थ हो सकेगा, अतः इस को स्वीकार कर लिया जाना चाहिये।

इस के विरोध में कहा जा सकता है कि कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत इन सब सुविधाओं की व्यवस्था की गई है। किन्तु मेरा निवेदन यह है कि वह योजना अभी तक कुछ एक राज्यों के अतिरिक्त सभी राज्यों द्वारा स्वीकार भी नहीं की गई है।

दूसरे, इस कर्मचारी राज्य बीमा अधिनियम का क्षेत्र बहुत सीमित है और इसके अन्दर केवल कुछ उद्योगों को ही लिया गया है। बहुत से उद्योग इसकी परिधि से बाहर हैं, जो कर्मकर प्रतिकर अधिनियम के अन्तर्गत आते हैं।

कर्मचारी राज्य बीमा योजना के अन्तर्गत छोटी मोटी बीमारी का इलाज कराना तो ठीक है, किन्तु उसके अन्तर्गत परिवार का इलाज नहीं होता है। अतः इस कमी की भी पूर्ति की जानी चाहिये। किन्तु काम करते

[श्रीमती रेणु चक्रवर्ती]

हुए अक्षम होने की अवस्था में सारा भार उस मालिक पर पड़ना चाहिये, जिसको वह लाभ कमा कर देता है । मालिक को इतना लाभ पहुंचाने के बाद उसे काम के योग्य न रहने पर भूखों मरना पड़े, यह न्याय नहीं है । अतः इस संशोधन को अवश्य स्वीकार कर लिया जाये ।

नवम्बर १९५४ में हुए श्रम मंत्री सम्मेलन में कर्मकर प्रतिकर अधिनियम में मजदूरों के पक्ष में एक संशोधन करने का विचार किया गया था । यदि तदनुसार संशोधन किये गये हैं तो बहुत अच्छी बात है । उस में वेतन के आधार पर प्रतिकर का भुगतान करने का उपबंध था । मेरा निवेदन है कि नाकारा होने के समय से प्रतिकर मिलने तक उसे पूरी मजूरी ही मिलनी चाहिये, ताकि घायल मजदूर अपना निर्वाह कर सके ।

थोड़े समय के लिये अयोग्य होने पर अयोग्यता अवधि में उसे ५० प्रतिशत मजूरी दिये जाने की जो सिफारिश की गई थी, वह ठीक नहीं है । काम पर वापस आने तक उसे कुल मजूरी दी जानी चाहिये । प्रतिकर की बात ही दूसरी है । मुझे आशा है कि प्रस्तावित संशोधन में की गई सिफारिशों में से हमें कुछ सिफारिशों को स्वीकार कर लेना चाहिये ।

प्रस्तावित संशोधन में एक कमी है कि पूर्ण रूप से अक्षम हो जाने की अवस्था में प्रतिकर की राशि के सावधिक भुगतान की अपेक्षा समूची रक़म एक ही समय दे दी जानी चाहिये ताकि वह व्यक्ति उसके द्वारा अपना निर्वाह चलाने के लिये कोई दुकान आदि खोल सके या मकान बना सके । समूची रक़म के दिये जाने पर कोई प्रतिबंध नहीं होना चाहिये ।

सरकार के इन सुझावों के अतिरिक्त मेरा यह सुझाव है कि काम करने के लिये अयोग्य हो जाने की तिथि से प्रतिकर मिलने की तिथि तक उसे पूरी मजूरी मिलनी चाहिये और इलाज का समस्त भार मालिक पर होना चाहिये राज्य बीमा पर नहीं ।

तीसरी बात यह है कि दो या अधिक दिन की जो प्रतीक्षा अवधि रखी गई है, वह निराधार है । मजदूर जो अपनी दैनिक मजूरी पर निर्वाह करते हैं, दो दिन तक मजूरी के बिना कैसे रह सकते हैं । इसलिये काम के लिये अयोग्य होने की तिथि से लेकर प्रतिकर मिलने की तिथि तक का सारा समय जोड़ा जाना चाहिये और उसे मजूरी दी जानी चाहिये । इन शब्दों के साथ मैं इस संशोधक विधेयक को सभा की स्वीकृति के लिये प्रस्तुत करती हूं ।

उपाध्यक्ष महोदय द्वारा प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया ।

श्री टी० बी० विठ्ठल राव : मुझे विश्वास है कि माननीय मंत्री इस संशोधन को स्वीकार कर लेंगे । १९२९ में अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था द्वारा......

उपाध्यक्ष महोदय : क्या कोई संशोधन रखे गये हैं ? कार्यसूची में तो किसी संशोधन का उल्लेख नहीं है ।

श्री वी० पी० नायर (चिरयिन्कील) : यह विधेयक ही संशोधक विधेयक है ।

उपाध्यक्ष महोदय : मैं इसलिए पूछ रहा हूं कि विधेयक पर सामान्य चर्चा के लिए समय नियत किया जाय ।

श्री वी० पी० नायर : सारा समय सामान्य चर्चा के लिए ही दे दिया जाय ।

उपाध्यक्ष महोदय : विधेयक के लिए ढाई घण्टे का समय नियत किया गया है । दो घण्टे में सामान्य चर्चा समाप्त हो जायेगी और बाकी आधा घण्टा खण्डवार विचार और तीसरे वाचन के लिए रहेगा ।

श्री टी० बी० विट्ठल राव : उद्योगों में दुर्घटनाओं से घायल मज़दूरों को प्रतिकर देने के अभिसमय के स्वीकार किये जाने के बाद से, कई देशों, विशेषतः अन्तर्राष्ट्रीय श्रम संस्था के देशों, में इसे गम्भीरतापूर्वक लागू किया गया है। यदि यह मान लिया जाय कि मज़दूर के घायल होने पर उसे प्रतिकर देना होगा तो मालिक दुर्घटनाओं को रोकने की चेष्ठा करता है।

कारखानों और खानों में पहले से अधिक दुर्घटनाएं हो रही हैं। १९४९ में ३०.९६ प्रति सहस्र मज़दूर घायल हुए जब कि १९३९ में केवल २०.४३ ही घायल हुए थे। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि घायल होने के बाद घावों के कारण अनुपस्थिति का प्रतिकर दिया जाय। हमें बताया गया है कि सरकार १९४९ से इस अधिनियम में संशोधन करने की बात सोच रही है। यह संशोधन करने का निर्णय नवम्बर, १९५४ में किया गया था, परन्तु उस के बाद सरकार ने क्या किया यह हमें मालूम नहीं। इस विधेयक के पुरः-स्थापन के बाद सरकार ने अपने द्वारा प्रस्तावित संशोधनों के बारे में कई केन्द्रीय संस्थाओं की राय मांगी है। यह विधेयक सभा में न रखा जाता तो सरकार कोई कार्यवाही न करती। आप जानते हैं कि उद्योगों में काम करने वालों को कितनी कम मज़दूरी मिलती है। कई हज़ार मज़दूरों पर तो यह अधिनियम लागू ही नहीं होता। यह विधेयक भी बड़े कम मज़दूरों पर लागू होगा। जिन मज़दूरों पर कर्मचारी राज्य-बीमा अधिनियम लागू होता है उन पर यह विधेयक लागू नहीं होगा। लगभग ८ लाख खान मज़दूर इस के अन्तर्गत आते हैं। और ८ या १० लाख मजदूरों पर मजदूर प्रतिकर अधिनियम लागू होता है। इस प्रकार इस अधिनियम का प्रभाव लगभग १८ लाख मजदूरों पर पड़ेगा।

इस विधेयक के दो उद्देश्य हैं। एक तो यह कि चाहे घाव के कारण मज़दूर को ७ दिन से कम ही क्यों न अनुपस्थित रहना पड़े, उसे प्रतिकर अवश्य मिलना चाहिए। दूसरा यह है कि प्रतिकर की राशि में से अस्पताल का खर्च काट लिया जाता है। मेरा कहना यह है कि अस्पताल का खर्च प्रतिकर में से न काटा जाय बल्कि कारखाने के मालिक से लिया जाय। इस से यह होगा कि मालिक दुर्घटनाओं को रोकने के लिए अधिक अच्छा प्रबन्ध करेगा। कुछ कारखाने वाले तो यह काम अपने जिम्मे लेते हैं और कुछ बीमा करवाते हैं। इसलिए सरकार का काम बड़ा आसान है। श्रम मंत्री सम्मेलन म निर्णय किया गया था और मज़दूरों की चार केन्द्रीय संस्थाओं ने भी यही राय प्रकट की है कि इस अधिनियम का संशोधन किया जाना चाहिए।

१९२३ म जब यह अधिनियम पास किया गया था तो दस दिन की सीमा रखी गयी थी जो बाद में संशोधन द्वारा सात दिन कर दी गयी। इस विधेयक का उद्देश्य यह है कि यह सीमा हटा दी जाय और मज़दूर जितने दिन भी घाव के कारण अनुपस्थित रहे, उतने दिनों का प्रतिकर उसे दिया जाय। ऐसी बात नहीं है कि मजदूर जान बूझ कर घायल होते हैं। आजकल उत्पादन बढ़ाने के लिए जो नई मशीन लगायी जा रही हैं उन के कारण दुर्घटनाएं पहले से अधिक हो रही हैं। योजना आयोग ने एक ज्ञापन श्रम तालिका के सदस्यों को भेजा था जिस में कहा गया है कि यद्यपि प्रति मज़दूर उत्पादन १९५५ में १९३९ की तुलना में ३८ प्रतिशत बढ़ गया है, फिर भी उन की वास्तविक मजूरी उतनी ही है जितनी कि १९३९ में थी।

एक बात और यह है कि मज़दूरों के पास जमा पूंजी कुछ नहीं होती। कर्मचारी भविष्य निधि अधिनियम १९५२ में लागू हुआ था और माननीय मंत्री ने एक प्रश्न के उत्तर में बताया है कि इस अधिनियम का लाभ केवल १५ लाख मज़दूर उठा रहे हैं। १४ लाख मज़दूरों पर यह लागू ही नहीं होता।

[श्री टी० बी० विट्ठल राव]

के लगभग २० हजार मज़दूर पिछले कुछ वर्षों में बेकार हुए हैं और उन्हें औसत से १०० रुपया प्रति व्यक्ति भविष्य निधि मिली है। इसलिए यदि कोई व्यक्ति दुर्घटना का शिकार होकर काम करने के योग्य नहीं रहता तो उस के पास जमा पूंजी कुछ नहीं होती। ऐसे मज़दूरों को सहायता देने की कोई भी योजना सरकार के पास नहीं है। कुछ वर्ष पहले किसी मजदूर का हाथ या पैर कट जाता था तो उसे चौकीदार का या कोई ऐसा अन्य कार्य मिल जाता था। अब ऐसे मज़दूर को कोई नौकर नहीं रखता, बल्कि उसे प्रतिकर देकर भगा दिया जाता है। तो ये कठिनाइयां हैं जो भारत के मज़दूरों को पेश आती हैं।

मुझे आशा है कि अब जब कि सरकारी दल ने देश के समाजवादी ढांचे को अपना लक्ष्य बनाया है, माननीय मंत्री इस विधेयक को स्वीकार करेंगे।

इन शब्दों के साथ मैं सभा से अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर ले।

श्री एन० श्रीकान्तन नायर (क्विलोन व भावोलक्करा) : हमें इस सीधे-साधे विधेयक पर मानवोचित दृष्टिकोण से विचार करना चाहिए। परन्तु इस के साथ ही मानव अधिकारों का पहलू भी है। कारखानों के जितने भी मालिक हैं, वे अपने मज़दूरों को यह रियायत देते ही हैं। और इस रियायत में है भी क्या? कोई मज़दूर किसी दुर्घटना में घायल होता है तो कोई भी मालिक जो अपने को मानव कहता है उसे अस्पताल भेज कर उस का इलाज करवाएगा। परन्तु जो मालिक ऐसा नहीं करते हैं, सरकार उन का समर्थन करती है। वे पहले सात दिनों का प्रतिकर नहीं देते हैं। और वे ही सात दिन होते हैं जबकि मज़दूर को सहायता की आवश्यकता होती है

मज़दूरों को यह अधिकार कुछ आशंकाओं और भ्रमों के कारण नहीं दिया जाता। जब पहले पहल यह विधि पारित की गयी थी तो यह डर था कि मज़दूर दुर्घटनाएं कर लेंगे और प्रतिकर लेने की चेष्ठा करेंगे। इसीलिए धारा ३(१)(क) रखी गयी थी। इस से यह प्रमाणित हो गया है कि मालिक इस का प्रयोग मज़दूरों के हितों के विरुद्ध करते हैं।

हमें इस विधेयक की चार बातों पर ध्यान देना चाहिए। पहली यह कि दुर्घटना के ७ दिन बाद से प्रतिकर देना शुरू किया जाता है जो दुर्घटना के फौरन बाद ही मिलना आरम्भ होना चाहिए। दूसरी यह है कि जितने दिन मज़दूर घाव के कारण निकम्मा रहे उतने दिन की पूरी मज़ूरी उसे दी जाय। आजकल ऐसे मज़दूरों को आधी मज़ूरी दी जाती है जो अनुचित है। तीसरी बात यह है कि छोटे मोटे घावों के लिए मज़ूरी और प्रतिकर में कोई अन्तर होना चाहिए। होता यह है कि प्रतिकर मिलने तक मज़दूरों के पास जो कुछ होता है, समाप्त हो चुकता है। इसलिए प्रतिकर मिलने तक उसे मज़ूरी मिलती रहनी चाहिए। और चौथी बात यह है कि इलाज का खर्च दिलवाया जाय।

कोई भी समझदार मालिक इन चार बातों पर आपत्ति नहीं करेगा। भारत में अच्छे सार्थ ये खर्चे आदि देते रहे हैं यद्यपि कानून उन्हें इस के लिए बाध्य नहीं करता। मुझे आशा है कि सरकार, जो देश का समाजवादी ढांचा बनाना चाहती है, इस सारे विधेयक को स्वीकार कर लेगी।

श्री आर० आर० शास्त्री (जिला कानपुर, मध्य) : जो संशोधक विधेयक सदन के सामने पेश किया गया है मैं उसका समर्थन करने के लिये खड़ा हुआ हूं।

अभी मेरे पूर्व वक्ताओं ने यह विश्वास प्रकट किया है कि चूंकि यह विधेयक इतना आवश्यक है और इतना साधारण है कि माननीय मंत्री जी इसको स्वीकार करने में किसी प्रकार से इन्कार नहीं कर सकते । मैं भी चाहता तो यही हूं कि यह विधेयक स्वीकार कर लिया जाये, लेकिन मुझे इस बात में बड़ी आशंका है, और वह इसलिये कि आम तौर से यहां पर एसा होता नहीं है कि कोई भी चीज जो इधर से पेश की गयी हो वह उधर से स्वीकार कर ली जाये ।

शायद सरकार की तरफ से ही कोई ऐसी चीज आवे तो वह चाहे स्वीकार कर ली जाये । तो अगर आज यह विधेयक सरकार की तरफ से स्वीकार कर लिया जाता है तो मेरे लिये तो यह एक बहुत बड़ा मिरेकिल (आश्चर्य) ही होगा । लेकिन फिर भी हम यह चाहते हैं कि जो मुनासिब बात इधर से आवे उसे तो माननीय मंत्री जी स्वीकार कर लें । यह मुनासिब बात नहीं होगी कि किसी मुनासिब चीज को भी वे इसलिये अस्वीकार कर दें कि वह इस तरफ से पेश की गयी है । मैं उम्मीद करता हूं कि जो विधेयक पेश किया गया है उसे वह स्वीकार करने की कृपा करेंगे ।

जैसा कि अभी कहा गया है, चोट लगने पर मजदूरों को मुआवजा देने का कानून सन् १९२३ में इस देश में बना था तबसे लेकर आज तक जमाना बहुत कुछ बदल चुका है । जब वह कानून बना था तब वह जमाना था जब कि कारखानों के मालिक मजदूर को मजदूर न समझ कर एक मशीन का पुर्जा समझते थे । और उसके साथ सलूक भी वैसा ही होता था । मुझे वे दिन याद हैं जब कि इस कानून के होते हुए भी अगर कोई मजदूर कारखाने में मर जाता था और उसकी संतान की तरफ से इस बात का सवाल उठाया जाता था कि मजदूर को कानून के मुताबिक मुआवजा मिलना चाहिये, तो, विश्वास मानिये, मालिकों की तरफ से हमेशा इस बात की कोशिश होती थी कि जहां तक बस चल सके मुआवजा न दिया जाये मैं ने वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट (कर्मकार प्रतिकर अधिनियम) के मातहत मजदूरों के बहुत से मुकदमे लड़े हैं, और दो चार मुकदमों में तो मुझे यहां तक तजुर्बा हुआ कि एक मजदूर के मरन पर उसके नाबालिग बच्चे की तरफ से जब हम लोग मुकदमा लड़ने गये तो मालिक ने यहां तक कहा चाहे कि हमारी फैक्टरी की एक एक ईंट क्यों न बिक जाये, लेकिन हम किसी भी हालत में इस मुआवजे को देने के लिये तैयार नहीं हैं । और एक दो बरस नहीं, लगातार पांच छः साल तक मुदकमा लड़ा गया और जबतक हाई कोर्ट से मजदूर नहीं जीत गया तब तक मालिक ने उसका एक पैसा देने की कोशिश नहीं की । मेरे कहने का मतलब यह है कि कानून होते हुए भी यह उम्मीद नहीं करनी चाहिये कि कोई मालिक खुशी से माआवजा दे देगा । केवल इसी देश में ऐसा नहीं होता है, हमने और देशों में भी यही देखा है । और यही सारे ट्रेड यूनियन (कार्मिक संघ) आन्दोलन का आधार रहा है कि मजदूर अपने संगठन के बल पर जो कुछ ले पाता है वही मिलता है । कोई मालिक खुशी से देने को तैयार नहीं होता । तो मैं यह कह रहा था कि सन् १९२३ से आजतक बहुत कुछ जमाना बदल चुका है । आज हमने समाजवादी व्यवस्था को अपने यहां लाने का ध्येय स्वीकार कर लिया है, और हमने इस बात को भी स्वीकार कर लियाहै कि हमें उन्नति करनी है, एक के बाद दूसरी पंच वर्षीय योजनायें बनानी हैं, देश का उत्पादन बढ़ाना है और इस तरह हमें अपने राष्ट्रीय आय बढ़ानी है । इस बात को भी आजकल हर व्यक्ति मानता है कि अगर हमको देश में व्यवसाय को बढ़ाना है, अगर हमको देश का उत्पादन बढ़ाना है और देश की उन्नति करनी है, तो इसमें सबसे महत्वपूर्ण स्थान मजदूरों

(श्री आर० आर० शास्त्री)

का होना चाहिये ! बिना मजदूर की मेहनत के अगर हम चाहें कि हम देश का उत्पादन बढ़ा लें तो यह असम्भव है । वह जमाना बदल गया है जब हम मजदूर को केवल एक पुर्जा समझते थे । अब वह जमाना आया है कि जब कि मजदूर को समाज में सर्वोच्च स्थान दिया जाना चाहिये । तो हम यह चाहते हैं कि इसी भावना से प्रेरित हो कर मंत्री जी इस वक्त जो विधेयक सदन के सामने पेश है उस पर विचार करें ।

जैसा कि अभी वर्कमेन्स कम्पेन्सेशन ऐक्ट (कर्मकार प्रतिकर अधिनियम) से उदाहरण दे कर श्रीमती रेणु चक्रवर्ती ने बताया, यह सही है कि मुआवजा दिया जाता है, यह सही है कि कानून ने यह स्वीकार कर लिया गया है कि अगर मजदूर का हाथ पैर कट जाये तो उसे मुआवजा दिया जाये । लेकिन आप उन दफाओं को देखें कि उनमें मुआवजे की रकम क्या लिखी हुई है, कि हाथ कट आने पर इतना फी सैकड़ा दिया जाये और पैर कट जाने पर इतना फी सैकड़ा दिया जाये : इस रकम को देख कर आप अन्दाजा लगा सकते हैं कि मजदूर की क्या हैसियत समझी गयी थी । उदाहरण के लिये अगर एक मजदूर का दाहिना हाथ कट जाता है तो यह मान लिया जाता है कि सिर्फ इतने ही परसेंट का नुकसान हुआ है । यह बात तो बिल्कुल अमानुषिक मालूम होती है । मानी हुई बात है कि मजदूर काम करेगा अपने हाथ से । अगर उसका हाथ ही कट गया, तो जहां तक उसकी अर्निग कैपेसिटी (उपार्जन शक्ति) का ताल्लुक है वह तो सम्पूर्ण रूप से नष्ट हो गयी । तो जो पुराने जमाने में सिद्धांत माने गये थे उनको छोड़ कर और नये सिद्धांतों को लेकर हमें अपने मजदूरों के साथ व्यवहार करना पड़ेगा । जब मैं इस पृष्ठभूमि में देखता हूं तो मुझे कोई वजह नहीं मालूम होती कि जो संशोधन विधेयक इस सदन में पेश किया गया है उसे क्यों न मंजूर किया जाये । मैं महसूस करता हूं कि सरकार भी इस उसूल को मान रही है कि यह कानून बहुत पहले बना था और अब उसमें सुधार की आवश्यकता है ।

जैसा कि अभी सदन के सामने सरकार की तरफ से बताया गया कि ट्रेड यूनियन्स (कार्मिक संघ) के पास, प्रदेशों की सरकारों के पास, इसमें जो सरकार संशोधन करना चाहती है, उसके सम्बन्ध में लिखा पढ़ी की गई । इसके मानी यह हैं कि सरकार भी इस बात को महसूस करती है कि कानून पुराना हो चुका है और इसमें संशोधन की आवश्यकता है और मैं आशा करता हूं कि जहां और तमाम संशोधन गवर्नमेंट (सरकार) की तरफ से पेश किये गये, वहां इस कानून में भी वह जरुरी संशोधन करेगी ।

यह जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, इसमें खास तौर पर इस बात पर जोर दिया गया है कि अगर मजदूर काम करते वक्त घायल हो जाता है तो पुराने कानून में तो वेटिंग पीरियड (प्रतिक्षा काल) दस दिन का था जिसको कि घटा कर सात दिन का बाद में कर दिया गया । अब आप सोचिये कि अगर किसी मजदूर के चोट लग जाती है और जैसा कि अभी उदाहरण दिया गया कि वह ६ दिन तक कारखाने में काम पर नहीं जा पाता उसको चोट लगी है, तो क्या सचमुच वह किसी पैसे के पाने का हकदार नहीं है, चूंकि कानून कहता है कि उसको इतना घायल होना चाहिये कि सात दिन तक वह काम पर नहीं आ सके, तब तो उसे पैसा मिलेगा वरना पैसा पाने का उसको हक नहीं होगा यह भी क्या बात हुई कि ६ दिन तक घायल हो तो कोई पैसा नहीं मिले और जब सात दिन से ज्यादा घायल हो जाये तो उसको

पैसा मिले। मान लीजिये कि एक मजदूर घायल हो गया है, आज वह काम पर नहीं आ सकता पैसा वह कमा नहीं सकता है और अपने बाल बच्चों की परवरिश नहीं कर सकता, तो उसे उस दिन का वेतन मिलना ही चाहिये। यह मानी हुई बात है और हम और आप सब जानते हैं कि मजदूर की हैसियत ऐसी नहीं है कि वह घायल होने पर अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, न मजदूर के पास कोई बैंक वैलेंस (बैंक पूंजी) है और न ही उसके पास इतनी बचत का पैसा होता है कि वह कुछ दिन तक भी अपने परिवार के लोगों का पेट पाल सके और उसके और उस समूचे परिवार का भरण पोषण उस मजदूरी पर निर्भर करता है जो उसे काम करने के एवज में मिलती है। वास्तव में मजदूर को अधिक से अधिक सहायता की आवश्यकता तब होती है जब कि उसको चोट लग जाती है और हमारे कानून भी कुछ विचित्र प्रकार के हैं कि जिस समय उस मजदूर को सब से अधिक सहायता की आवश्यकता होती है, उस वक्त उस को पैसा नहीं दिया जाता है और मैं समझता हूं कि आज जो संशोधन विधेयक पेश किया गया है, उसमें मूलभूत सिद्धान्त और मूलभूत भावना यही है कि जिस वक्त मजदूर घायल हो जाता है, उस वक्त से जब तक वह अच्छा न हो जाये, उसको पैसा मिलना चाहिये। मुझे यह देख कर बड़ी खुशी हुई कि सरकार की तरफ से भी जो संशोधन आ रहा है, उसमें इस बात की कोशिश की जा रही है कि वेटिंग पीरियड (प्रतीक्षा काल) को कुछ कम कर दिया जाये। सदन में जो विधेयक पेश है उसके अनुसार जब से उसको चोट लगती है, उसी वक्त से वह पूरा पैसा पाने का हकदार होता है। यह चीज सही है कि हमारे देश में जो स्टेट इंश्योरेंस (राज्य बीमा) मजदूरों के वास्ते बीमा योजना है, उससे मजदूरों को बीमारी के वक्त में सहायता मिलती है लेकिन अभी तक जो हालत है वह यह है कि मजदूर को तो आर्थिक सहायता मिलती है लेकिन मजदूर का जो परिवार होता है, वह अभी उस सहायता के बाहर है। मजदूर सिर्फ अपना ही अकेले का तो भरण पोषण नहीं करता, उसके साथ उसका परिवार होता है, उसके बीवी और बाल बच्चे होते हैं जिनका कि उसको भरण पोषण करना होता है, । और इसलिये आज जब कि स्टेट इंश्योरेंस (राज्य बीमा) में मजदूर का परिवार नहीं आता है तो यह बहुत आवश्यक हो जाता है कि ऐसी व्यवस्था हो कि उसको जब से चोट लगती है तब से उसे वेतन मिलना चाहिये और पूरा वेतन मिलना चाहिये। मैं चाहता हूं कि यह कानून उन छोटे छोटे कारखानों में भी जहां मजदूर काम करते हैं, वहां लागू होना चाहिये। उनको भी इस कानूनी सुविधा के दायरे के अन्दर लाने का प्रयत्न होना चाहिये। हमारे बहुत से ऐसे मजदूर भाई हैं जो कि ठेकेदारों के अंडर (अधीन) काम करते हैं और ठेकेदारों की सदैव यह चेष्टा रहती है कि किसी तरह वह अपने को ऐसे कानून से बचा ले जायें ताकि वे अपने यहां के मजदूरों को अधिक से अधिक शोषण कर सकें और इसलिये हमें इस कानूनी सुविधा को ऐसे मजदूरों के लिये भी सुलभ करना चाहिये। छोटे छोटे कारखानों में काम करने वाले मजदूरों को और ऐसे ठेकेदारों के नीचे काम करने वाले मजदूरों को भी इस दायरे में लाया जाये और उनको भी इस तरीके से मुआवजा दिया जाये। जो हालात इस वक्त हमारे देश के हैं और जिस तरह से डेवलेपमेंट के (विकास के) कामों में हम लगे हुए हैं, उन सारी चीजों को देखते हुए, मैं सदन से इस बात की दरख्वास्त करूंगा कि वह इस संशोधन विधेयक को पास करने की कृपा करे।

श्री एस० एल० सक्सेना (जिला गोरखपुर उत्तर) : मैं समझता हूं कि यह जो संशोधन विधेयक पेश हुआ है वह बहुत ही

[श्री एस० एल० सक्सेना]

उपयुक्त है और तत्काल स्वीकार किया जाना चाहिये ।

अभी सरकार की ओर से कहा गया कि श्री राजाराम शास्त्री की तरफ से जो संशोधन आता है वह इस लायक नहीं होता कि स्वीकार किया जाये.......

श्रम उपमन्त्री (श्री आबिद अली) : मुनासिब हो तो स्वीकार किया जायेगा ।

श्री एस० एस० सक्सेना : "देट मीन्स्, इट इज नोट मुनासिब" (इसका यह अभिप्राय है कि यह मुनासिब नही) वैसे हमारे श्री आबिद अली तो स्वयं मजदूरों के क्षेत्र में काम करने वाले पुराने कार्यकर्त्ता हैं और उन्हें मजदूरों की हालत का और उनकी कठिनाइयों का बखूबी अनुभव होगा और उन्होंने स्वयं बहुत से मजदूरों को कम्पेंसेशन (प्रतिकर) दिलवाया होगा और वे जानते होंगे कि मुआविजा मजदूरों को कितने समय के बाद मिलता है । मजदूर को इस मुआविजे की सब से अधिक आवश्यकता तो उस समय होती है जब कि काम पर उसको चोट लग जाती है और जब कि वह अस्पताल में महीने या दो महीने पड़ा रहता है और आप समझ सकते हैं कि बीमार पड़ने पर और चोट लगने पर उसकी कितनी बुरी हालत होती होगी । उधर तो उस बेचारे मजदूर का हाथ पैर कट गया, काम पर जा नहीं सकता और उधर हस्पताल में इलाज कराने के लिये उसके पास पैसा नहीं होता । मैं समझता हूं कि कम्पेंसेशन ऐक्ट के अन्दर बहुत सी त्रुटियां हैं और मैं समझता हूं कि इस संशोधन विधेयक को ला कर एक बहुत बड़ी त्रुटि के अंश को पूरा किया गया है, और इस नाते यह स्वागत योग्य है । साथ ही मैं समझता हूं कि मंत्री महोदय को सन् २३ के ऐक्ट (अधिनियम) को एक सिरे से रिवाइज (पुनरीक्षित) करना चाहिये उसको बने आज ३२ साल हो गये हैं, इस अर्से में मुल्क में बहुत तबदीलियां आ गयी हैं, हमारा मुल्क अब आजाद हो गया है और इस नाते भी हमें उस पुराने ऐक्ट में रद्दोबदल करना है और उसको मजदूरों के लिये अधिक से अधिक हितकारी बनाना है । जैसा हमारे भाई श्री राजाराम शास्त्री ने बतलाया हमें ऐसा कानून बनाना है जिसमें मजदूरों को चोट लगने पर उनकी उचित डाक्टरी देखभाल हो सके और जितने दिन वे काम पर न जा पायें उतने दिन का वेतन उन्हें मिलता रहे । तो हमें इस तरह की तबदीली अपने कानून में करनी है । आजकल हम दुनिया में एक अहम पोजीशन (महत्वपूर्ण स्थिति) हासिल कर चुके हैं और हमारे मुल्क में विदेशी लोग आये हुए हैं और हमें उनसे इस दिशा में सबक लेना चाहिये कि बाहर के देशों में मजदूरों की अवस्था यहां के मजदूरों के मुकाबले में कितनी अधिक प्रगतिशील है । रूस के अन्दर मैं ने देखा है कि वहां पर मजदूरों के साथ जो बर्ताव होता है, वैसा अच्छा बर्त्ताव शायद दुनिया में और कहीं नहीं होता है । रुस में अगर मजदूर बीमार पड़ता है तो दो, चार साल तक जब तक कि वह अच्छा नहीं हो जाता, उसकी पूरी जिम्मेदारी सरकार पर होती है और जब तक डाक्टर कह न दे कि यह आदमी अच्छा नहीं होगा, उस वक्त तक उसको कम्पेन्सेशन नहीं मिलता । वहां मजदूर के बिमार पडने पर अच्छे से अच्छा डाक्टरी इलाज उसके लिये जुटाया जाता है और जरुरत पड़ने पर उसको सैनिटोरियम (आरोग्य शाला) में रखा जाता है और लग कर उसका वहां पर इलाज किया जाता है । अगर मजदूर के चोट लग जाये तो उस के लिये पूरे दवा दारु का इंतजाम होता है और हर तरह से सरकार उसको मदद करती है और वहां के मजदूर को दिल में यह यकीन रहता है कि मुझे कोई तकलीफ नहीं होनी पावेगी और अगर होगी तो सरकार मेरी मदद करेगी और मेरी देखभाल की सारी जिम्मेदारी सरकार अपने ऊपर लेगी । अगर हम

चाहते हैं कि हमारे मजदूर दिल लगा कर काम करें और ज्यादा काम करें तो जरूरी है कि उनके चोट लगने पर जो उन्हें तकलीफ या दुश्वारी पेश आयें, उसे हमें दूर कर देना चाहिये। में चाहता हूं कि चोट लगने पर मजदूर की सहायता वाली बात सिर्फ बड़े कारखानों में काम करने वालों मजदूरों तक ही सीमित नहीं रखनी चाहिये बल्कि ठेकेदारी मजदूरों के लिये और जितने और भी छोटे छोटे कारखाने हैं उनमें काम करने वाले मजदूरों को भी यह सुविधा या रियायत मिलनी चाहिये कि चोट लगने पर उनके इलाज का माकूल (उपयुक्त) इन्तजाम हो और साथ ही चोट के दिनों का वेतन उन्हें पूरा मिले। आज हम देखते हैं कि चोट लगने पर मजदूरों के लिये माकूल डाक्टरी चिकित्सा का प्रबन्ध नहीं है। कोई कायदे का अस्पताल नहीं है और मामूली कम्पाउडर होता है जिसके पास पूरी दवा भी नहीं होती है। जब कि दूसरे मुल्कों में आप इसके विपरीत हालत पायेंगे। रूस में ताशकंद में आप देखिये, वहां पर एक बड़ी फैक्टरी में मजदूरों के इलाज के लिये एक बड़ा अस्पताल बना हुआ है जहां पर ५ सौ, ६ सो डाक्टरर्स रहते हैं। वहां हर तरह का इन्तजाम है और सरकार मजदूरों के दवा दारु और इलाज और खर्चे वगैरह की पूरी जिम्मेदारी अपने उपर लेती है।

श्री अच्युतन : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं। मैं देश के जिस भाग में रहता हूं वहां तो कभी ऐसा नहीं हुआ कि किसी मालिक ने मजदूर को प्रतिकर मिलने तक उस की मजूरी न दी हो। फिर भी इस प्रकार की त्रुटि को कानून द्वारा पूरा कर देना चाहिये। हमे चाहिये कि प्रतिकर देने का कानून सभी मजदूरों पर लागू किया जाये। सरकार कहती रही है कि वह एक व्यापक विधेयक रखेगी जिस में श्रमिकों की समस्याओं के सारे पहलूओं से निबटाने की व्यवस्था होगी। अगर ऐसा हो तो बहुत अच्छा है। यदि कोई मजदूर घायल होता है तो उसका कोई दोष नहीं। मालिक को चाहिये कि उस की चिकित्सा का सारा खर्च दे और साथ ही मजदूर को प्रतिकर भी दिया जाये। ऐसा होगा तो मालिक इस बात का प्रबन्ध करेगा कि कारखाने में दुर्घटनायें न हों।

मुझे आशा है कि सरकार को यह विधेयक स्वीकार करने पर कोई आपत्ति नहीं होगी।

श्री तुषार चटर्जी (श्रीरामपुर) : मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूं और इस के एक बड़े महत्वपूर्ण पहलू की ओर माननीय उपमंत्री का ध्यान दिलाना चाहता हूं।

विधेयक का उद्देश्य दो समस्याओं को हल करना है। पहली बात यह है कि इस विधेयक में कहा गया है कि मजदूर को प्रतिकर मिल जाने तक उस की मजदूरी मिलती रहनी चाहिये। दूसरी बात यह है कि मूल अधिनियम के अन्तर्गत, यदि कोई मजदूर दुर्घटना के कारण ७ दिन से अधिक देर तक के लिये काम के अयोग्य हो जाये तभी उसे प्रतिकर दिया जाता है। यदि वह ७ दिन से कम अनुपस्थित हो तो उसे प्रतिकर नहीं दिया जाता। इस त्रुटि को दूर करना चाहिये। मैं मजदूरों की कई संस्थाओं में रह चुका हूं और जानता हूं कि इस त्रुटि के कारण हजारों मजदूरों को कष्ट उठाना पड़ता है। मामूली से घाव के कारण कोई मजदूर तीन चार दिन तक काम करने के योग्य न हो तो उसे ना तो उन दिनों की मजूरी मिलती है और न ही प्रतिकर। एक मजदूर मेरे पास अया और कहने लगा कि "मेरे हाथ में चोट लगी और डाक्टर ने मुझे चार दिन आराम करने को कहा परन्तु मैं ने उस से प्रार्थना की कि मुझे काम के योग्य होने का प्रमाण पत्र दे दे जिस से कि मैं काम कर सकूं। और मजूरी कमा सकूं।" इस लिये मेरा निवेदन है कि इस त्रुटि को दूर करना चाहिये। मैं माननीय मंत्री से

[श्री तुषार चटर्जी]

अनुरोध करूंगा कि वह इस विधेयक को स्वीकार कर लें ।

जहां तक सामान्य प्रतिकर का सम्बन्ध है, मालिकों की चेष्टा सदा यही रहती है कि प्रतिकर के तय होने में देर लगे । कई बार मजदूरों को न्यायालय का द्वारा खटखटाना पड़ता है ।

इसलिये मेरे विचार में यह विधेयक अवश्य स्वीकार किया जाना चाहिये ।

श्री एन० बी० चौधरी (घाटल) : इस विधेयक के तीन मुख्य उपबन्ध हैं । पहला यह कि प्रतिकर के तय होने तक मजदूरों को मजूरी मिलती रहे, दूसरा यह है कि अस्पताल का खर्च मालिक दें और तीसरा यह कि जितना समय डाक्टर मजदूर को काम के योग्य न समझे उसे उस समय तक मजूरी मिलती रहे ।

यह तो समझा जा सकता है कि बृटिश राज के दिनों में सरकार को मजदूरों से सहानुभूति नहीं थी । परन्तु अब हम अजाद हैं और हमें चाहिये कि मजदूरों से सहानुभूति बरतें । प्रधान मंत्री कहते हैं कि हमें देश की नींव पक्की बनानी है । मजदूर और किसान ही तो देश की नींव हैं । परन्तु वर्तमान उपबन्ध ऐसे हैं कि जब मजदूर दुर्घटना के कारण काम के योग्य नहीं रहते तो मालिक उन्हें गुजारे के लिये भी कुछ नहीं देते । इसलिये सरकार को स्वतंत्रता मिलने के बाद सब से पहले ऐसे अधिनियमों में संशोधन करना चाहिये था जोकि उसने नहीं किया है । मजदूरों के संघर्ष उन की संस्थाओं द्वारा मांगों और इस विधेयक के पुरःस्थापन के बाद ही सरकार ने वर्त्तमान अधिनियम में संशोधन के सुझाव परिचालित किये हैं ।

कर्मकार प्रतिकर अधिनियम, १९२३ की धारा ३ को पढ़िये । उस की भाषा ऐसी हैं कि मालिक प्रतिकर देने से बच सकते हैं ।

खानों के सम्बन्ध में हमें प्रतिवेदन प्राप्त हुए हैं कि खानों के स्वामी उपस्थिति रजिस्टर (पंजिका) में भी अन्तःक्षेप करने की कोशिश करते हैं । ऐसी घटनायें हुई ह कि श्रमिक खान दुर्घटनाओं से मरे और खानों के मालिकों ने उन्हें उस दिन अनुपस्थित दिखाया, ताकि उन्हें प्रतिकर न देना पड़े ।

शराब पीने और आज्ञा न मानने, आदि के भी आरोप लगा कर खानों के स्वामी प्रतिकर देने से बचना चाहते हैं । अब जब कि हम यह मानने लगे हैं कि श्रमिक ही हमारे उद्योगों के चलाने के उत्तरदायी हैं, यह परमावश्यक है कि हम उनकी ओर ध्यान दें, ताकि उनको इस प्रकार की मुसीबतें न सहनी पड़े ।

हम उद्योगपतियों के लिये एक काफी बड़ी धन राशि का उपबन्ध कर रहे हैं, ताकि वे अपनी वैज्ञानिक सम्बन्धी योजनायें चला सकें । ये योजनायें विशेषतः पटसन उद्योग और वस्त्र उद्योग में चलाई जायेंगी । यद्यपि श्रमिक ३८ प्रतिशत अधिक उत्पादन करने लगे हैं, किन्तु उनकी मजूरी में कोई वद्धि नहीं की गई है । वैज्ञानिकन सम्बन्धी इन योजनाओं से काम में और खतरा बढ़ जायेगा अतः यह आवश्यक है कि एक उचित प्रतिकर योजना भी बनाई जाये । किन्तु आश्चर्य है कि सरकार इस सम्बन्ध में बिल्कुल सुस्त है और विधि के पुराने उपबन्धों पर ही दृढ़ है । अब जब कि यह छोटा सा संशोधक विधेयक प्रस्तुत हुआ है, हम सब यह आशा करते ह कि सरकार इसको स्वीकार करने में बिल्कुल भी संकोच नहीं करेगी, अपितु एक और भी व्यापक विधेयक प्रस्तुत करेगी जिस से वर्तमान अधिनियम के सारे दोष दूर हो जायेंगे तथा श्रमिकों के लिये एक उचित प्रतिकर योजना बन जायेगी ।

इन शब्दों के साथ मैं विधेयक का समर्थन करता हूं ।

श्री आबिद अली : इस बिल के बारे में जो कुछ यहां पर कहा गया है उसके सम्बन्ध में मैं यह कहना चाहता हूं कि जो उस तरफ से कहा गया है कि जो कुछ भी उनकी तरफ से पेश किया जाता है वह स्वीकार नहीं किया जाता, मेरे विचार में उचित न होगा । जो भी मुनासिब चीज होती है, चाहे वह कहीं से भी आये, उसको स्वीकार करना हमारा फर्ज है और हम ऐसा करते भी हैं । इस एमेंडिंग बिल के बारे में तो मैं यह अर्ज करना चाहता हूं कि इसमें जो कुछ भी कहा गया है उसमें से बहुत कुछ उचित है । लेकिन इस वक्त इसको स्वीकार कर लेना सम्भव नहीं है । इसकी वजह यह है कि जैसा कि लेडी मैम्बर ने फरमाया कि न सिर्फ वह चीजें जो इस बिल में कही गई हैं बल्कि बहुत सी और एमेंडमेंट्स (संशोधन) हम वर्कमेंन कम्पेन्सेशन ऐक्ट (कर्मचारी प्रतिकर अधिनियम), में खुद ही कर रहे हैं और उसके लिये हम एक बिल यहां पेश करने वाले हैं वह बिल इस बिल के इस सभा में पेश करने के बाद तैयार नहीं किया गया है । वह बिल तो जैसा कि एक आनरेबल मैम्बर (माननीय सदस्य) ने फरमाया पिछले साल यानी सन् १९५४ में ही हम ने लेबर मिनिस्टर्ज कांफ्रेंस (श्रम मंत्री सम्मेलन) में रखा था । लेकिन मुश्किल यह है कि इस किस्म के ऐक्टस (अधिनियमों) में यदि हम कोई एमडमेंट्स (संशोधन) करना चाहें तो जल्दी से हम कर नहीं पाते बहुत सी रुकावटें हमारे रास्ते में आती हैं । पहले तो हमको स्टेट गवर्नमेंट्स की सलाह लेनी होती है, उसके बाद लेबर मिनिस्टर्ज की कान्फ्रेंस में हमें रखना होता है, फिर मजदूरों और कारखानेदारों की जो संस्थायें ह उनको राय लेनी होती है और जो मिनिस्ट्रीज (मंत्रालय) मजदूरों को एम्पलाय (नियुक्त) करती हैं, उनकी राय भी लेनी जरूरी होती है । इन सब की राय आने के बाद हम इन सूचनाओं को फिर से इन सब संस्थाओं के पास भेजते हैं । तो इन सब चीजों को पूरा करने के लिये काफी समय लग जाता है । इसमें करीब करीब डेढ़ साल लग गया । इस के बाद जब इन सब संस्थाओं के पास हमारी सूचनायें गई.........

५ म० पू०

उपाध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री अगले गैर सरकारी कार्य के दिन अपना भाषण जारी रखें ।

भारतीय प्रशुल्क (तृतीय संशोधन) विधेयक

वाणिज्य और उद्योग तथा लोहा और इस्पात मन्त्री (श्री टी०टी० कृष्णमाचारी) : मैं प्रस्ताव करता हूं कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।

उपाध्यक्ष महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय प्रशुल्क अधिनियम, १९३४ में आगे और संशोधन करने वाले विधेयक को पुरःस्थापित करने की अनुमति दी जाये ।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ ।

श्री टी० टी० कृष्णमाचारी : मैं विधेयक को पुरःस्थापित* करता हूं ।

इसके पश्चात लोक-सभा शनिवार, ३ दिसम्बर, १९५५ के ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई ।

---

*राष्ट्रपति की सिफारिश से पुरःस्थापित हुआ ।

दैनिक संक्षेपिका

[शुक्रवार, २ दिसम्बर, १९५५]

स्तम्भ

सभा पटल पर रखे गये पत्र ६३७७,६३८४

१. खाद्य और कृषि मंत्रालय की अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २७४० दिनांक २५ अगस्त, १९५४ को प्रति संहृत करने वाली अधिसूचना संख्या एस० आर० ओ० २२४७ दिनांक १२ अक्तूबर, १९५५ की एक प्रतिलिपि ।

२. लोक-सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन नियम ८९ (१) के अधीन अभीच्छित दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) अध्यादेश के प्रख्यापन द्वारा तत्काल विधान बनाने के कारणों को बताने वाले व्याख्यात्मक विवरण की एक प्रतिलिपि सभा पटल पर रखी गई ।

स्थगन प्रस्ताव ६३७८–८१

अगरतला (त्रिपुरा) के राताचेरा में पुलिस के कथित अत्याचारों से उत्पन्न स्थिति के बारे में श्री दशरथ देव और श्री बीरेन दत्त के स्थगन प्रस्ताव पर गृह-कार्य उपमंत्री ने एक वक्तव्य दिया । सूचना देने वाले सदस्यों के भाषणों के पश्चात् अध्यक्ष महोदय ने स्थगन प्रस्ताव की ग्राह्यता के सम्बन्ध में अपना निर्णय अग्रेतर स्थगित कर दिया ताकि सरकार इस विषय की पूर्ण जांच कर सके ।

पारित किये गये विधेयक के बारे में घोषणा ६३८१–८२

अध्यक्ष महोदय न सभा को जानकारी दी कि राज्य सभा द्वारा पारित तथा लोक-सभा की प्रवर समिति द्वारा पारित रूप में रेलवे सामान (अवैध कब्जा) विधेयक लोक-सभा द्वारा पारित किया जाकर लोक-सभा द्वारा किये गये संशोधनों पर सहमति प्रकट करने के लिये राज्य सभा के पास भेज दिया गया है और तदनुसार एक संदेश राज्य सभा के पास प्रेषित किया गया ।

तारांकित प्रश्न के उत्तर में शुद्धि ६३८२

रक्षा उपमंत्री ने २५ अगस्त, १९५५ को दिये गये तारांकित प्रश्न संख्या ११३७ के अनुपूरक प्रश्नों के उत्तर में शुद्धि करने के लिये एक वक्तव्य दिया ।

प्रस्तुत किये गये विधेयक ६३८२–८४,६४६२

१. भाग 'ग' राज्य विधि (संशोधन) विधेयक

२. दिल्ली (भवन निर्माण कार्यों का नियंत्रण) विधेयक

३. अनर्हता निवारण (संसद तथा भाग 'ग' राज्य विधान मंडल) संशोधन विधेयक ।

४. भारतीय प्रशुल्क संशोधन (तृतीय संशोधन) विधेयक

विधेयक पर विचार ६३८४–६४१८

संयुक्त समिति द्वारा प्रतिवेदित रूप में नागरिकता विधेयक पर विचार किया गया। विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त रही

गैर-सरकारी सदस्यों के विधेयकों तथा संकल्पों सम्बन्धी समिति का प्रतिवेदन ६४१८

चालीसवां प्रतिवेदन स्वीकृत हुआ ।

गैर-सरकारी सदस्यों का विधेयक—वापिस लिया गया ६४१९

श्री नागेश्वर प्रसाद सिन्हा का भारतीय दंड संहिता (संशोधन) विधेयक, १९५३ **(नवीन धारा २९४-ख का रखा जाना)**

गैर-सरकारी सदस्य का विधयक—अस्वीकृत ६४३९

श्री जेठालाल जोशी के भारतीय अन्य धर्मग्राही (विनियमन तथा पंजीयन) विधेयक पर अग्रेतर विचार आरम्भ कया गया। विचार करने का प्रस्ताव अस्वीकृत हुआ

गैर-सरकारी सदस्य के विधेयक पर विचार ६४३९-६६

श्रीमती रेणु चक्रवर्ती के कर्मकार प्रतिकर (संशोधन) विधेयक (नवीन धारा ३-क का रखा जाना) पर विचार किया गया। विचार करने के प्रस्ताव पर चर्चा असमाप्त रही ।